खण्ड-140, अंक-3
सोमवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(13 सितम्बर, 1954 ई0)

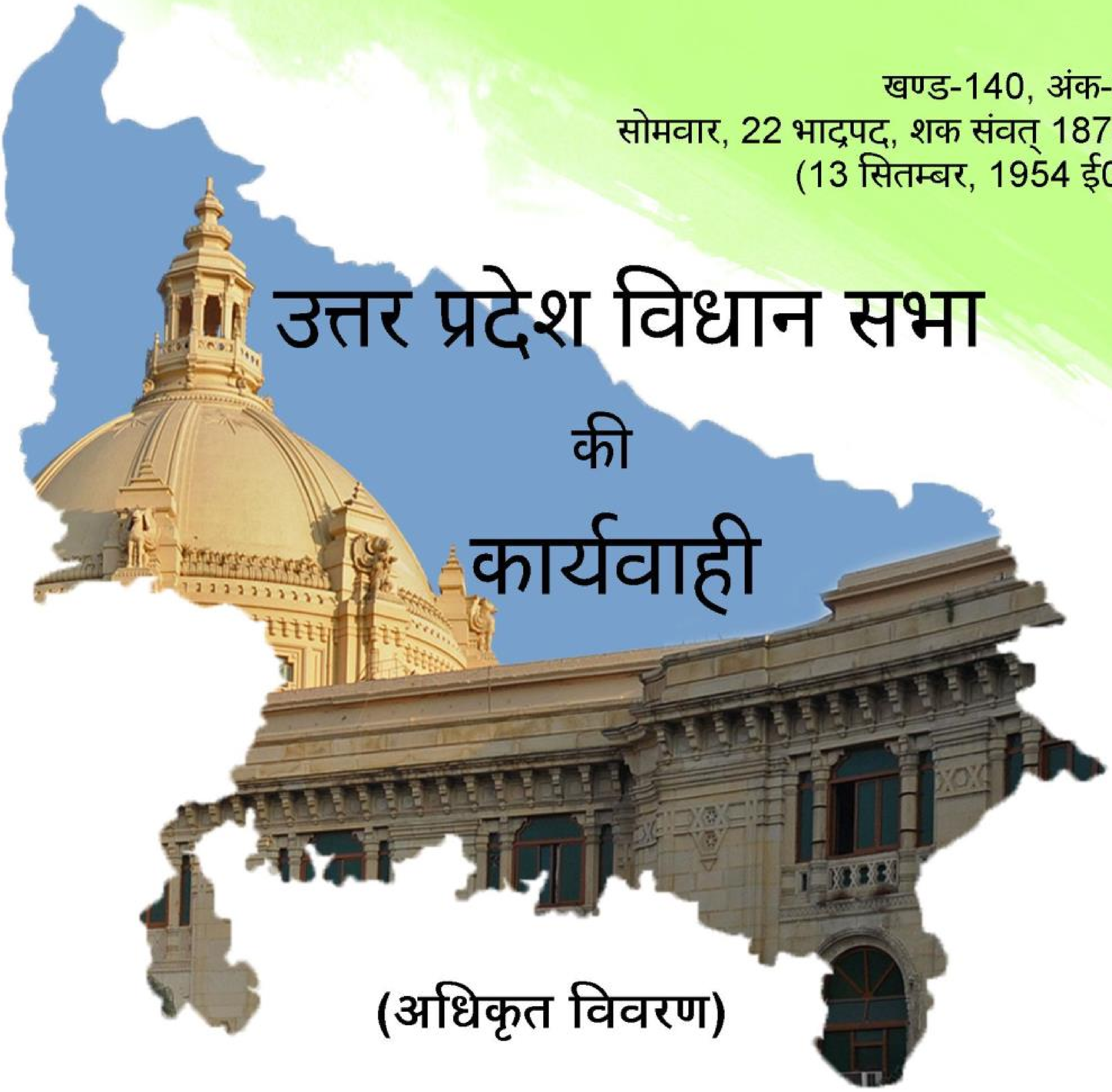

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण , श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ , श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी , श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताकत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र , श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रोड बस--अधिकारियों द्वारा सरकारी पिक-अपों का निजी कार्यों में उपयोग

****१--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकारी पिकअपें जो रोड बस अधिकारियों के पास सरकारी कार्य के लिये होती हैं उनका प्रयोग निजी कामों में किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के कार्यों की रोकथाम के लिये वह क्या कर रही है?**

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--कोई खास ऐसी शिकायत सरकार के पास नहीं आई है। हां, कभी-कभी गुमनाम शिकायतें इस तरह की अवश्य प्राप्त हुई हैं परन्तु जांच से वे सिद्ध नहीं हुईं। इसके बारे में यह हिदायत है कि सरकारी गाड़ियों को निजी कार्यों के लिये प्रयोग न किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने अभी किन्हीं अधिकारियों पर इस प्रकार पिकअपों के नाजायज प्रयोग करने के संबंध में कोई कार्यवाही भी की है?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

बाढ़पीड़ित क्षेत्र में मालगुजारी की छूट के लिये रजियापुर के किसानों की प्रार्थना

***१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास रामसुन्दर पांडेय, एम० एल० ए०, आजमगढ़ द्वारा भेजा हुआ ३० दिसम्बर, १९५३, का तार, २२ मार्च, १९५४ के पत्र ७ किसानों के प्रार्थना-पत्र सहित प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--३० दिसम्बर, १९५३ ई० का श्री रामसुन्दर जी पांडेय, एम० एल० ए० द्वारा प्रेषित तार इस आशय का प्राप्त हुआ था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत कर, मालगुजारी आदि की वसूली स्थगित कर दी जावे परन्तु इसके पूर्व ही ३० नवम्बर सन् १९५३ ई० को जिले भर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ऐसी वसूली नियमानुकूल स्थगित कर दी गयी थी।

गजियापुर के सात किसानों के प्रार्थना-पत्र भी श्री रामसुन्दर पांडेय के २२ मार्च, १९५४ के पत्र के साथ प्राप्त हुये थे। उनकी जांच गजटेड अधिकारी द्वारा कराई गयी। उक्त किसानों के विरुद्ध मालगुजारी न देने के आरोप पर गिरफ्तारी का वारन्ट कटा था। नायब तहसीलदार ने उनकी तामील की। कुछ किसानों के साथ सौम्य व्यवहार न करने के आरोप पर उक्त नायब तहसीलदार को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

***२--श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी की छूट के परचे बिना बांटे ही मालगुजारी सख्ती के साथ नवम्बर दिसम्बर, सन् १९५३ से ही वसूल की जा रही है।

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस जिले में मालगुजारी की वसूली दिसम्बर, १९५३ के तृतीय पक्ष से प्रारम्भ हुई । यद्यपि छूट के परचे बांटने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था परन्तु स्थगित मालगुजारी की वसूली में कहीं भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के उन ग्रामों में जहां खरीफ मालगुजारी में १६ आने छूट दी गयी वसूली नहीं की गई, अन्य ग्रामों में जिनमें केवल कुछ किसानों को मामूली छूट मिली थी वहां स्थगित मालगुजारी को छोड़कर शेष रकम ही वसूल की गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि ३० नवम्बर, १९५३ के जो आदेश सरकार द्वारा दिये गये थे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी की वसूली स्थगित की जाय उनको कार्यान्वित नहीं किया गया जिसके कारण ही यह तार देना पड़ा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो जवाब दे दिया गया कि मालगुजारी स्थगित जरूर कर दी गयी थी लेकिन छूट के परचे बांटने में कुछ विलम्ब हुआ और जहां-जहां मालगुजारी स्थगित कर दी गयी थी कोई कड़ी कार्यवाही उसकी वसूली में वहां नहीं की गयी। परन्तु यह सत्य है कि वसूली के परचे देर में मिलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि छूट के परचे न देने के कारण ही किसानों से ज्यादा मालगुजारी वसूल की गयी और शिकायत की गयी ?

श्री अध्यक्ष--शिकायत के बारे में तो जवाब दे चुके हैं। आप पहला भाग प्रश्न का पूछिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सात किसानों का जो प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया था उसमें क्या-क्या शिकायतें तहसीलदार के खिलाफ लिखी हुई थीं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--बड़ी शिकायत यह थी कि उन लोगों को खम्भे से बांध दिया नायब तहसीलदार ने या अमीन ने और जब उन्होंने कहीं से रुपया दिलवाया तब छोड़े गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी ने जांच की उसने अपनी रिपोर्ट में इस घटना को सत्य पाया या गलत पाया ?

श्री चरणसिंह--कुछ हद तक सच पाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जिस अधिकारी ने इस प्रकार की घटना की, वह इस कड़ी चेतावनी के बावजूद भी इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है और वहीं मौजूद है ?

श्री चरणसिंह--केवल कड़ी चेतावनी ही दी गई थी इसलिये मौजूद तो वह है ही। केवल उसकी नातजुर्बेकारी की वजह से वह काम हुआ उसकी नियत की खराबी नहीं थी। लेकिन अगर अब भी वह ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ और सख्त कार्यवाही की जायगी अगर माननीय रामसुन्दर पांडेय ऐसी तफसील मुझको बतलायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी में छूट के परचे न देने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह--कारण ये थे कि लेखपाल जमाबन्दी तैयार करने में लगे हुये थे। लेकिन ३० दिसम्बर को माननीय मित्र का तार आया और ३० नवम्बर को ही यह आदेश दे दिया था कि लैंड रेवेन्यू वसूल नहीं की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना छूट के परचे किसानों को दिये हुये मालगुजारी वसूल क्यों की गयी ?

श्री चरणसिंह--राजकीय कर्मचारी इंसान हैं। गलती उनसे भी हो जाती है।

जौनपुर में बस स्टेशन का निर्माण

*३--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में बस स्टेशन बनाने के लिये सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

*४--**श्री बाबूनन्दन**--यदि हां, तो किस स्थान पर और कब ?

श्री हुकुमसिंह--बस स्टेशन के स्थान के प्रश्न पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। भूमि पर कब्जा हो जाने के पश्चात् फौरन ही स्टेशन बनना आरम्भ हो जायगा।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन का अंतिम निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया है और कब तक होने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह--दो एक साइट्स तजवीज की गयी थीं। उनमें लोगों को आपत्ति थी। इस वजह से अभी तय नहीं हुई है।

भूमिधरी सनद न पाने वालेंकिसानों की ओर से दसगुना की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र

*५--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितनी रकम किस जिले में ऐसी अभी तक पड़ी हुई है जिसकी भूमिधरी सनद नहीं दी गई है इसका कारण क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वांछित सूचना सम्बद्ध सूची 'क' में दी हुई है। सनदें न दिये जाने के कारण उत्तराधिकारित्व के संबंध में झगड़ा होना, लगान का निर्धारण न होना, आंशिक रूप में रुपया जमा होना, सनदों को प्राप्त करने के लिये न आना आदि है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२०-२२१ पर)

*६--**श्री गेंदासिंह**--क्या यह सच है कि तहसीलों को ऐसा आदेश दे दिया गया है कि यह रकमें लौटाई न जायं ? यदि नहीं, तो कितनी दरख्वास्तें इस वर्ष रुपये को वापस लेने के लिये पड़ी और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं। सम्पूर्ण प्रदेश में कुल ४१,५२५ प्रार्थना-पत्र रुपया वापसी के लिये प्राप्त हुये। इनमें से ३०, २७० प्रार्थना-पत्र तय हुये और उनके रुपये वापस कर दिये गये।

*७--**श्री गेंदासिंह**--क्या ऐसी रकमें बाढ़ अथवा ओले से पीड़ित क्षेत्रों की भी हैं ? यदि हां, तो किस क्षेत्र की कितनी और इस क्षेत्र में सरकार को तकावी कितनी देनी पड़ी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, वांछित सूचना सम्बद्ध सूची 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२२-२२३ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी रकम के एवज में सनदें दी जा चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह मैं समझता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व यह प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रश्न ६ में जो उत्तर दिया है उसके अंकों की तुलना सूची 'ख' में जो अंक दिये हुये है उनसे कर ली है।

श्री अध्यक्ष--यह तो साफ दिख रहा है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या यह सच है कि प्रश्न ६ का जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बतलाया गया है कि ४१ हजार ५ सौ २५ प्रार्थना-पत्र रुपये की वापसी के लिये प्राप्त हुये और यहां जो सूचना दी हुई है इसमें यह लिखा है कि ३ लाख ५९ हजार ८७ प्रार्थना-पत्र रुपये की वापसी के लिये दिये गये। इन दोनों में से कौन सही है ?

श्री चरणसिंह--इसमें दिया हुआ है कि रकम जिसकी वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। यह तीन लाख की रकम जोड़ कर होती है, न कि प्रार्थना-पत्रों की संख्या।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं उसे पढ़ दूं आपकी आज्ञा से। यह लिखा हुआ है सूची "ख" में रकम जिसकी वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। यही प्रश्न किया था कि कितने लोगों ने इस बात के लिये आवेदन-पत्र दिये कि उनके रुपये वापस कर दिये जायं। मैं समझता हूं कि ४१ हजार और ३ लाख ५९ हजार दोनों संख्याओं में बड़ा अन्तर है तो माननीय राजस्व मंत्री जी का क्या ख्याल है कि दोनों में से कौन सी सही है।

श्री अध्यक्ष--माननीय राजस्व मंत्री इसको स्पष्ट कर दें।

श्री चरण सिंह-- सूची 'ख' में वह रकम दी हुई है जिसकी बाबत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। सवाल में यह था कि ४१ हजार प्रार्थना-पत्र वापसी के लिये प्राप्त हुए जिसमें से ३० हजार प्रार्थना-पत्र तै हुए। जहां प्रार्थनापत्रों की संख्या दी हुई है वहां उनकी रकम भी दी हुई है।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरी परेशानी यह है.....

श्री अध्यक्ष--आप ठीक तरह से पेश नहीं कर रहे हैं। मुझे भी आपका प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री गेंदासिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि सूची 'ख' में जो अंक दिये हुए हैं उनका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--मतलब तो साफ है और उसे आप खुद निकाल सकते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतलायेगी कि जो रकम खजाने में पड़ी हुई है और सनदें नहीं मिली हैं उसके लिये क्या सूद दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, उनकी गलती से ही सनदें बरामद नहीं हुई हैं तो फिर सूद का क्या प्रश्न उठता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)-- क्या माननीय मंत्री जी बुलन्दशहर जिले की वह धनराशि बतलायेंगे जिसके लिये अभी तक सनदें नहीं दी जा सकीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- यह जो सूची दी हुई है उसमें दी हुई है।

श्री अध्यक्ष-- रकम पढ़ने के लिये कह रहे हैं, एक ही रकम है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२,३१,५५२ रु०।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने रुपये की वापसी के लिये दरख्वास्तें पड़ी हैं और कितनी तकावी बांटी गई ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह से हर जिले की बाबत माननीय सदस्य पूछना शुरू कर देंगे। माननीय गेंदा सिंह जी से आप सूची ले लें।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया, बस्ती, गोंडा और बहराइच इन चार जिलों से ६६ लाख रुपयों की सनदें क्यों नहीं मिल सकी हैं?

श्री चरणसिंह—सारे सूबे में वजह एक ही है। सारे सूबे में १ करोड़ ५९ लाख रु० की सनदें नहीं मिल सकीं जिसमें १ करोड़ ४५ लाख ऐसा है जिसमें रकम पूरी दाखिल नहीं हो सकी। १ करोड़ १० लाख की बाबत अदालतों में डिस्प्यूट चल रहा है और दो लाख ऐसा है जिसको सनदें लेने के लिये पूरे आदमी नहीं आ सके। इसमें आफिसरों का कोई नुकसान नहीं है।

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील के महाराजगंज और राजाबाजार की बाजारों का स्वामित्व

*८—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील के महाराजगंज और राजाबाजार की बाजारों पर इस समय किसका अधिकार है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—दोनों बाजारों पर इस समय राजा चन्द्रभाल देवसिंह का अधिकार है।

*९—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या यह सही है कि इन बाजारों का ठेका सन् १९५२-५३ में गांव पंचायत द्वारा दिया गया था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५२-५३ में केवल महराजगंज बाजार का ठेका सम्बन्धित ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिया गया था।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये उपर्युक्त दोनों बाजार जिस भूमि पर लगते हैं उनका स्वामित्व किसे प्राप्त है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—राजा बाजार जिस पर यह बाजार लगता है वह तो बहराइच जिले की पयागपुर रियासत के श्री विक्रम और छोटे कुंवर की सीरदारी की जमीन है और महाराजगंज वाला बाजार आबादी की खाली जमीन पर लगता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनकी नौइयत क्या है?

श्री चरण सिंह—राजा बाजार की बाबत मुकदमा अदालत में चल रहा है और महाराजगंज का बाजार गांव समाज में वेस्ट करता है। गांव समाज ने उसे दूसरे लोगों को उठा दिया था लेकिन पुराना जमींदार जबरदस्त है। उसने गांव समाज को किराया नहीं देने दिया, उसके मुताल्लिक कार्यवाही की जा सकती है।

*१०-११—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)— [स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में विनोबा भावे जी द्वारा प्राप्त भूमि का वितरण

*१२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विनोबा भावे जी द्वारा प्राप्त भूमि का वितरण जौनपुर जिले में किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, वितरण किया जा रहा है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितनी भूमि का वितरण किया गया है और कितनी बाकी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वितरण इस प्रकार से हुआ है कि जौनपुर में ११६.६६ एकड़, शाहगंज में १२ एकड़, मडियाहू में ६१.३० एकड़, मछली शहर में ३५.७८ एकड़, केराकत में ११३.२९ एकड़। जो भूमि प्राप्त हुयी है वह इस प्रकार है: जौनपुर में ४८० एकड़, शाहगंज में ३०४३.९५ एकड़, मडियाहू में ५०१.३९ एकड़, मछली शहर में ४६५.६१ एकड़, केराकत में ४७७.८० एकड़। महाराजा बनारस से १०७८.९३ एकड़ जमीन प्राप्त हुई है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वितरण की हुयी भूमि कृषि के योग्य है या कुछ उसमें खराब भूमि भी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण--क्या यह जमीन भूमिहीन लोगों को दी गयी है या सब को दी गयी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह भूमि तो कमेटी के द्वारा वितरित होती है।

***१३-१४--श्री नारायण दत्त तिवारी**-- [स्थगित किये गये।]

तराई भावर खाम इस्टेट और कोलोनाइजेशन की भूमि को भूदान हेतु देने के नियम

***१५--श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार को मालूम है कि ए० डी० एम० तराई भावर व कोलोनाइजेशन ने भूदान हेतु तराई भावर खाम स्टेट और कोलोनाइजेशन में जमीन नहीं दिये जा सकने की व्यवस्था दी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सुपरिंटेंडेंट, तराई भावर को ऐसा भ्रम था कि किसान भूदान नहीं कर सकते पर अब इस बात की सूचना दे दी गई है कि उक्त क्षेत्र में भूदान हेतु जमीन देने में कोई बाधा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या इस कोलोनाइजेशन क्षेत्र के सम्बन्ध में सुपरिंटेंडेंट तराई भावर का भ्रम दूर कर दिया गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि लगभग ३०० एकड़ जमीन जो पहले विनोबा जी को दान में दी गयी थी उसको सुपरिंटेंडेंट तराई भावर ने वापस कर दिया है। यदि हां, तो क्या उस दान में प्राप्त भूमि को वापस लेने का प्रयत्न सरकार करेगी?

श्री चरण सिंह--नहीं मालूम है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--यदि जो बात मैंने कही है वह सही है तो क्या सरकार उस भूमि के दान को अंगीकार करने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--यह तो कुछ मुश्किल सा लगता है लेकिन अगर तिवारी जी मेरे कमरे में तशरीफ लायेंगे तो मैं इसकी कोशिश करूंगा।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार यह कृपा कर बतलायेगी कि तराई भावर में अभी तक दान में कितनी भूमि प्राप्त हुई है?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

***१६--श्री राम प्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)--[स्थगित किया गया।]

प्रवर समिति द्वारा संशोधित नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में परिप्रश्न

*१७--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह विधान सभा में शहरों की जमींदारी विनाश का विधेयक प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ कब तक पेश करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस समय प्रवर समिति की सुविधा के लिये नगरों में स्थित भूमि सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। उनके एकत्रित हो जाने पर ही वे प्रवर समिति के सामने विचारार्थ पेश किये जा सकेंगे। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। समिति की रिपोर्ट मिलते ही वह सदन में पेश कर दी जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आंकड़े इकट्ठा करने का फैसला गवर्नमेंट ने किया या किसी और की मांग के ऊपर ऐसा किया गया ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया था ताकि गवर्नमेंट खुद आंकड़ों से सुसज्जित होकर कमेटी के सामने पेश कर सके।

श्री इस्तफा हुसैन--यह सवाल आंकड़े इकट्ठा करने का कब पैदा हुआ ?

श्री चरण सिंह--पहले जिस पहलू से गौर हो रहा था उस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किये गये थे लेकिन जब दुबारा दूसरे पहलू से गौर करने की जरूरत पेश हुई और उसके लिये आंकड़े इकट्ठा करने के बारे में तय किया गया क्योंकि लैंड रिकार्ड्स अरबन एरिया में उतने सही नहीं हैं जितने कि देहात में, इसलिये यह दिक्कत पेश आयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन-कौन से पहलू से किन-किन आंकड़ों की आवश्यकता महसूस हुई जिनके आधार पर आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--पहले आंकड़े इकट्ठा किये गये थे कि किस-किस किस्म की जमीन काश्तकारों के पास किस-किस कस्बे में कितनी है, लेकिन अब यह आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं कि अनकल्टीवेटेड लैंड का कितना रकबा है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार बतायेगी कि इन रिकार्ड्स को ठीक करने के वास्ते कोई रिवीजन या सेटिलमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ?

श्री चरण सिंह--अगर सेटिलमेंट या रिवीजन हो जाय तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन इसमें बहुत देर लगेगी और बहुत पैसा भी खर्च होगा, इसलिये हमारी कोशिश है कि बिना इसके काम चल सके तो अच्छा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह आंकड़े कब से इकट्ठा हो रहे हैं ? कितने सालों से ?

श्री चरण सिंह--कई महीने हुए।

श्री नेकराम शर्मा--यह बिल कितने दिनों से पैंडिंग है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विषय में माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य दोनों ही एक नाव में हैं और दोनों ही अपनी-अपनी याददाश्त से अन्दाजा लगा सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रवर समिति की बैठक बिना आंकड़ों के इकट्ठा किये हुए नहीं बुलाई जा सकती ?

श्री चरण सिंह---बुलाई जा सकती है लेकिन उतनी मुफीद साबित नहीं होगी जितनी होनी चाहिये।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जनता की विशेष डिमांड है कि यह बिल जल्द से जल्द लागू किया जाय ?

श्री चरण सिंह---जनता तो देहात में रहती है जिसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है, शहरों में जिन लोगों पर इसका इफेक्ट होगा उनकी संख्या इतनी कम है कि उनको जनता कहा जाय या न कहा जाय इसमें सन्देह है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि शहरों में रहने वाले काश्तकारों पर उनके संबंधित जमींदार अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, अत्याचार कहीं भी नहीं होने दिया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये प्रवर समिति की बैठक जल्द से जल्द कब तक बुलाई जा सकती है ?

श्री चरण सिंह---३१ दिसम्बर से पहले पहले।

*१८-१९---**श्री शिव प्रसाद** (जिला देवरिया)---[१६ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उन्नत बीज भंडारों द्वारा बाजार भाव से भी अधिक दाम पर गेहूं की खरीद

*२०---**श्री नवल किशोर** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मई व जून सन् ५४ में बेसिक सीड स्टोर्स पर गेहूं किस भाव खरीदा गया ?

*२१---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त खरीद के समय बाजार में गेहूं का क्या भाव था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उत्तर प्रदेश में २३६ उन्नत बीज भंडार हैं। बीज खरीदने का भाव प्रति सप्ताह बदलता रहता है। मई व जून सन् १९५४ में उन्नत बीज भंडारों पर खरीदे हुये बीज की दर इत्यादि इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के जो समय एवं प्रयास इस कार्य में लगेंगे, एकत्रित सूचना उस कोटि तक लाभप्रद नहीं होगी। कृषि विभाग के वर्तमान आदेशों के अनुसार तहसील के कर्मचारियों द्वारा प्रति सप्ताह बताये गये बाजार भाव पर बीज खरीदा जाता है। माननीय सदस्य किसी विशेष बीज भंडार पर खरीदे हुये किसी विशेष समय के विषय में यह सूचना चाहें तो यह अवश्य एकत्रित की जा सकती है और यह भी बताया जा सकता है कि तहसील भाव क्या था। उन्नत किस्म के बीज के लिये तहसील की दर के अतिरिक्त १२ १/२ फीसदी तक बढ़ोतरी भी दी जाती है।

श्री नवल किशोर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बीज खरीदा जाता है वह सीधे मंडियों से ही खरीदा जाता है या जो बड़े-बड़े कल्टीवेटर्स हैं, उनसे खरीदा जाता है ?

श्री चरण सिंह—अव्वल तो जिनको बीज सवाई पर दिया जाता है उनसे लिया जाता है, फिर कुछ बड़े किसानों से भी लेते हैं और अगर फिर भी जरूरत होती है तो मंडियों से भी खरीदा जाता है।

श्री नवलकिशोर—क्या उनके विभाग में कोई ऐसी लिस्ट रहती है कि कौन-कौन बड़े-बड़े काश्तकार हैं जिनसे बीज लिया जाता है?

श्री चरण सिंह—सही तो नहीं कह सकता। लेकिन जरूर होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि बरेली के बेसिक सीड स्टोर ने बाजार भाव से भी अधिक दाम पर बीज खरीदा है?

श्री चरण सिंह—एक सीड स्टोर के विषय में शिकायत मिली है और उसकी तहकीकात हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उस बेसिक सीड स्टोर के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चरण सिंह—मैं अर्ज कर चुका कि तहकीकात हो रही है।

झांसी जिले की मऊ तथा गरोठा तहसीलों में अति वृष्टि के कारण बाढ़ से क्षति तथा पीड़ितों को सहायता

*२२—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले के मऊ तथा गरोठा तहसीलों की कई नदियों और नालों में अतिवृष्टि के कारण अचानक बाढ़ आने से कई गांवों और कस्बों को बहुत हानि हुई है और कई गांवों में सभी मकान गिर गये हैं? क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकतर हरिजनों के मकान बाढ़ से गिरे या बह गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

*२३—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार उक्त गांवों तथा कस्बों के नाम बताने की कृपा करेगी जिन मकानों के गिरने से अधिक क्षति हुई?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इन गांवों तथा कस्बों का नाम संलग्न सूची में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२४–२२५ पर।)

*२४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि इसी वर्ष इतने गांवों की क्यों कर हानि हुई जब इन्हीं नदियों की बाढ़ से इसके पूर्व कभी भी अधिक हानि नहीं हुई थी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इन नदियों में बाढ़ आने का कारण थोड़े समय में अत्यधिक वर्षा का होना है। ११ और १२ अगस्त के दो दिनों में १३.२७ इंच वर्षा हुई जैसा कि पहले कभी इतने थोड़े समय में इतनी अधिक वर्षा नहीं हुई।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार पीड़ित लोगों को रोजगार से लगाने और उनके लिये सुरक्षित स्थानों पर घर बनाने के लिये जमीन तथा आर्थिक सहायता देने के लिये शीघ्र कृपा करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सुरक्षित स्थानों के बारे में तो जो लोग वहां से हटना चाहेंगे उनके लिये जिलाधीश इंतजाम करेंगे, पता नहीं वह लोग हटना भी चाहते हैं या नहीं क्योंकि यह बाढ़ वहां हमेशा तो आती नहीं। सहायता तो उनको काफी दी गई है, दस लाख रुपया ग्रेटुइटस रिलीफ में और ४ लाख तकावी में दिया गया है और जितने उनके डयूज थे वह सब मुल्तवी कर दिये गये हैं। जहां तक रोजगार में लगाने की बात है तो वैसे तो सरकार के पास कोई बात है नहीं लेकिन अगर उनकी रोजगार की मांग होगी तो जैसे रोजगार के लिये औरों की सहायता सरकार देती है वैसे ही उनको भी रोजगार की सहायता दी जा सकती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--जिन नदियों के पानी से क्षति पहुंची है उनका रुख परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार आवश्यक जांच और कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--कलेक्टर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि अधिकतर बाढ़ का कारण थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा का होना है और कुछ नहीं है। लेकिन आवश्यक हुआ तो इसकी तहकीकात इंजीनियर द्वारा करा ली जायगी।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि झांसी जिले में जो बाढ़ से हानि हुई है उसमें हरिजनों के मकान कितने फीसदी हैं ?

श्री चरण सिंह--हरिजनों के मकान तो काफी गिरे हैं, आबादी के हिसाब से ज्यादा गिरे हैं लेकिन एक्जैक्ट परसेन्टेज क्या है यह तो नहीं बताया जा सकता है और यह ठीक है कि उनको काफी नुक्सान पहुंचा है।

श्री गज्जू राम--क्या सरकार इन हरिजनों को अपने मकान बनवाने के लिये कोई आर्थिक सहायता दे रही है ?

श्री चरण सिंह--दे रही है। १० हजार रुपया गैचुटस रिलीफ में जिनके मकान गिरे हैं उनको वह रुपया मिलेगा। हरिजनों के ज्यादा गिरे हैं उनको ज्यादा मिलेगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार, प्लानिंग विभाग द्वारा, हरिजन कालोनी उनके मकान जो झांसी में बाढ़ से बह गये हैं, बनवा देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--यह तो कलेक्टर को ऐक्ट में अख्तियार है कि जिनके मकान गिरे हुए हैं वह चाहें तो उनको बनवा सकते हैं। अब जब सब एक जगह बसेंगे तो जो अब तक उनको गांव कहते हैं अब कालोनी कहने लगेंगे।

राज्य के सरकारी गो-सदनों में पशुओं की संख्या

*२५--**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस राज्य में कुल कितने तथा कहां-कहां सरकारी गो-सदन हैं, उनके मुख्य निरीक्षकों अथवा मुख्य अधीक्षकों के क्या नाम हैं और किस गो-सदन में कितने पशु हैं ?

---

*तारांकित प्रश्न २५ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्रदेशीय सरकार के दो सरकारी गो-सदन हैं, एक मलगवां जिला इटावा में तथा दूसरा गरजिया सोत जिला नैनीताल में। इन गो-सदनों के निरीक्षकों तथा अधीक्षकों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

प्रत्येक गो सदन में पशु निम्न प्रकार हैं:

(१) मलगवां (जिला इटावा) .. १२५

(२) गरजिया सोत (जिला नैनीताल) .. ४२३

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२६ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गो-सदनों में जो पशु भेजे जाते हैं उनको छांटने के क्या नियम हैं और कहां-कहां से छांट कर भेजे गये हैं?

श्री चरण सिंह--छांटने का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि पहुंचते कम हैं रद्दी-रद्दी की हमें जरूरत है, छांटने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वहां जो इस समय पशु हैं, वह कहां से भेजे गये हैं या कहां से लिये गये हैं?

श्री चरण सिंह--बहुत सी जगह से आये हैं। कुछ गोशालाओं ने भेजे हैं, कुछ फार्म के जानवर बहुत रद्दी थे, वह बहुत थोड़े से चले गये हैं, और अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने भेजे हैं। आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि हमने अभी यह तय किया है कि जहां गो-सदन हैं उनके आस-पास के जिलाधीशों को या उनके प्रतिनिधियों को बुलायें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्रेसीडेंट्स को बुलायें और फिर यह तय करें कि जो स्ट्रे कैटिल उनके यहां देहात में घूमते हैं, कैटिल पांड्स में चले जाते हैं, नीलाम नहीं होते, वह किस प्रकार इन गोसदनों में पहुंचाये जा सकते हैं। दूर के जिलों से पहुंचाने में तो ट्रांस्पोर्ट का ज्यादा खर्चा होगा, वहां से तो पहुंच नहीं सकते।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गो-सदनों में पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध क्या किया है?

श्री चरण सिंह--वह जानवर ऐसे होंगे कि बीमार नहीं होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार ने भी इन गो-सदनों के मेंटीनेन्स के लिये कोई स्पेशल ग्रान्ट दी है?

श्री चरण सिंह--भारत सरकार अपना एक गोसदन अलग भी खोल रही है। हमारे गो-सदन के लिये भी हमको कुछ दे रही है या नहीं यह मुझे इस समय ठीक याद नहीं है। गालिबन ५० फीसदी रुपया हमको इसके खर्चे के सिलसिले में भी देती है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत यकीन के साथ फिलहाल नहीं कह सकता हूं।

*२६--**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)-- [स्थगित किया गया।]

*२७--**श्री इस्तफा हुसैन**--[स्थगित किया गया।]

*२८-२९--**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--[स्थगित किये गये।]

*३०-३२--**श्री रामलखन** (जिला बनारस)--[स्थगित किये गये।]

*३३-३४--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[स्थानान्तरित किये गये।]

कृषि विभाग में सहयोग देनेवाले अमरीकन विशेषज्ञ

*३५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्रदेश के कृषि विभाग में सहयोग देने वाले कई अमरीकन विशेषज्ञ सेवा से मुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं ?

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस समय कृषि विभाग में कितने अमरीकन विशेषज्ञ इस काम में योग दे रहे हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कृषि विभाग में तो इस समय कोई अमरीकन है नहीं। एक थे वे जितने दिन का उनका कांट्रैक्ट था वह खत्म हो जाने के बाद चले गये।

प्रतापगढ़ शहर में बस स्टेशन की इमारत का निर्माण

*३६—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रतापगढ़ शहर में बस स्टेशन की इमारत बनवाने को सोच रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*३७—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उसका काम कब से आरम्भ हो गया ?

श्री हुकुम सिंह—ज्योंही चुनी गयी जमीन हस्तान्तरित होगी।

आगरा शहर में सरकारी बसों का चलना

*३८—श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार आगरा शहर में सरकारी बस चलाने का विचार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बस स्टेशन की इमारत बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा ?

श्री हुकुम सिंह—वह तो एस्टीमेट देखने पर पता चलेगा। इस वक्त एस्टीमेट मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर के कौन से रूट पर सरकारी बस चलाने का विचार कब से है ?

श्री हुकुम सिंह—शहर में।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह बस चलाने का विचार कब से है ?

श्री हुकुम सिंह—कोई ६ महीने से है।

नोट—प्रश्न ३५ श्री नेकराम शर्मा ने तथा प्रश्न ३६–३८ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उसका ६ महीने से विचार है वह कब से बस चलाना शुरू कर देगी ?

श्री हुकुम सिंह--ढाई तीन महीने और लगेंगे गालिबन ।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर और कछार के इलाके में चारे के अभाव में पशुओं की मृत्यु तथा चारे का प्रबन्ध

*३९--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला में तहसील सलेमपुर और कछार के इलाके में इस समय मवेशी चारे के अभाव में मर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

*४०--श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार की तरफ से चारे का क्या प्रबन्ध किया गया है और वह आज तक कितना देवरिया जिला में पहुंचाया गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अभी तक इस जिले में भूसे के ४ वैगन प्राप्त हुये हैं तथा और भी वैगन शीघ्र पहुंचने की सम्भावना है ।

*४१--श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में कुल कितने मवेशी हैं और उनमें से इस समय चारा के अभाव में कितने मर चुके हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--देवरिया जिले में कुल १८०१७२२ मवेशी हैं जिनकी सूची संलग्न है। चारे के अभाव से इस जिले में पशुओं के मरने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि चार वैगन भूसा जो अब प्राप्त हुआ है उसके पहले २९ डब्बे लम्बी घास मंगा कर वितरित की गयी, १० डब्बे भूसा वितरित किया गया और ३० डब्बे घास सम्भवतः और भी पहुंच गयी होगी इसके पहले ही। ये चार वैगन जो जवाब में कहा गया है यह तो इधर का है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२७ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर उन्होंने दिया है यह पिछले वर्ष से संबंधित है या इस वर्ष बाढ़ के बाद का है ?

श्री चरणसिंह--दोनों के सम्बन्ध में ।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय कृषि मंत्री जी को इसकी सूचना मिली है कि अभी इस वर्ष भी पिछले वर्ष के छूटे हुए हजारों पशु लोगों के खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--अगर छूटे हुए पशुओं से मतलब स्ट्रे पशुओं से है तो वह तो हर जिले में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं।

नोट--तारांकित प्रश्न ३९-४१ श्री गेंदा सिंह ने पूछे।

बुलन्दशहर जिले में हिण्डन नदी से ग्राम गढ़ी चौखंडी व अल्ली बिरदीपुर को क्षति

*४२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुआबा हिंडन व जमुना (जिला बुलन्दशहर) में हिंडन नदी से ग्राम गढ़ी चौखंडी व अल्ली बिरदीपुर बिलकुल कट गये हैं ?

श्री चरण सिंह--जी हां, दोनों ग्राम लगभग बिल्कुल कट गये हैं।

*४३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन गांवों के लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने में, भूमि तथा आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह--इन ग्राम वासियों ने स्वतः अपना अपना घर खतरे से लगभग २ फर्लांग दूर सुरक्षित स्थान पर बना लिया है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि बुलन्दशहर जिले के इन दोनों गांवों के काफी लोगों को अभी तक जमीन न मिलने के कारण और धनाभाव के कारण कोई भी स्थान रहने के लिये ठीक नहीं मिल सका है ?

श्री चरणसिंह--यह गलत है। एक एक डेढ़ डेढ़ फर्लांग की दूरी पर इन लोगों ने अपने मकान बनवा लिये हैं।

हिण्डन-जमुना द्वाबा को बाढ़ से बचाने की योजना

*४४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार दुआबा हिंडन व जमुना को बाढ़ से बचाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--सम्पूर्ण हिंडन और जमुना के द्वाबा क्षेत्र में केवल एक भाग ऐसा है जिसे बाढ़ से हानि की सम्भावना रहती है। यह भाग जिला सहारनपुर में जमुना के बायें तट पर निम्नतल क्षेत्र में स्थित है और इसमें लगभग २० गांव आते हैं। इस भाग को बाढ़ से बचाने की योजना बनायी जायेगी और उसके लिये सर्वे का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि बुलन्दशहर जिले में स्थान दनकौर में जहां यमुना और हिंडन नदी का संगम है उसके १५ मील के क्षेत्र में लोग हर वर्ष बाढ़ से पीड़ित होते हैं ?

श्री चरण सिंह--यह सच है कि जब साधारण बाढ़ आ जाती है तब पीड़ित होते हैं। हर साल नहीं होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बुलन्दशहर जिले के उस क्षेत्र का जहां हिंडन और यमुना का संगम है सर्वे कराने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह तो जवाब में दे दिया गया है कि जितना दोआबा का क्षेत्र है जहां बाढ़ की सम्भावना है।

श्री चरण सिंह---नहीं नहीं। सहारनपुर के जिले में केवल २० मील की लम्बाई में बाढ़ आती है और उसके सिलसिले में गवर्नमेंट निश्चय कर चुकी है कि सर्वे किया जाय और वह सर्वे अक्तूबर में शुरू हो जायगा। अब तक हमारे इंजीनियर्स के मुताबिक वहीं बाढ़ आती है और कहीं नहीं आती।

तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में भूमिधरों से पूरे लगान की वसूली

*४५---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन्होंने अपने लगान का दस गुना जमा करके सनदें प्राप्त कर ली हैं, फिर भी इनसे पूरा लगान वसूल कर लिया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---११२ खातेदार।

*४६---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल**---क्या सरकार इनका आधा लगान वापिस करने का प्रबन्ध करेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---उपर्युक्त खातेदारों से अधिक वसूल की हुई मालगुजारी उनकी रबी १३६१ फसली की मालगुजारी में मुजरा कर दी गयी है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि अभी रबी १३६१ में इन खातेदारों में से बहुत से खातेदारों को मुजराई नहीं दी गयी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुझे तो जो सूचना है वह यह है कि उनसे जो ज्यादती वसूल किया गया है वह मुजरा कर दिया गया है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---यही तो मैं सरकार से चाहता हूं कि जांच कराये। मेरा कहना है कि रबी १३६१ में मुजराई बहुत से खातेदारों को नहीं की।

श्री चरण सिंह---११२ सख्श ऐसे हैं। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में अमेंडमेंट हो गया उसका अर्थ यह था कि जिस रोज से वह भूमिधरी की सनदें ले लें उसी रोज से उनकी मालगुजारी कम हो जायगी। लेकिन जो ओरिजिनल ऐक्ट था उसमें ऐसा नहीं था। तो इसलिये उन लोगों ने इन ११२ आदमियों से खरीफ १३६१ में रबी की फसल की पूरी मालगुजारी उनकी अपनी गलती से या कानून की नावाकफियत के कारण ले ली। अब आर्डर यह हो गये कि रबी की वह मालगुजारी मुजरा दे दी जाय। अगर नहीं दी गयी तो माननीय मित्र किसी केस को बतायेंगे तो मुजरा हो जायगी, या वहीं के कलेक्टर से बात कर लें।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---ऐसे भी काश्तकार हैं जिनसे पहले आधा लगान पिछली फसल में लिया गया लेकिन रबी १३६१ में उनसे भी पूरा लिया गया।

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अगर आप बता देंगे तो उसकी तहकीकात करा लेंगे और ठीक कर देंगे।

माल विभाग में भ्रष्टाचार के कारण कर्मचारियों का नौकरी से पृथक् किया जाना

*४७---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष माल विभाग में काम करने वाले कितने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक् किया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माल विभाग के अधीन काम करने वाले ४९ कर्मचारियों को गत वर्ष भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक् किया गया ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों के खिलाफ किस किस प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ?

श्री चरण सिंह---भ्रष्टाचार बहुत किस्म के हैं और उनकी शिकायतें हैं ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें तहसीलदार लोग भी बर्खास्त किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---इस लिस्ट में तहसीलदार नहीं हैं । सवाल यहां भ्रष्टाचार के सिलसिले में बर्खास्त हुए लोगों का है । उस साल कोई तहसीलदार इस जुर्म में बर्खास्त नहीं हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितने गजटेड और कितने नान-गजटेड आफिसर्स हैं ?

श्री चरण सिंह---यह सब नान-गजेटड हैं । तहसीलदार बर्खास्त हुए हैं । वह या तो मार्च सन् १९५३ के पहले हो गये या ५४ के बाद हुए । लेकिन इस एक साल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में बर्खास्त नहीं हुए, कम्पलसरिली रिटायर हुये हैं । ऐसों की तादाद जो रिवर्ट हुए हैं वह काफी है ।

गोरखपुर रोडवेज के मुअत्तल कर्मचारी

*४८---श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज में सन् ५२,५३,५४ में कुल कितने कर्मचारी मुअत्तल किये गये ?

*४९---क्या यह सही है कि ५२, ५२, ५४ से पूर्व के भी मुअत्तल केस अभी तक फैसल नहीं हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह---इन प्रश्नों से संबंधित सूचना अभी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर दे दी जायगी ।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इसी प्रश्न को एक वर्ष पूर्व सम्भवतः मैंने पूंछा था उसका भी उत्तर यही मिला था और आज भी यही मिल रहा है तो कब तक सूचना प्राप्त होगी, इसकी कोई अवधि होगी ?

श्री हुकम सिंह---मुझे याद तो नहीं है । लेकिन सम्भवतः ठीक हो जब मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं । जल्द से जल्द इसकी पूर्ति की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि एक ड्राइवर श्री राम विलास शर्मा का केस सन् १९५० से अब तक फैसल नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उत्पन्न ही नहीं होता । वह तो अभी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं ।

जौनपुर जिले में गोमती तथा सई नदी की बाढ़ से अनेक ग्रामों को क्षति

*५०--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गोमती तथा सई नदी की पिछली बाढ़ से किन-किन गांवों को क्षति पहुंची ? वह हानि किस प्रकार की थी और कितने कितने रुपये की थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--गोमती तथा सई नदी की पिछली (१९५३) की बाढ़ से जौनपुर जिले के क्रमशः ९१ तथा १०८ ग्रामों को क्षति पहुंची थी। इन ग्रामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

फसल तथा मकानों को जो क्षति पहुंची उसका कुल अनुमानित मूल्य १० लाख रु० है।

*५१--श्री नागेश्वर द्विवेदी--इन बाढ़ पीड़ितों को किस-किस प्रकार की और कितनी कितनी सहायता दी गयी और किस किस गांव को मालगुजारी में कितनी-कितनी छूट दी गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--बाढ़ पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता दी गयी--

	रु०
१--गृह निर्माण के लिये अहेतुक सहायता ..	३७७५-०-०
२--अन्य अहेतुक सहायता तथा बाढ़ से रक्षा सम्बन्धी व्यय ..	४१२४-६-०
३--घरों की मरम्मत अथवा उनके पुनर्निर्माण के लिये तकावी ..	३५००-०-०
४--बीज, बैल आदि के लिये तकावी ..	७९१७०-०-०
५--पूरे जिले की कुल ३,१८,८३९-१३-० छूट में से केवल गोमती तथा सई की बाढ़ से हानि वाले गांवों में मालगुजारी में छूट ..	५६०३२-१२-९

६--चारे की कमी की पूर्ति करने के लिये बाहर से भूसा मंगाकर किसानों को दिया गया।

७--कुछ गांवों में जरूरतमंदों को कपड़ा भी बांटा गया।

*५२--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा कितना-कितना धन किस-किस प्रकार की सहायता के लिये भेजा गया था और उसमें से किस प्रकार खर्च किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले को सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न मदों के लिये स्वीकृत अनुदान तथा उस पर जितना व्यय हुआ उसका विवरण इस प्रकार है--

	स्वीकृत धनराशि	व्यय रु०	आ०	पा०
१--अहेतुक सहायता--				
(क) साधारण ..	१०,०००	४१२४	६	०
(ख) गृह निर्माण ..	१०,०००	३७७५	०	०
२--तकावी--				
(क) गृह निर्माण (कृषकवर्ग) ..	१०,०००	४९०५	०	०
(ख). गृह निर्माण (अकृषक वर्ग)	१०,०००	..	..	
(ग) बीज तथा बैल ..	१,००,०००	७९,१७०	०	०

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता में रकम दी गई इसका पूरा-पूरा वितरण किसकी लापरवाही से नहीं हुआ ?

श्री चरण सिंह--इसके सम्बन्ध में तहकीकात की जा रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सहायता का वितरण हुआ किस-किस तहसील में कितना-कितना हुआ ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह तो भिन्न-भिन्न तरह की सहायता है और सभी तहसीलों में दी गई है। किसी विशेष मद की जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहें तो उसके बारे में अलग से बताया जा सकता है। वैसे यह सारे जिले की सहायता का पूरा विवरण है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए किन-किन तहसीलों में किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी रकम मांगी गई थी ?

श्री चरण सिंह--मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत तफसील की बात हो जायगी। माननीय मित्र और हम बात कर लेंगे बाद में।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या आनरेबिल वजीर मेहरबानी फर्माकर बतायेंगे कि जो रकम बच गई है तकसीम होने से उसकी मजीद तकसीम कराने का कोई इन्तजाम वह कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--यह बाढ़ पिछले साल आयी थी। अब तकसीम करना बेकार होगा। यह मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में सन्तुष्ट नहीं है जिस प्रकार कि जौनपुर के जिले में रकम बिना तकसीम किये हुए अपने पास रखी गई थी और इसीलिए उसकी तहकीकात की जा रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता वितरित की गई है उसकी अन्तिम तारीख कौन सी है ?

श्री चरण सिंह--सन् ५४ में भी की गई है।

इन्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के अंतर्गत पारित डिग्रियों में कार्यवाही

*५३--**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के मातहत जो डिग्रियां पास हो चुकी हैं उनमें अगली कार्यवाही कब तक शुरू होगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--एनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के मातहत जो डिग्रियां पास हो चुकी हैं उनमें अगली कार्यवाही १-९-१९५४ से शुरू हो गई है।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रेडीटर्स की कितने एमाउंट की डिग्री होगी।

श्री चरणसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जमींदारों की स्टेट्स इंकम्बर्ड इस्टेट्स में आ गई हैं, उनकी लायबिलिटी सरकार लेगी या नहीं ?

श्री चरण सिंह--जैसा कि कानून में लिखा है वैसा हम करेंगे माननीय मित्र कानून पढ़ने की कोशिश करें ।

प्रदेश के कतिपय जिलों में चकबंदी का कार्य

*५४--**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, ५४ से क्या सरकार प्रदेश के कई जिलों में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कराने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सरकार का विचार अक्तूबर, सन् १९५४ ई० से नहीं बल्कि जनवरी, सन् १९५५ से निम्नलिखित अन्य जिलों में चकबन्दी का काम प्रारम्भ करने का है--

मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, उन्नाव, बस्ती, फैजाबाद, जौनपुर और आजमगढ़ ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि किसी खास अवधि के अन्दर सारे प्रदेश में चकबन्दी हो जाय ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अन्दाजा तो यही है कि ६-७ वर्ष में सारे प्रदेश में चकबन्दी हो जाय। कोशिश यही की जायगी कि इस अवधि के अन्दर चकबन्दी हो जाय। जल्दी से जल्दी हो जाय हम तो यही चाहेंगे ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस आधार पर यह जिले चुने गये हैं ?

श्री चरण सिंह--हर कमिश्नरी के एक या दो जिले जरूर आ जायं इस आधार पर और जहां पर मित्रों का बहुत इसरार था इस आधार पर यह जिले चुने गये हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किस तहसील में चकबन्दी शुरू की जा रही है ?

श्री चरण सिंह--हमने जिलाधीश से मशविरा लिया है उन्होंने एक तहसील का नाम लिख कर भेजा है । लेकिन गवर्नमेंट बाद में तय करेगी कि किस तहसील में शुरू की जाय लेकिन जिले से इगलास की सिफारिश आयी है ।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के किस जिले में चकबन्दी की योजना शुरू करने की सूचना है ?

श्री चरण सिंह--हमारी फेहरिस्त में जहां हम चकबन्दी करना नहीं चाहते हैं या जहां नहीं हो सकेगी उसमें बांदा जिला शामिल नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह मेहरबानी करके फरमायेंगे कि क्या वह इरादा रखते हैं कि गोंडा जिले को भी इसमें शामिल कर लें ?

श्री चरण सिंह--जी हां, जरूर शामिल करेंगे, लेकिन साल भर के बाद ।

श्री जोरावर वर्मा--अभी माननीय जगपति सिंह ने सवाल पूछा था बुन्देलखंड में चकबन्दी के सम्बन्ध में तो उसका जवाब उन्होंने यह दिया है बांदा के वास्ते तो क्या कोई और जिला है जो इसमें आयेगा ?

श्री चरण सिंह--जालौन जरूर आयेगा, लेकिन जो तीन जिले हैं---हमीरपुर, झांसी और बांदा वगैरा तो वहां पर भी इसके करने का विचार है। लेकिन वहां की जमीन ऐसी है कि चकबन्दी करने में कठिनाई होगी जैसे कि पहाड़ी इलाके में होती है। वहां की जमीन भी ऐसी ही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जिन जिलों में पहली जनवरी से चकबन्दी होने वाली है तो क्या पहले किन्हीं खास तहसीलों में शुरू की जायगी या सारे जिलों में एक साथ ?

श्री चरण सिंह--फर्रुखाबाद की सदर तहसील में सबसे पहले शुरू होगी।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले को इसमें शामिल करने के लिये काफी आग्रह किया गया था लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया गया है ?

श्री चरण सिंह--आग्रह का पैमाना तो यह है कि कई बार कहा गया। मुमकिन है कि श्री शिवकुमार जी ने मुझसे कहा हो, लेकिन मैं भूल गया। जिनका आखिर तक आग्रह चलता रहा उनको लिया जा सका है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में किस तहसील से चकबन्दी आरम्भ होगी ?

श्री चरणसिंह--सिकारिश अनूपशहर तहसील की आयी है।

बस्ती जिले में लगान वसूली के लिए नियुक्त अमीनों का वेतन

*५५---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में लगान वसूली के लिये जो अमीन नियुक्त है, उनका मासिक वेतन वसूली की रकम के आधार पर दिया जाता है अथवा उनका कोई निश्चित वेतन है ?

श्री चरण सिंह---सम्मिलित संग्रह योजना के अन्तर्गत नियुक्त अमीनों को ६०---४---८०---५---१२० रु० के वेतन-क्रम में निश्चित वेतन दिया जाता है न कि वसूली की रकम के आधार पर।

जिला बनारस में ग्राम कुरहना तथा डेरवां के बीच तीन नालों से कृषि योग्य भूमि का कटाव

*५६---**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि चहनियां बनारस रोड पर ग्राम कुरहना तथा डेरवां, परगना महुवा, जिला बनारस के बीच तीन नाले गंगा जी में गिरते हैं ?

श्री चरण सिंह---जी हां।

*५७--श्री उमाशंकर तिवारी (अनुपस्थित)---अगर हां, तो क्या इन नालों के बहाव से हर साल सैकड़ों बीघा जमीन की खेती करने योग्य है, कटती जा रही है ?

श्री चरण सिंह---इनके बहाव से थोड़ी बहुत जमीन अवश्य कटती है।

*५८--श्री उमाशंकर तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस कटाव को रोकने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह---उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४, बन गया है। इसको प्रचलित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। कटाव की गहनता के अनुसार एक के बाद दूसरे जिले में भूमि संरक्षण कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जायगा।

अतारांकित प्रश्न

द्वाबा हिन्डन व जमुना, जिला बुलंदशहर में मवेशी अस्पताल बनाने की योजना

१--श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वाबा हिन्डन व जमुना, जिला बुलन्दशहर में वह एक मवेशी अस्पताल बनाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

गाजीपुर जिले में कुशही और खरौना गांवों की भूमि का गोमती से कटाव

२--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कुशही और खरौना गांवों की सारी बस्ती तथा खेत गोमती नदी से कट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नदी के रुख को मोड़ने तथा इन गांवों के बाशिन्दगान को कहीं ऊंचे स्थान पर बसायेगी ?

श्री चरण सिंह---ग्राम कुशही गैर आबाद गांव है, अतः उसे अन्यत्र बसाने का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम खरौनी गोमती के तट पर स्थित है अतः कुछ न कुछ कटता रहता है, परन्तु यहां के निवासियों की ओर से अन्यत्र बसने की कोई प्रार्थना सरकार को नहीं मिली है।

खेती को इन गांवों में जो क्षति पहुंचती है उसके लिये नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी जाती है। नदी के रुख को मोड़ने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रक्रिया नियमावली में परिवर्तन करने के लिए तथा सदन का कार्यक्रम निश्चित करने के सम्बन्ध में दो समितियों के निर्माण का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इस सदन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने की मुझे सूचना दी थी और वह चाहते हैं कि एक संकल्प इसके लिए वह उपस्थित करें। इसके पेश्तर भी, पहले श्री केशव गुप्त जी ने यह सुझाव दिया था कि यहां के नियमों में परिवर्तन करने के लिए सदन की एक समिति बना दी जाय जिसमें कि विचार हो सके। क्योंकि बहुतों के सुझाव हो सकते हैं, इसलिये मेरी राय है कि एक-एक नियम को परिवर्तित करने के लिये अलग-अलग

[श्री अध्यक्ष]

संकल्प करने के बजाय यदि सदन की एक समिति बना कर उसके सामने सब सुझाव आ जायं, और नियमों में कौन-कौन से और किस प्रकार परिवर्तित होंगे, उस सम्बन्ध में समिति द्वारा सदन के सामने सुझाव आ जायं तो अधिक उचित होगा।

दूसरी एक बात श्री केशव गुप्त जी के सुझाव में और थी कि सदन में किस प्राथमिकता से या कितने समय तक विचार करने के लिए कोई विधेयक या कोई संकल्प या जो कोई कार्यक्रम सदन का होता है वह हुआ और इस सम्बन्ध में निश्चय करने के लिये एक बिजनेस कमेटी बना दी जाय। और कई प्रान्तों में विधान सभाओं ने अपने यहां बिजनेस कमेटी यानी सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय करने वाली एक समिति बना दी, जो सरकारी कार्यक्रम पर पहले विचार कर लेती है और उसके निश्चयानुसार सदन का कार्यक्रम हुआ करता है क्योंकि यह प्रश्न बार बार सदन में उठाया जाता है कि इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा, यह प्रश्न पूछते हैं बहुत से सदस्य। उसके फिर कार्यक्रम बनाने के बाद भी उसमें परिवर्तन सरकार बीच बीच में करती है। इसमें बहुत से लोगों को आपत्ति भी होती है। उधर सरकार के लिए भी कठिनाई इस बात की होती है कि जब कभी किसी विषय में कुछ गरमा गरमी हो जाय, तो छोटा से छोटा विधेयक क्यों न हो, वह समय ज्यादा ले लेता है, और महत्वपूर्ण विधेयक कभी कभी कम समय में पारित हो जाते हैं। जितना विचार उन पर होना चाहिये उतना विचार उन पर नहीं किया जाता।

इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये अगर एक कार्यक्रम निश्चित करने वाली समिति सदन की बन जाती है तो वह विचार कर लेगी कि कम से कम किसी विधेयक या अन्य कार्य पर कितना समय लगना उचित होगा। इसके बाद सदन को सदैव अधिकार रहता ही है कि कोई परिवर्तन समिति के निर्णय में आवश्यक समझे तो उसमें करे और उक्त समिति की कार्यवाही चलाने के नियम भी बना लिये जायं। इस सम्बन्ध में जहां तक मैंने मालूम किया है और सब दलों से पूछने के बाद मुझे यह पता लगा है कि इस तरह की समिति वह चाहते हैं जिसमें सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

तो मैं सदन के सामने यह भी प्रश्न रख देता हूं कि वह सदन की तरफ से समिति बना देना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। या सदन की ऐसी समिति बनाने का अधिकार जो कि सब दलों को हो मुझे सदन देता है। ये दो तरीके हो सकते हैं। तो जो सुझाव इस सम्बन्ध में हों वे इस सदन के सामने पेश हो सकते हैं। मैं इन दोनों समितियों के निर्माण के प्रश्नों को सदन के सामने रखता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी फर्माया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह की एक कमेटी बन जाय। साथ ही इससे भी सहमत हूं और यह मेरा प्रस्ताव है कि वह कमेटी आप ही बना दें बजाय इसके कि हाउस में कुछ नाम आयें। सब के प्रतिनिधि उस कमेटी में हों और यह कमेटी आप स्वयं बनाने की कृपा करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मैं माननीय चरण सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं कि आप स्वयं ही समिति के सदस्यों की नियुक्ति करें। यही उचित तरीका रहेगा और मैं समझता हूं कि इस प्रकार समिति लाभदायक कार्य कर सकेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि समिति के सदस्यों की नामजदगी आप ही करें, लेकिन बिजनेस कमेटी एक अलग कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि उसका नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसे अलग से ही बनाने का सुझाव दिया है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना आपने सोमवार को कहा था कि बजट जब पेश होगा.....

श्री अध्यक्ष---पहले यह प्रश्न समाप्त हो जाय।

श्री जोरावर वर्मा---एक चीज मुझे यह कहनी है कि भूमि व्यवस्था अधिनियम जो पेश हुआ है.....

श्री अध्यक्ष---अभी यह प्रश्न सामने नहीं है। मैंने अभी सदन के सामने जो प्रश्न रख दिया है उसके बारे में अगर कुछ आपको कहना हो तो कह सकते हैं।

(श्री जोरावर वर्मा के बैठ जाने पर कुछ रुक कर)

तो अब मैं यह समझ लेता हूं कि सर्वसम्मति से सदन यह अधिकार मुझे देता है कि दो समितियां मैं बना दूं, एक तो बिजनेस कमेटी और दूसरी नियमों में परिवर्तन करने के लिये सुझाव देने के लिये समिति। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि मैं कुछ समय उक्त समितियों के लिये निर्धारित कर दूंगा ताकि समितियां उस काल के भीतर अपनी सिफारिशें सदन के सामने पेश कर दें और उनके अनुसार फिर कार्य होगा। अभी फिलहाल बिजनेस कमेटी जो बनेगी, नियमों में तो ऐसी कोई कमेटी का जिक्र है नहीं, वह एक प्राविजनल कमेटी रहेगी और कुछ समय तक वह कार्य करेगी और वह यह भी सुझाव देगी कि उसकी कार्यवाही के नियमादि क्या होंगे और जब सदन की कार्यवाही के नियमों में उचित परिवर्तन हो जायगा उस वक्त सदन की फिर से वैधानिक कमेटी बनेगी जो साल भर के लिये या तीन साल के लिये जैसा भी नियमों में होगा उस काल के लिये वह बनेगी। फिलहाल यह कमेटी जो मैं बना दूंगा तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नियमों के अनुसार दूसरी कमेटी न बन जाय।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में संशोधन रखने पर आपत्ति

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---श्रीमन्, यह जो विधेयक पेश है इसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में संशोधन आये हैं। क्या सभी भाषाओं में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं या एक ही भाषा में?

श्री अध्यक्ष---कौन सा विधेयक है?

श्री जोरावर वर्मा---पृष्ठ ६ पर श्री ब्रजवासी लाल और अतहर हुसैन ख्वाजा के संशोधन हैं जो अंग्रेजी में हैं और बाकी सब हिन्दी में हैं।

श्री अध्यक्ष---जिस वक्त वे सामने आयें उस वक्त आप आपत्ति कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२८-२२९ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि विधान के अनुसार यह मनी बिल माना जायगा तो गवर्नर महोदय की स्वीकृति इस पर आ गई होगी।

श्री अध्यक्ष---अनुमति आ गई है। मैं समझता हूं कि सूचना दे देनी चाहिये और यह कह देना चाहिये था कि गवर्नर महोदय की अनुमति से यह पुरःस्थापित होता है ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, यह बिल मैं माननीय राज्यपाल की अनुमति से यहां पर पेश कर रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे आपत्ति इस संबंध में है कि वह माननीय राज्यपाल की अनुमति खासतौर से माननीय परिवहन मंत्री को ही मिलेगी न कि माननीय राजस्व मंत्री को जो कि यहां पर इस प्रस्ताव को रखने में समर्थ हो सके।

श्री अध्यक्ष---यह अनुमति हमारे दफ्तर में आ चुकी है जो कि इस विधेयक के संबंध में है। वह किसी खास मंत्री के संबंध में नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि यदि माननीय परिवहन मंत्री को ही अनुमति मिली होती तब भी संयुक्त जिम्मेदारी होने के कारण कोई भी मंत्री उसको यहां पर पेश कर सकता है।

श्री जोरावर वर्मा---आज का दिन तो बजट के लिये था.....

श्री अध्यक्ष---आप गलतफहमी में हैं। मैंने उसी वक्त जाहिर कर दिया था कि यह तिथि परिवर्तित होकर २० और २१ तारीख रहेंगी ।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैंने एक प्रस्ताव आइटम नम्बर ३ के संबंध में आपके पास भेजा है। मैं आपका आदेश चाहूंगा कि इस आइटम नम्बर ३ को उस प्रस्ताव के पहले पेश करना मुनासिब होगा या बाद में?

श्री अध्यक्ष---यह तो इस प्रकार का है कि जो बाद में भी आ सकता है। मैं समझता हूं आप इसको कल पेश करें। मैं आज सदन को इसकी सूचना दे दूंगा और तब सदस्य भी उस पर विचार कर लेंगे।

*उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक अभी गत मई मास में इस सदन में पेश हुआ था और मैंने उसको एक प्रवर समिति के सिपुर्द करने के विषय में एक प्रस्ताव पेश किया था। उस समय इस पर बहस नहीं हो सकी। सदन ने यह तय किया था कि जब प्रवर समिति से प्रतिवेदन आ जाय उस समय बहस कर ली जायगी ।

यह विधेयक दूसरा विधेयक है जो भूमि व्यवस्था अधिनियम के संशोधन के विषय में गवर्नमेंट की तरफ से इस विधान मंडल के सामने पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कुछ सज्जनों को शायद इस सिलसिले में यह शिकायत हो कि साहब इतनी जल्दी दूसरा संशोधन विधेयक भी आ गया इसके संबंध में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, बाद में जब जवाब दूंगा तब अर्ज करूंगा, अब तो मैं केवल उन १५-२० बड़े-बड़े संशोधनों का जिक्र करूंगा जो हम करने जा रहे हैं।

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

पहला संशोधन यह किया जा रहा है कि धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (ह) के अनुसार वह लोग जो २५० रुपया से कम के मालगुजार थे या जो मालगुजार नहीं थे, बल्कि काश्तकार थे, ऐसे लोगों के सीर के काश्तकार या शिकमी, क्षेत्रपति असमर्थ रहा हो तो वह अपने शिकमी या सीर के काश्तकारों को बेदखल करा सकता है। अब उन असमर्थताओं का हवाला धारा १० और १५७ में दिया गया है। ये दोनों असमर्थतायें प्रायः एक समान हैं, लेकिन कुछ विभिन्नाताएं भी हैं और उन विभिन्नताओं को दूर करने के उद्देश्य से संशोधन इस संशोधन विधेयक में रखा गया है।

दूसरा बड़ा संशोधन यह है कि केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर कि अधिवासी या सीरदार, अगर भूमिधर बनना चाहे तो उसको गुणक अधिक देना होगा क्योंकि वह जो प्रतिकर उस गुणक से आयेगा वह इवेक्यू लोगों को देना है वह इवेक्यू प्रापर्टी पुल में जायगा। इसलिये हमने दस की जगह १५ और १५ की जगह २० मल्टीपिल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसका असर बहुत बड़ी तादाद पर नहीं होगा, क्योंकि इवेक्यू प्रापर्टी का रकबा केवल ११० हजार एकड़ ही है, इसमें केवल एक या दो हजार इधर उधर होगा। इसलिये इसका असर बहुत कम तादाद पर होने वाला है, लेकिन चूंकि उनका सुझाव था इसलिये उनके मशविरे से ही हमने ऐसा किया है। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन इवेक्यू प्रापर्टी के मामलों में रेवेन्यू कोर्ट से उनका ज्यूरिसडिक्शन उठा कर इवेक्यू प्रापर्टी के जो आफिसरान हैं उनको दे रहे हैं ताकि समय बर्बाद न हो और मामले जल्दी से तय हो सकें।

तीसरा बड़ा संशोधन यह आ रहा है कि आजकल गांव समाज को कुछ जमीन इन्तजाम के लिये दी गयी है, उसको अगर गवर्नमेंट किसी सार्वजनिक कार्य के लिये लेना चाहती है तो उसको लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत कार्यवाही करानी होती है, जिसमें बड़ी देर लगती है, ऐसे कई मसले जेर गौर हैं जिनमें देर लग रही है। संशोधन यह है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी जमीन को गांव समाज या भूमि प्रबन्धक कमेटी से लेना चाहे, सार्वजनिक कार्य के लिये तो केवल एक नोटीफिकेशन जारी करके उसको ले सकती है। प्रतिकर देने का सवाल पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। जो प्रोसीजर है, जो जाब्ता है उसको हमने सरल कर दिया है।

चौथी बड़ी बात इसमें यह की जा रही है कि मौजूदा म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में यह है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है, या उसकी गफलत से या जानबूझ कर उस के द्वारा कोई सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो उसका हर्जा या मुआवजा उससे वसूल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई प्राविजन हमारे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में नहीं था, जिसको कि अब हम करने जा रहे हैं कि अगर कोई भूमि प्रबन्धक कमेटी का सदस्य दुरुपयोग करता है तो वह उसकी जिम्मेदारी होगी और उससे उसका हरजाना वसूल किया जा सकता है।

पांचवीं खास चीज हम यह करने जा रहे हैं कि अगर कोई भूमि प्रबन्धक कमेटी कोई गलती करती है, अर्थात् यदि वह मिसकन्डक्ट की दोषी करार दी जाती है तो उसको डिजाल्व किया जा सकता है और उसकी जगह दूसरी समिति बनाई जा सकती है, लेकिन अगर यह माना जाय कि उसके केवल एक सदस्य ने ही बेईमानी की है और बाकी ने ठीक काम किया है, तो मौजूदा कानून में उस एक आदमी को हटाने की कार्यवाही करने का कोई प्राविजन नहीं है। इसलिये अब यह प्राविजन किया जा रहा है कि उस एक मेम्बर को हटाया जा सके, चाहे वह चेयरमैन ही क्यों न हो।

छठा बड़ा संशोधन यह किया जा रहा है कि अब तक कोई भूमिधर या सीरदार जब तक कि वह असमर्थ न हो अपनी जमीन दूसरे को लगान पर नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि यदि समर्थ या एबिल होते हुये भी कोई अपनी जमीन शिक्षालय या एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना चाहे

[श्री चरण सिंह]

तो दे सकता है। आज सीरदार को हक नहीं है कि वह अपनी जमीन को गिफ्ट में दे सके या हिबा कर सके लेकिन इसके द्वारा उनको अधिकार दिया जा रहा है कि अगर वह किसी शिक्षालय को दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

सातवां संशोधन यह किया जा रहा है कि मौजूदा कानून में जो आर्डर आफ सक्सेशन है, उसमें कुछ विषमताएं थीं, उनको दूर किया जा रहा है। मसलन अविवाहिता पुत्री को हक मिला था, लेकिन जैसे ही वह विवाहित होती थी वह हक चाचा को मिल जाता है और उसके बाद विवाहित पुत्री को हक मिलता है,इसी तरह से बहिनों के लिये है।इसका मतलब यह है कि अगर वह अविवाहित रहे तब तो जायदाद उस के पास रहती है और अगर वह विवाह कर ले तो जायदाद चली जाती है,तो इस में संशोधन यह किया गया है कि चाचा का हक लड़की से या बहिनों से पहले होगा चाहे लड़की विवाहिता हो या अविवाहिता हो। और फिर इसके बाद हक चाचा के पुत्र के पुत्र का है और पुत्री और बहिनों का है चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित।

एक दो बातें और हैं जिनके बारे में संशोधन इसमें किया गया है। एक संदेह मौजूदा कानून में यह था कि वह स्त्रियां जिन्होंने कि विधवा होने के नाते सीरदार का हक प्राप्त किया और अब अगर वह भूमिधरी का अधिकार हासिल कर लेती है तो आया वह जो ऐबसोल्यू राइट जायदाद के हस्तान्तरण आदि के हैं क्या वे वही उसको भी हो जाते हैं क्योंकि सीरदार को हक इंतिकाल आज हासिल नहीं है लेकिन भूमिधर को हासिल है तो जो स्त्री ने इन्हेरिट किया था बतौर सीरदार के और अब वह उसने भूमिधर के अधिकार हासिल कर लिये तो क्या उसको राइट आफ ट्रांसफर मिला है? इसके संबंध में कुछ संदेह भी था अगर्चे हमारे जो लीगल ऐडवाइजर्स है उनके माइन्ड क्लियर हैं लेकिन फिर भी काफी इस सिलसिले में गलतफहमी है। तो उस गलतफहमी को साफ किया गया है। अगर कोई भूमिधरी का अधिकार कोई लिमिटेड ओनर हासिल करती है तो वह ऐक्सेशन होगा। उसका जो मौजूदा स्टेट्स है जहां तक जायदाद का ताल्लुक है अधिकार उसमें उसके ज्यादा नहीं हो जाते। जहां तक लीगल नेसेसिटी के लिये वह ट्रांसफर कर सकती थी अब भी कर सकती है।

इसके बाद एक संशोधन यह किया जा रहा है कि आज के कानून के मुताबिक सीरदार अगर अपने खाते को ऐबन्डन कर दे तो तहसीलदार उसको नोटिस देता है और पंचायत उस जमीन को रिज्यूम कर सकती है लेकिन मान लो कि एक शख्स के पास तीस एकड़ जमीन है। उनतीस एकड़ को वह अलग रखे और एक ही एकड़ पर काश्त करे तो लफ्ज उसमें है होल्डिंग ऐबण्डण्ड। यह कुल खाता तो छोड़ा हुआ नहीं माना जा सकता, चाहे उनतीस एकड़ में काश्त न किया हो लेकिन लज एबंडंड का पुराने टेनेन्सी ला में इस्तेमाल हुआ है और उस सिलसिले में बहुत से केस ला हो गये हैं तो उसका नतीजा यह है कि अगर अपने खाते में वह चाहे छोटे से छोटे हिस्से में काश्त करता हुआ हो तो वह होल्डिंग एबेंडेन्ड नहीं मानी जाती इसलिये जो मंशा विधान मंडल की इस अधिनियम में इस धारा को रखने का था वह खत्म हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है इसलिये एक संशोधन यह किया जा रहा है कि अगर वह अपने खाते के एक जुज को भी खाली रखता है और जुज के लिये यह किया गया है कि साढ़े बारह एकड़ से अगर कम है तो वह नहीं माना जाता। मान लो कि एक आदमी के पास भूमि कुल दस एकड़ है और अगर १० एकड़ खाली है तो वह रिज्यूम नहीं किया जा सकता। इरादा यह है कि जो बड़े-बड़े खाते हैं यानी जो लोग किसी कारण से सारी जमीन में काश्त नहीं कर सकते हैं या तो किसी और कार्य में लगे हुये हैं या उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनसे जमीन वापस ले ली जाय इसलिये हम उसमें यह साढ़े बारह एकड़ की शर्त अब रख रहे हैं।

इसके अवाला एक दिक्कत यह भी थी कि एबंडंडमेंट जो है वह ज्यादातर इंटेशन्स से वास्ता रखता है। एक आदमी कहता है कि साहब उसका तो काश्त करने का इरादा है या थोड़ा बहुत कर रहा है। यानी बिल्कुल ऐब्सोल्यूटली तो यह बात नहीं है। लेकिन बहुत कुछ उसकी ऐनीमस के ऊपर है। तो अदालतें अब तक मानती हैं कि वह नहीं छोड़ता है, खेती करने का इरादा

है या कर रहा है, खैर यह इतना महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन इस सिलसिले में है वह यह है कि भूमिधर हो या सीरदार हो अगर ३ साल तक लगातार अपनी जमीन में काश्त नहीं करता है, एबंडंडमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। उसकी नीयत का कोई सवाल नहीं है, तो कलेक्टर उसको नोटिस देगा और नोटिस देने के बावजूद फिर उसको जेरे काश्त नहीं लाता है तो कलेक्टर उस जमीन को दूसरे लोगों को उसकी तरफ से एक ऐसी मुद्दत के लिये जो नियम में रखी जायगी, हमारा इरादा है काफी लम्बी मुद्दत हो, दूसरे लोगों को काश्त पर दे दे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कुछ प्राविजन लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट में था जो कि मंसूख हो चुका, जब यह हमारा ऐक्ट बना तो मंसूख होता ही क्योंकि उसमें लफ्ज जमींदार, काश्तकार वगैरह ऐसे थे और उसमें कुछ नुक्स भी था, उससे गवर्नमेंट की मंशा पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि जमींदार को नोटिस दी गई उस ऐक्ट के मातहत उसने दूसरे आदमी को पट्टा लिख दिया, उसने खुद काश्त नहीं की तो गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं रह जाता, वह नुक्स उसमें से दूर कर दिया है और इस जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की वजह से जो और उसमें संशोधन करना जरूरी था, पहले के प्राविजन में वह करके अब उसके अन्दर रख रहे हैं।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह भूमिधर और सीरदार दोनों के लिये लागू होगा कि तीन साल तक अगर लगातार काश्त न करे तो कलेक्टर की तरफ से फिर मौका दिया जाय और अगर मौका पाने पर भी काश्त नहीं करता है तब गवर्नमेंट की जानिब से कलेक्टर को अधिकार होगा कि उस जमीन पर किन्हीं असामियों को लम्बी मुद्दत के लिये आबाद कर दे।

अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन यह है कि जो धारा १९८ के अधीन गांव समाज अगर जमीन तकसीम करती है तो सबसे पहला अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूर का है। हम भूमिहीन खेतिहर मजदूर के बजाय पहला स्थान इस संशोधन विधेयक के जरिये ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को दे रहे हैं। अगर कोई स्कूल हो, मदरसा हो, और उसको जमीन की जरूरत हो और गांव समाज के पास जमीन तकसीम करने के लिये खाली हो तो पहला हक एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन का होगा। सब गांवों में ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं हैं जिनको जमीन की जरूरत ज्यादा हो। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि पहले ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं को जमीन मिले, जिनसे उनकी सेवा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा कानून में एक दफा १७८ है जिसकी मंशा यह है कि ऐसी तकसीम किसी खाते में न हो सकेगी अगर तकसीम होने के बाद जो जुज या हिस्सा किसी एक हिस्सेदार को मिले वह सवा छै एकड़ से कम का हो। तो उसका मतलब यह था कि मान लो किसी के पास १२ एकड़ जमीन है और वह मर गया, उसके दो लड़के थे तो दोनों भाइयों में तकसीम हुई तो ६, ६ एकड़ आयी, तो तकसीम नहीं हो सकती। या किसी के पास १८ एकड़ जमीन है और तीन लड़के हैं तो ऐसी तकसीम नहीं हो सकती। अब हमारे यहां जो खाते हैं वह आधे तो ६ एकड़ से कम के हैं और आधे ६ एकड़ से लगभग कुछ बड़े बैठते हैं आधे से कुछ कम तो इसकी मंशा यह हुई कि तकसीम प्रायः बन्द हो गई या बिल्कुल ही बन्द हो गई। इसका यह मतलब हुआ कि इससे लोगों को तकलीफ होगी। इसलिये एक संशोधन यह किया जा रहा है कि अगर तकसीम कराने वालों की कुल जमीन का रकबा ३ एकड़ या ५ बीघा पुख्ता से ज्यादा है तो तकसीम उसकी हो सकेगी चाहे जो भी शेयर हो, जो भी हिस्सा किसी हिस्सेदार का आये, चाहे वह एक एकड़ का हो चाहे आधे एकड़ का हो। हां, पांच बीघे से कम अगर जमीन है तो उसका तकसीम नहीं होगा। ५ बीघे से कम जमीन बहुत कम लोगों के पास है और फिर इसमें प्राविजन यह है मौजूदा कानून में कि अगर तकसीम न हो तो आपस में उन्हीं दोनों में नीलाम करा दिया जायगा, उन्हीं दो या तीन हिस्सेदारों में। इसलिये यह इस पांच बीघे तक के खातों का तकसीम और न हो, आगे चलकर इसके लिये यह मुनासिब समझा गया कि यह प्राविजन रखा जाय और उससे बड़ा रकबा अगर हो तो चाहे जुज तीन एकड़ से कम क्यों न आ जाय, उसकी तकसीम हो जाय।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, हमको इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में एक धारा है, एक प्राविजन है कि चाहे जमींदार एबालिशन ऐक्ट में कुछ ही लिखा हुआ हो, जब चकबन्दी होने लगे तो तकसीम उन्हीं खातों की हो सकती है चाहे खाता आधे एकड़ का हो या एक एकड़ का हो। वहां राजकर्मचारी काफी होंगे। आसानी से मौके पर ही तकसीम कर देंगे। लेकिन तीन एकड़ से कम खातों की सारे सूबे में तकसीम खोल देने में समझा गया कि कोई सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं होती, बल्कि ख्वामख्वाह और खर्चा बढ़ता है और खाते ज्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों को और रोजगार नहीं दे सकते हैं इसलिये हमने उसको पूरी तरह रोका नहीं है। तीन एकड़ के नीचे के खाते की भी तकसीम हो सकती है, क्योंकि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स जब होंगी तो आधे एकड़ के भी खाते को अगर दो भाई तकसीम कराना चाहें तो उसकी भी तकसीम होती जायगी।

अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन यह है कि आज धारा २१२ जमींदारी एबालीशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अधीन अगर कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में आ रही थी अर्थात् ५ किस्म की भूमि आम रास्ते, आम चरागाह, तालाब, श्मशान या कब्रिस्तान और खलिहान, अगर ऐसी भूमि को जमींदारों के ८ अगस्त १९४६ के बाद और ३० जून सन् ५२ से पहले किन्हीं लोगों को उठा दिया और गांव वाले यह महसूस करते हैं कि उन्हें तकलीफ हो गई तो वह रिजोल्यूशन पास करें। उनकी ओर से या तो कलेक्टर दावा दायर करे, दीवानी में या खुद गांव समाज, गांव सभा भूमि प्रबन्धक कमेटी दावा कर दे अदालत दीवानी में, आज मौजूदा कानून यह कहता है। अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से वैसे ही मुकदमे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पैरवी नहीं हो पाती है और यह तो गांव के लोग हैं, यह हमारा तजुर्बा तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डों का है, गांव के लोग तो अपने कानून वगैरह को कुछ समझते भी नहीं हैं और फिर उनके पास ज्यादा धन भी नहीं है कि वे मुकदमों की पैरवी करें और दीवानी में दौड़ते फिरें। उनके लिये तो अपने मुकदमे की पैरवी मुश्किल हो जाती है। फिर गांव समाज की तरफ से कोई मुकदमा लड़ता रहे, उसके मवेशी घर पर बगैर चारे के पड़े रहें, वह अपना नुकसान करता रहे, यह बहुत मुश्किल बात है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से कई बार इस बात की इच्छा प्रगट की गयी थी कि इस तरह का संशोधन कानून में हो। मुझे बताते हुये खुशी होती है कि आखिर एक रास्ता निकल आया और उस तरह का संशोधन किया जा रहा है। यानी यह कि इस तरह का प्रस्ताव पास करे भूमि प्रबन्धक कमेटी। कलेक्टर या कलेक्टर की तरफ से असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास या डिप्टी कलेक्टर सरसरी तरीके से वह जमीन गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक कमेटी को वापस दिला दे। अब अगर जिसके कब्जे में से जमीन लेकर गांव पंचायत को दी जा रही है उसको अगर शिकायत है तो अदालत दीवानी में नग्बरी दावा दायर करे और गांव पंचायत बतौर मुद्दालैह के मुकद्दमे की पैरवी करेगी। इसमें आसानी होती है अध्यक्ष महोदय, दीवानी में जाने का हक तो हम किसी से ले नहीं सकते हैं, अपने संविधान के अनुसार नहीं ले सकते हैं और हर आदमी को अदालत में जाने का अधिकार है। जब किसी का हक लिया जाय तो उसको पूरा मौका अदालत में जाने का और उसकी बात सुनने का दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरसरी तौर पर ले लिया जाय और उसके बाद रेगुलर प्रोसीडिंग्स करने की जिम्मेदारी गांव समाज की न हो बल्कि उस शक्स की हो जिस ने जमींदार से इस तरह की सार्वजनिक भूमि हासिल की है

अध्यक्ष महोदय, आज अधिवासी लोगों के मुकदमे अदालत दीवानी में तय होते हैं। अगर यह प्रश्न है कि फलां शख्स अधिवासी है या नहीं तो अदालत दीवानी में जाना होता है, इसमें गरीब लोगों का ज्यादा खर्चा हो जाता है और वक्त भी ज्यादा लग जाता है। तो अभी इसके लिये एक आर्डीनेंस जारी किया गया था जिसकी मंशा यह थी कि किसी मुकद्दमें में जिसमें अधिवासी का प्रश्न हो तो वह अदालत माल में तय होगा और अपील भी अदालत माल में ही जायगी। इसके प्राविजन्स को इस विधेयक में माननीय सदस्य देखेंगे। यह जूरिस्डिक्शन के सिलसिले में संशोधन किया गया है जो काफी अहमियत रखता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो सब से बड़ा संशोधन किया गया है वह यह है कि आज के कानून के मुताबिक, धारा २३७ के मुताबिक, गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि जहां वह चाहे जिन इलाकों को नोटीफाई कर दे उन इलाकों में क्षेत्रपति लोग यानी लैंड होल्डर्स जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है तो अधिवासियों से, शिकमी काश्तकारों से बकदर ८ एकड़ जमीन और यदि जमीन कम है यानी मान लो ५ एकड़ है तो उतनी जमीन जिससे अपने पास वाली जमीन को मिलाकर ८ एकड़ हो जाय अथवा ३ एकड़ बेदखल कर ले। अध्यक्ष महोदय, इस धारा २३७ को डिलीट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसको इस लिये निकाला जा रहा है कि हमारे यहां जो १३६१ फसली के आंकड़े हैं उनके अनुसार ४४ लाख ३२ हजार खाते हैं, मैं होल्डिंग्स की बात कह रहा हूं यानी जोत है और उनकी कुल जमीन २१,१६,००० एकड़ है अर्थात् एक खाते में जमीन औसतन आधे एकड़ से भी कम पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, अगर ८ एकड़ जमीन को बेदखल करने का अधिकार सूबे के किसी भी इलाके, हिस्से, खाते, जिले या तहसीलदार में दे दें तो इसका मतलब यह हुआ कि कई कई आदमियों को एक शख्श बेदखल कर सकेगा क्योंकि ८ एकड़ तक बेदखल करने का अधिकार है। ऐसे भी मामले हो सकते हैं ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जहां एक दर्जन आदमियों को बेदखल किया जाय केवल एक आदमी की खातिर क्योंकि ८ एकड़ तक का तो मतलब यह है कि १६ आदमी भी बेदखल हो सकते हैं, अगर आधे आधे एकड़ का एक खाता है, क्योंकि खाते आधे एकड़ से भी कम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आंकड़े माननीय मित्रों को बतलाये। तो १६ नहीं, १२ सही, ८ सही, ५ सही, २ सही, देखना यह है कि आया इन लोगों को बेदखल कराया जाय या न कराया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि बेदखली के हक में कोई दलीलें नहीं हैं। दलीलें हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन दुनिया में जो भी कानून हो, जब कोई गवर्नमेंट बनाती है तो उसको तो कम्पेरेटिव दृष्टि से देखना पड़ता है कि अपेक्षतया जनहित का सम्पादन कौन सा कोर्स एडाप्ट करने में है, कौन सा रास्ता चलने में है। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक सर्वे भी कराया, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल यह था कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्होंने अपनी सारी जमीन दूसरे लोगों को काश्त पर दे दी। वह लोग अब क्या करें? जमींदारी तो खत्म हो गयी, जमीन शिकमियों के पास पहुंच गयी तो आगे उनकी गुजर कैसे हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें मोटी सी बात यह है कि अगर किसी शख्स ने अपनी जमीन लगान पर सारी दे दी है तो उसके लिये रास्ते तीन ही थे, या तो रोजगार करने लगा, तब गुजर होने लगी, या उसको लगान की इतनी आमदनी होती थी कि खाली बैठा रहता था और रोजगार कोई नहीं था और केवल लगान की आमदनी के बल पर गुजर कर सकता था और तीसरा रास्ता यह था कि जैसा कि आंकड़ों से साबित हुआ कि जिनके पास खुदकाश्त के लिए भी जमीन रह गयी थी और थोड़ी सी जमीन को एक दो आदमियों को काश्त पर दे दी। तीन ही पासिबिल कोर्स थे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिकमी पर उठाने के बारे में, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कोर्ट आफ वार्ड्स जो सरकार की एक संस्था है, उसने जो जमीन उठायी, उसको किसकी देन आप मानेंगे?

श्री चरणसिंह-- अब इसका तो इससे कोई वास्ता नहीं है। कोर्ट आफ वार्ड्स के तो वही माने हैं जो जमींदारों के हुआ करते हैं। जमींदारों के उठाने से जो होता वही कोर्ट आफ वार्ड्स के उठाने से होता है। बहुत से जमींदारों के मैनेजर्स को भी वही अख्तियार था, जिनकी जायदाद कोर्ट आफ वार्ड्स में नहीं गयी। तो यह प्रश्न दूसरा है।

मैं आपकी इजाजत से यह दोहराना चाहता था कि तीन ही रास्ते थे कि जिन आदमियों ने अपनी जमीन लगान पर उठायी। या तो उसने कोई और रोजगार किया,

[श्री चरण सिंह]

उसमें मेहनत नहीं कर सकता, लखनऊ शहर में रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जमीन नीलाम करा ली मोहनलाल गंज में। पहले से शहर में रहते आये हैं। जमीन भी नहीं देखी है, सिर्फ दर्ज हो गयी, और उसके शिकमी हैं। या गांव में रहते भी हैं तो आकर वकालत करने लगे। या तो ऐसे केसेज हैं, जिनके पास रोजगार है, या दूसरे ऐसे हैं कि अगर रोजगार नहीं है तो बहुत बड़ा जमींदार था या बहुत बड़ा काश्तकार था, उसके लगान की आमदनी काफी होती थी। तीसरे ऐसे हैं कि खुद भी जमीन काश्त के लिए है और कुछ अपनी चीज शिकमी को दे दी। तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऐसे केसेज हैं कि जिन लोगों के पास रोजगार है, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी अगर उनकी जमीन बेदखल न कराई जाय, क्योंकि आज भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। या ऐसे लोग हैं जिनको लगान की बड़ी भारी आमदनी होगी, तो उनको तो मुआविजा बहुत ज्यादा मिलेगा। चालीस साल तक तो बेफिक्री है और इस बीच में अगर बांड्स को बेंच कर कोई फैक्टरी लगाना चाहे तो अपना कारखाना खोल सकता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ४० साल तक की कोई गारन्टी है? अध्यक्ष महोदय, गारंटी किस चीज की होती है? किसी चीज की नहीं। लेकिन आदमी जो स्कीम बनाता है उसके देखते हुये वह आज बात कहता है। और जो बांड्स दिये गये हैं ये चूंकि निगोशिएबिल और ट्रांसफरेबिल दोनों हैं तो जैसे और निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट्स एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पहुंचते हैं उसी तरह से ये बांड्स भी सारे सूबे में ही नहीं, बल्कि सारे देश भर में फैल जायंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट बाद में आयेगी वह दो बार नहीं बल्कि हजार बार सोचेगी इस तरह के बांड्स को डिवैलुएट या कैंसिल करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझको पूरी उम्मीद है कि परमात्मा न करे कि हमारे सामने बैठने वाले यह हमारे मित्र काम करना छोड़ दें और दूसरी पार्टी चुनाव में आ जाय, और जहां तक माकूलियत की बात है मुझे माननीय रामनारायण त्रिपाठी और गेंदा सिंह जी की माकूलियत पर इतना यकीन है कि अगर इन दोनों में से एक रेवेन्यू मिनिस्टर हो जाय तो इन बांड्स को कैंसिल या डिवैलुएट करने वाला नहीं है।

जहां तक तीसरी सूरत का ताल्लुक है कि जिन लोगों के पास जमीन आलरेडी अपनी काश्त के लिये है उनके लिये भी इन छोटे लोगों को बेदखल कराने का सवाल नहीं उठता। फिर भी तीन चीजों की तसदीक के लिये हमने ९ जिलों की ३७ तहसीलों में---३७ ही तहसीलें उन ९ जिलों में हैं---जिनमें कि अधिवासियों की तादाद सब से बड़ी थी, वहां जो हमारे स्टैटीस्टिक्स हैं उनसे कहा कि रैंडम सेम्पलिंग के जरिये, अर्थात् जिसमें कि उनकी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति का सवाल कुछ न रहे ऐसे गांव तलाश करके सर्वे करें और यह देखें कि वे लोग जिनके अधीन कि अधिवासी हैं खुद क्या काम कर रहे हैं। ३७ तहसीलों के ७४ गांवों में सर्वे हुआ और, अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस समय इतनी लम्बी बात कहने का नहीं था इसलिये मैंने अपने दफ्तर से मंगाया नहीं, परसेंटेज तो मुझको मालूम है, लेकिन आंकड़े ठीक नहीं मालूम हैं और आंकड़ों की कोई जरूरत भी नहीं है, परसेंटेज से ही काम चल जायगा और उसी से मतलब भी है, मालूम यह हुआ कि लैंड होल्डर्स जिनके अधीन ये शिकमी या अधिवासी हैं उनमें से साढ़े ८८ फीसदी के पास जमीन अपनी काश्त के लिये पहले से मौजूद है और ६ फीसदी ऐसे हैं जो दूसरा रोजगार करते हैं और ३--४ फीसदी ऐसे हैं जो ऐग्रीकल्चरल लेबरर हैं। मान लो किसी के पास आधा एकड़ या १० बिसवे जमीन आयी तो क्या काश्त करेगा। उसने वह जमीन दूसरे को दे दी और खुद मजदूरी कर रहा है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुल क्षेत्रपति हैं वे सारे सूबे के भूमिधर और सीरदारों के केवल साढ़े १६ परसेंट हैं।

अर्थात् साढ़े ८३ फीसदी भूमिधर और सीरदार ऐसे हैं जिनकी एक बिसवा जमीन अधिवासी के पास नहीं है। साढ़े पन्द्रह फीसदी या साढ़े सोलह फीसदी की जमीन अधिवासी के पास है और साढ़े सोलह फीसदी के साढ़े ८८ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास खुदकाश्त है, उनकी काश्त में जमीन मौजूद है। तो १०० में से साढ़े ८८ निकाल कर साढ़े ११ फीसदी केवल ऐसे बच रहते हैं अर्थात् कुल दो फीसदी ऐसे भूमिधर और सीरदार हैं जिन्होंने सारी जमीन अपनी दूसरों को दे रखी है और अपने आप कोई दूसरा रोजगार करते हैं। लिहाजा किसी खास गांव या इलाके में कोई नतीजा निकाल कर कोई बात कही जाय तो वह नतीजा कभी सही नहीं बैठेगा। अगर हम सारे सूबे का नकशा देखते हैं और सारे सूबे का औसत देखते हैं। इसलिये तकलीफ होगी सिर्फ दो फीसदी को, वैसे एक फीसदी रोजगार में लगे हुए हैं, और एक फीसदी कुल या तो ऐग्रीकल्चरल लेबरर हैं या मीनियल्स का काम करते हैं। यह तो वह लोग हैं जो काश्त नहीं करते हैं। उन्होंने दूसरों को दे दी है, उनके बस की नहीं है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय मित्र आज बेदखली के पक्ष में कहना चाहें मैं उस सब को मान लूं तो फिर दूसरा पहलू यह है कि अगर बेदखली जारी की जाय तो फिर क्या नतीजा होगा? वह भी हमें सोचना है, क्योंकि तोलना है। दफा १३३७ यह कहती है कि गवर्नमेंट जिस एरिया को चाहे नोटिफाई करे। लेकिन मानो, आज वह जौनपुर को नोटीफाई कर दे कि जौनपुर में अधिवासी बेदखल हो सकते हैं आठ एकड़ तक, तो कोई वजह है कि कल को बनारस वाले, गाजीपुर वाले, आजमगढ़ वाले यह मांग करें तो उसको क्यों न माना जाय? अगर एक जगह गवर्नमेंट करती है तो फिर सारे सूबे में वह नोटिफिकेशन करना होगा। या जिस जगह नोटिफिकेशन कर दिया है उसको कैंसिल करना होगा। यह नहीं हो सकता कि एक जगह बेदखली हो और दूसरी जगह न हो। तो मतलब यह होगा कि सारे सूबे में करना होगा। अगर सारे सूबे में बेदखलियां करा दी जायं तो प्रश्न यह उठता है कि ४४ लाख, और मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि ४४ लाख आदमी नहीं हैं खाते हैं, क्या होगा, मेरा ख्याल है कि दो से लेकर चार तक खाते एक एक आदमी के पास हैं, दो बिसवे के, छः बिसवे के, एक बीघे के, इस तरह से लोगों के पास हैं। तो कोई दस लाख से लेकर १५ लाख खान्दान, होंगे जो अधिवासी हैं। ४४ लाख खाते हैं। खातों के ही आंकड़े हमारे लैंड रेकार्ड्स में हो सकते हैं, फैमिलीज के नहीं हो सकते। तो ४४ लाख अधिवासी नहीं अधिवासियों के खाते हैं। तो १० से १५ लाख से ज्यादा फैमिलीज नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं साढ़े बारह लाख फैमिलीज मान लूं और वे बेदखल हों तो उनका क्या हो, कहां जायं? वे क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी उस अवस्था पर हम विचार करें कि उन बेचारों का क्या होगा तो मैं समझता हूं कि हममें से जितने भाई यहां बैठे हैं सब इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन लोगों का कोई इलाज नहीं है सिवा इसके कि उनको बेदखल न किया जाय। जो आदमी बिल्कुल सम्पत्तिहीन होता है उसकी मनोवृत्ति में और उस आदमी की मनोवृत्ति में जिसके पास कुछ भूमि है, दोनों में बड़ा अन्तर होता है। एक आदमी के पास २०० एकड़ भूमि है और दूसरे के पास २० एकड़ या ५ एकड़ भूमि है उन दोनों की मनोवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता लेकिन जिसके पास १ एकड़ भी भूमि नहीं है और जिसके पास है उन दोनों की मनोवृत्ति में बहुत अन्तर है। अगर यह १२-१२ लाख खानदान बेदखल हो जाते हैं तो यह चीज सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिये खतरनाक हो जाती है। जो विचारधारायें तो इस देश में शान्ति नहीं देखना चाहतीं उनको हम इमदाद करेंगे इन लोगों को बेदखल करा कर। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब माननीय मित्रों में से किसी ने कुछ बात कही तो जवाब के सिलसिले में अर्ज करूंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि दफा २३७ निकाली जा रही है और जब यह धारा निकल जायगी तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा के लिये वह दिन एक गौरव का दिन समझूंगा जिस रोज

[श्री चरण सिंह]

यह धारा निकाल दी जायगी क्योंकि इसका असर दूर तक ले जाने वाला था। साथ ही मौजूदा कानून के अन्तर्गत तो ५ साल के बाद ही अधिवासी भूमिधर बन सकेगा लेकिन इनको आज ही भूमिधर बनने का अधिकार दिया जा रहा है। क्या फायदा इन्तजार करने से, कोई फायदा नहीं। अध्यक्ष महोदय, जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म ऐक्ट के अनुसार उनके बंधन कट गये, वे किसी के मातहत नहीं रहे, उनके जो जमींदारों के साथ सामाजिक संबंध थे उनमें जमीन आसमान का अन्तर आ गया। जो बिल्कुल भूमिहीन थे वे गांव में रिआया या मजदूर कहलाते थे और जिनके पास जमींदारों के अनकल्टीवेटेड लैंड्स थे वे भी बहुत हद तक जमीदारों के अधीन थे, उनके भी बन्धन कट गये क्योंकि अनकल्टीवेटेड लैंड्स गांव समाज को दे दिये। न उनके मवेशियों को अब चरने से रोका जा सकता है, न वे कूड़ा या घूड़ा उठाने के लिये मजबूर हैं। मजदूर मजदूरी करेंगे पेट के खातिर, लेकिन यह नहीं है कि कोई जमींदार लाठी लेकर पहुंच जाय कि चलो हमारे खेत में हमारी रिआया हो। आज कोई किसी का रियाया नहीं है, काश्तकार नहीं है। लेकिन यह विषमता बनी हुई है कि जो लोग अधिवासी थे, जो लोग शिकमी थे वह अभी काश्तकार असली की जञ्जीर से बन्धे हुये थे या जो जिनकी सीर के गैर दखीलकार थे वह उनसे बन्धे हुये थे। जिस वक्त सरकारी अमीन सरकारी मालगुजारी वसूल करने के लिये गांव में जाता था तो उस समय हर एक अधिवासी उस दिन की बाट जोह रहा था कि वह दिन कब आयेगा जब कि वह मालगुजारी असली पुराने काश्तकार को न देकर अपनी मालगुजारी सरकार को सीधे देगा और सीधे अमीन उनसे मालगुजारी वसूल करेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसा दिन वह बहुत जल्द आनेवाला है और यह लोग जो असली काश्तकारों की जंजीर से बंधे हुये थे वह जंजीर अब उनकी कटनेवाली है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा संशोधन यह है कि आज हमारे यहां सीरदार अर्थात् पुराने काश्तकार जिन्होंने इस दूसरे महायुद्ध के बाद काफी काश्तकारी जमीन करली और उनका लगान, जो परते का लगान है, सरकिल रेट का लगान, उससे कहीं ऊंचा है और वह ऊंची मालगुजारी देते हैं। या ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्होंने दूसरे महायुद्ध के पहले ही जमीन ली थी लेकिन उसकी कीमत जमींदार साहबान की हमदर्दी की वजह से बहुत देनी पड़ी और उन लोगों ने बहुत बड़े लगान पर ली थी। जो सर्किल रेट है उससे दुगुनी और तिगुनी और चौगुनी पर उनका लगान है। ऐसे काश्तकार ज्यादा नहीं हैं सारे सूबे में, शायद हजार की तादाद हो लेकिन उनकी यह बात खटकती है कि उनके लगान में इस तरह का अन्तर रखा जाय। उन लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि जिन सीरदारों का लगान परते के लगान के दुगुने से ज्यादा है अर्थात् मालगुजारी परते के लगान के दुगुने से ज्यादा है वे लोग अपना लगान, अपनी मालगुजारी सरकिल रेट से दुगुना करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन गत कई वर्षों के अन्दर हमारे यहां ऐसी जमीन का हजारों एकड़ रकबा भी काश्त के अन्दर लाया गया जो कि परती कदीम पड़ी हुयी थी। जिस पर ५,७ साल से काश्त नहीं हुई थी पहले उस पर काश्त हुई और फिर नहीं हुई वह जमीन परती कदीम कहलाती थी। तो इस प्रकार की जमीन तोड़ी गयी। यही नहीं ऐसा भी हजारों एकड़ रकबा, जो बिल्कुल ऊसर था और जिस पर कोई काश्त नहीं हुई थी, उसको भी काश्त के अन्दर लाया गया। जो हमारे बहुत से भाई पंजाब से आये उन्होंने इसी लखनऊ जिले में बहुत सी ऊसर जमीन ली और हजारों और लाखों रुपया अपना लगा दिया। अब उनको कुछ आमदनी होने लगी है। ऐसा ही एक केस हमारे नोटिस में बुलन्दशहर का आया है और आगरा में भी एक ऐसा केस है कि वहां पर वह अपना अनुभव कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के जरिये से गवर्नमेंट कलेक्टरों को यह अधिकार देने जा रही है कि ऐसे लोगों की मालगुजारी कुछ मुद्दत के लिये कम कर दी जाय,

घटा दी जाय। जो सर्किल रेट का कायदा है उससे भी कम कर दी जाय। २ आना या ४ आना एकड़ मालगुजारी २, ४ साल के लिये कर दी जाय और फिर कुछ सालों के बाद सर्किल रेट के बराबर कर दी जाय। अगर ७, ८ साल तक उनकी मालगुजारी कम हो जाय तो उनको कुछ राहत मिल जायगी। आज गांवों और माननीय मित्रों के नोटिस में ऐसे बहुत से मामले होंगे कि साजिश द्वारा भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रधानों ने या गांव पंचायतों के प्रधानों ने अपने खिलाफ मुकदमे दायर कराये और बाद में तस्फिया कर लिया और उनकी बात को मान लिया। किसी जमींन के बारे में मान लिया कि यह कहा गया कि यह जमीन जमींदार से १५ मई, सन् ५२ को ली गयी थी अगर्चे कि ३० जून, सन् ५२ को उस पर कब्जा कर लिया गया था। अगर वह ५ किस्म की कौमन यूटीलिटी की लैंड्स में नहीं आती, फिर भी सभापति यदि साज खा जाय और कहे कि यह जमीन उसने ली थी तब वही उस जमींन का मालिक हो जायगा। इस प्रकार से कुछ स्थानों पर यह सार्वजनिक संपत्ति खुर्दबुर्द हो गयी। गो इस सम्बन्ध में मैं तफसील में कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी यह संकेत में कह देना चाहता हूं कि नियम ऐसे बनाये गये हैं जिससे जायदाद का दुरुपयोग न हो तथा वह नष्ट-भ्रष्ट न हो, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने यह जरूरी समझा कि एक नयी धारा ३४३ (क) के नाम से इसमें और बढ़ा दी जाय। वह यह है कि जब गांव समाज के ऊपर दावा हो तो खास किस्म के मुकदमे के लिए गवर्नमेंट या राजकर्मचारी या कलेक्टर भी उस मुकदमे का फरीक बनाया जाय, ताकि बाद में यदि तस्फिया या कम्प्रोमाइज हो तो बिना उसकी मरजी के फैसले न हो सकें।

इनके अतिरिक्त कुछ और छोटे-छोटे संशोधन हैं जो कि कानून के डिफेक्ट्स हैं, जो तजुरबे से मालूम हुए हैं। उन विषमताओं को दूर करने के लिये इस बिल में संशोधन लाये गये हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें कहनी हैं, वह यह है कि इस बिल में अधिवासियों को भूमिधर या सीरदार बनाने का एक मौका दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के जेरेगौर एक दूसरी तजवीज भी है कि जिससे उनको भूमिधर या सीरदार बनने के लिये इंतजार न करना पड़े और एक ही स्ट्रोक से वे सीरदार या भूमिधर हो जायं। इस मामले का मुकम्मिल तौर पर फैसला नहीं हुआ है। वह धारा २-३ दिन में आयेगी, और मैं समझता हूं कि तब तक माननीय मित्रों के सामने वह स्कीम भी आ जायगी। मैं आपकी इजाजत से यह कह देना उचित समझता हूं कि यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कहीं यह कहा जाय कि यह बात पहले नहीं बतायी गयी थी। क्योंकि यह एक जरूरी बात थी इसलिये मैंने उसको माननीय मित्रों के सामने अर्ज कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि आगे अधिवासी कोई नहीं रहेगा। केवल सीरदार, भूमिधर और आसामी रहेंगे। आसामी हमारे साथ जरूर रहेगा, क्योंकि असमर्थ लोग रहेंगे और होते रहेंगे। विधवा और नाबालिग लोग रहेंगे, जिनके आसामी होंगे इसी प्रकार से गांव समाज की जो टेम्परेरी जमींन होगी, जैसे नदी के तल की जमीन आदि, उनके काश्तकार भी गांव समाज के असामी होंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़ी तादाद में होंगे। इसके अलावा सिर्फ दो ही वर्ग रह जाते हैं, भूमिधर और सीरदार। आज जो मुकदमे अधिवासियों के अदालत माल में चल रहे हैं वे चलते रहेंगे, चाहे वे पहले से चल रहे हों या आर्डिनेंस के जरिये से चलाये गये हों, वे अदालत माल में ही चलते रहेंगे। इसके बाद मौजूदा कानून के जरिये से भूमिधर या सीरदार सब के मुकदमे अदालत दीवानी में तय होना चाहिये परन्तु इन मुकदमों के सिलसिले में एक विचार जरूर है कि ये मुकदमे अदालत माल में रहें या दीवानी में। अध्यक्ष महोदय, वह अभी विचार के क्षेत्र में है। दूसरी कठिनाई उसमें यह है कि हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं उनको अभी समय नहीं मिला और वह

[श्री चरण सिंह]

अब चाहते हैं कि इसके लिये अच्छा हो कि बाद में एक छोटा सा बिल आ जाय। अगर्चे मैं कोई भेद नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से कहना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि अधिक विलम्ब न लगाया जाय, क्योंकि लोगों का कहना है कि ज्यादा देर अब न होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अभी समय और लेंगे ?

श्री चरणसिंह--बहुत से बहुत २ मिनट और लूंगा, ५ मिनट से कम ही लूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि यह जरा ग़ौर करने की चीज़ है और जुरिसडिक्शन का मामला है. इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये और हो सकता है कि यह मामला भी कतई तौर पर तय हो जायगा। मैं आपकी इजाजत से इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक छोटा-सा बिल इस सम्बन्ध में पेश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने पर जहां तक भूमि व्यवस्था का सम्बन्ध है उसके मुताल्लिक जो नक्शा हमारे दिमाग में था वह कतई मुकम्मिल हो जायगा। छोटे-मोटे जो लेकुना हैं वह तो हमेशा रहते ही हैं और दूर होते भी रहते हैं, लेकिन जहां तक चित्र का या इस नक्शे का सम्बन्ध है वह इस बिल के पास होने के साथ-साथ पूरा हो जायगा और मुझे खुशी है कि इस काम को पूरा करने में हमारा सब का हाथ होगा और हमें अपने को खुशकिस्मत मानना चाहिये। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष--श्री जोरावर वर्मा जी ने मेरे पास संशोधन भेजा है कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय। मैं इसके बारे में फैसला दिये देता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति में इसे भेजने का संशोधन नियमानुकूल नहीं है। यह फिर से रिकमिट हो सकता है। नियम १०५ के अनुसार इस सदन की ही समिति को रिकमिट करने का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन संयुक्त प्रवर समिति के लिये वह नहीं आ सकता।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में इस समय विचार हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। यदि यह सेलेक्ट कमेटी में बगैर किसी आम वादविवाद के चला न गया होता और यह कार्य सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद न हो पाया था और इस समय हो रहा है तो इसमें थोड़ी परेशानी हमारी हो रही है कि नियम के अनुसार एक परिपाटी इस प्रकार की है कि जिस विधेयक में सिद्धांत के रूप में अगर विरोध की बात न हो तो फिर उसी के ऊपर सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात की जाय। यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था और उसमें सब की सलाह थी, इसलिये कुछ दिक्कत मुझे हो रही है किस प्रकार सारे विधेयक का विरोध करूं। थोड़ी दिक्कत और बढ़ जाती है जब कि माननीय राजस्व मंत्री अभी इस सदन में थोड़ी देर पहले इतने जोर के साथ इस विधेयक का समर्थन कर चुके हैं और इस पर जो भाषण उन्होंने दिया उसको सुनने से ऐसा मालूम होता था कि उनका एक बड़ा भारी जीवन का सपना पूरा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के भूमि संबंधी सुधारों और कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा और जब आखिर में उन्होंने यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भूमि सुधार संबंधी जो नक्शा है जो सपना है वह नक्शा पूरा हो जायगा यदि यह विधेयक सदन द्वारा पास कर दिया गया। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस दृष्टि से नहीं देखा था। इस विधेयक को माननीय राजस्व मंत्री जी के और इस सरकार के शब्दों में जो कुछ भी उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद मैं ऐसा समझता था कि जैसे आम तौर से कुछ विधेयक भूमि संबंधी आते हैं उसी प्रकार का यह भी है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आप देखेंगे इसके उद्देश्य और कारण को तो उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है "इवैकुई प्रापर्टी ला के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये उक्त अधिनियम में कुछ परिवर्तन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मालगुजारी संबंधी निदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के लगभग दो वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिनियम में वर्णित भूमि व्यवस्था योजनाओं में कुछ सुधार किये जा सकते हैं, विशेषतः अधिवासियों के विषय में और ऐसे खातों के क्षेत्र के संबंध में जिनमें खेती नहीं हुई है।" तो इसमें है कि कुछ सुधार किये जा सकते हैं। बस इस प्रकार के और जो दो, एक सेंटेंस आगे लिखे गये हैं, बहुत ही मामूली ढंग से हमारे सामने यह विधेयक पेश किया गया। सदन को अगर इस उद्देश्य में यह बात बतला देने की कृपा सरकार ने की होती कि अब इस विधेयक के लाने के बाद जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की सरकार का भूमि संबंधी सुधारों का नकशा है वह पूरा हो जाता तो मैं समझता हूं कि दूसरी दृष्टि से सदन में विचार करते और शायद सेलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश तो किसी भी हालत में हम लोग स्वीकार न करते। हम लोग जरूर यह कहते कि इस विधेयक का मूल तौर पर, बिलकुल सोलहों आने, हम विरोध कर रहे हैं और इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिये। जिस विधेयक में इस बात की गुंजाइश नहीं कि आज जो लाखों एकड़ जमीन ऐसे लोगों के पास मौजूद है, जो दूसरों की कमाई पर जीते हैं और ऐसे लोगों से जमीन लेने की चाहे वह मुआवजे पर या बगैर मुआवजे पर ऐसे लोगों को आबाद करने की जिस विधेयक में कोई गुंजाइश नहीं है कि आज जो लाखों की तादाद में गांवों में बगैर जमीन के और बगैर रोजगार के लोग हैं आज उनका कहीं ठिकाना नहीं है, उनको जमीन दिलाने की और रोजी दिलाने की कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है, उस विधेयक के बारे में यह कहना कि हमारे स्वप्नों को, हमारे नक्शे को पूरा करता है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल हमारी जिन्दगी से खिलवाड़ है, उत्तर प्रदेश के गांवों में बसने वाली जनता जो है, उसकी जिन्दगी से खिलवाड़ है, अपने चुनाव घोषणा पत्र से खिलवाड़ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो हाई कमान्ड है उसके हुक्मों से खिलवाड़ और अपने बुजुर्गों की कही बातों को तोड़ने से है, उससे इंकार करना है। मैं सबसे आखिरी बात माननीय राजस्व मंत्री जी की जो थी, उसको सुनने के बाद बहुत ही निराश हुआ और मैं ही निराश नहीं हुआ निराश यह समस्त सदन हुआ होगा। क्या बात ऐसी है इस विधेयक में कि जिसको ला करके हम यह कहें कि वह हमारे सारे नक्शे पूरे हो जायेंगे? कुछ छोटी मोटी बातें हमें बतायी गईं। उन छोटी मोटी बातों पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखने का यत्न करूंगा कि उसमें सरकार इस खेतीबाड़ी करने वाली जनता के साथ क्या करने जा रही है। उसमें कहां तक इस प्रदेश का भला होगा और किस उद्देश्य से उस काम को किया जा रहा है? यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार जान ले कि उससे क्या होने वाला है, क्या उसका परिणाम होने वाला है, उसको मैं कुछ माननीय सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं भी इस संशोधक विधेयक में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जो हमारे प्रदेश में आधे दर्जन के करीब कानून लागू हैं, भिन्न-भिन्न तरह की जमीन संबंधी, उनको भी एक प्रकार का कानून कर दिया जायगा। इस विधेयक में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब हम चाहेंगे इस कानून को लागू करेंगे और इतना ही नहीं उसमें जितना हिस्सा हम चाहेंगे लागू करेंगे। अब उसमें मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार की यह परेशानी कब तक दूर होगी। सरकार बहुत अरसे से यह कहती चली आ रही है। जब कभी यह चर्चा होती है कि रामपुर रियासत में क्यों नहीं जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू कर दिया जाता, क्यों नहीं कुमायूं में लागू कर दिया जाता, क्यों नहीं जौनसार बाबर के इलाके में लागू किया जाता क्यों न इन्क्लेब्ज के जो इलाके हैं, जो बुन्देलखंड के करीब चरखारी और दूसरी रियासतों से आये हैं, उनमें क्यों नहीं लागू किया जाता, सरकार बराबर इस बात को कहती है कि वहां के कागजात इतने खराब हैं कि जिसकी वजह से वहां पर हम जमींदारी

[श्री गेंदासिंह]

विनाश उन्मूलन को लागू करने में बड़ी कठिनाई समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक वर्ष पहले, जौनसार बाबर के संबंध में एक कानून पास किया। उस वक्त इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि आखिर इस इलाके में क्यों नहीं उस कानून को लागू किया जाता। उस समय यह कहा गया था कि यहां के कागजात को दुरुस्त कराने के बाद यहां पर जमींदारी विनाश कानून लागू कर दिया जायगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस छोटे से इलाके में कागजात की दुरुस्ती कार्यवाही अभी पूरी हुई या नहीं हुई और क्या उस इलाके में सरकार निकट भविष्य में इस ऐक्ट को लागू करने का विचार भी रखती है। इतना ही नहीं, रामपुर में, रामपुर रियासत में क्या दिक्कत है, जो जमींदारी के इलाके थे नवाब रामपुर के उसमें वह लागू हुआ लेकिन जो बाकी उनके इलाके थे, उस इलाके में अब तक क्यों नहीं जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ? तराई भावर के इलाके में इस कानून के लागू हो जाने से क्या खतरा पैदा हो जायगा?

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समूचे सूबे भर में एक कानून लागू हो जाय, तो समझने में बड़ी आसानी होगी। सारे देश में काम करने वालों को, जो उनकी सरविसेज में हैं उनको एक समूचे प्रदेश के कानून को समझकर के किसी भी कोने में जा कर के काम करने में आसानी बढ़ेगी। एक देवरिया का रहने वाला आदमी जो है वह कुमायूं के एक किनारे के खेत संबंधी कानून को समझ कर के उस पर कोई अपनी राय प्रगट कर सकता है, अपना कुछ मत दे सकता है। लेकिन आज यह कठिनाई है कि इस प्रकार के कानून जारी है सारे सूबे भर में कि किसी के लिये भी माल के मुहकमे के जानकार आदमी जो कि उंगलियों पर गिने जाने लायक होंगे, उनको छोड़कर यह बतलाना कठिन होगा कि वह इस मालगुजारी संबंधी खेती बाड़ी संबंधी कानून की जानकारी रखता है। फिर इसका क्या परिणाम है? इसका नतीजा यह होता है कि आज इस माननीय सदन में बैठे हुये भी हमको इसका पूरा ज्ञान नहीं है। मैं तो अपने अज्ञान को मानता हूं कि आज कुमायूं के लाखों किसानों के ऊपर क्या बीत रही है, उनके ऊपर जो जमीन के मालिक हैं, वह क्या कर रहे है, वहां के जमींदार किस तरह से अपने काश्तकारों के साथ निपट रहे हैं। बनारस राज्य में किस तरह से निपट रहे हैं, लोग वहां के शिकमी के साथ, जौनसार भाबर में वहां के जो दरोगा लोग कहे जातेथे या पुराने और लोग जो कहे जाते थे, वह अपने काश्तकारों के साथ, उन काश्तकारों के साथ जो खेत जोत करके अन्न पैदा करते है, देश का एक बहुत बड़ा काम करते हैं, उनके साथ कैसे निपट रहे हैं? मिर्जापुर के भी कुछ इलाकों में ऐसे कानून लागू हैं कि जिसकी जानकारी सारे सदन को शायद नहीं है। तो यह कठिनाई है। कोई आदमी यह कह सकता है कि वह सारे कानून का ज्ञाता है, कुछ लोग उठकर कह दें लेकिन मैं अपनी असमर्थता कबूल करता हूं कि मैं इन सारे कानूनों को नहीं जानता हूं। मैं तो जो सबसे बड़ा कानून है, जमींदारी विनाश कानून, उसकी मोटी-मोटी बातों को जानने की कोशिश करता हूं जिसका संबंध जनता की सुविधा से है और वह चाहे जितनी खामियां उसके अन्दर हों, लेकिन ऐसा मैं समझता हूं कि अगर एक ही कानून सारे देश मे होता तो उससे देश का भला होता, जानकारी लोगों को होती और जो आज भिन्न-भिन्न प्रकार के कानूनों के जरिये जो भिन्न-भिन्ना स्वार्थों का हित साधन हो रहा है, यह हित साधन भी न होता, मैं माफी चाहूंगा यह बात कहने के लिये। मैंने इस बात को कई बार कहा है और फिर दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ उपनिवेश चाहती है। बड़े भारी इलाके में तो इस कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन वह कुछ ऐसे इलाके भी चाहती है कि जिन इलाकों में अच्छी खेती हो, जहां कम मेहनत से पैदावार हो सके और वहां पर ट्रैक्टेराइजेशन करा दिया जाय और वहां पर हर प्रकार की सुविधा कर दी जायं। खेती करने वालों को वहां पर भूमिहीनों को बसाने से काम बिगड़ जायगा। वहां पर १००, २००,४००,५०० से ऊपर जमीन लोगों के पास हो जाय और वे लोग वहां पर खेती करें। अब चाहे उनका जो भी रिश्ता हो सरकार से, उसको निभाने के लिये सरकार इस तरह के उपनिवेश रखना चाहती है। इसके सबूत के लिये मैं मिसाल तराई भावर की रखना चाहता हूं। वहां पर

जमींदारी विनाश कानून लागू करने के लिये कोई कारण हो सकते हैं। अगर हो सकते है तो उन पर विचार किया जा सकता है। वहां भी लोगों को ३० एकड़ से ज्यादा जमीन लेने की सुविधा प्राप्त है। वहां के लोगों को बचाने के लिये कोशिश करते हैं ऐसा कहा जाता है, शब्दों का हेर फेर मौर्य जी कर लें। मैं तो मोटी बात जानता हूं और उसमें कोई फर्क नहीं है कि वहां पर आज भी लोग ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हासिल कर सकते हैं। यह सुविधायें वहां हैं, रहेंगी, जब तक कि वहां जमींदारी विनाश कानून लागू नहीं हो जाता है।

आज भी वहां पर हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर भूमिहीनों को बसाया जा सकता है वहां पर टैक्टैराइज किया जाय पानी का बन्दोबस्त किया जाय या अन्य और भी सुविधायें पहुंचायी जायं और इसके साथ साथ यह भी कोशिश की जाय कि जो जरूरतमन्द हैं उनको जमीन दी जाय। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो पायेगा कि लोगों के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो। हमको शक है और हमको संदेह होता है, और बार बार इसको कहने के बाद हम यह समझते हैं कि सारा सदन हमारे साथ होगा इस मामले में कि समूचे सूबे में एक ही कानून होना चाहिये। हो सकता है कि कहीं पर कुछ कठिनाइयां हों, जहां पर लागू करने में हम असमर्थ हों तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई कठिनाई मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं इसके बदले में यह कह रहा हूं कि ऐसी कठिनाई है जिसकी वजह से यह चीज की जा सकती है, तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जब कोई अमेंडमेंट ऐसा आये जिससे सारे प्रदेश की भूमि संबंधी समस्या पूरी होती हो तो उसमें २००, ३००, ४०० एकड़ वाले लोगों की गुंजाइश न हो। उनके लिये कोई कानून आये कि अगर उन्होंने ३० एकड़ से ज्यादा जमीन ली है और वह खेती नहीं करते हैं, परती डाले हैं और मालिक बने हुये हैं उसके मातहत उनके पास से वह जमीन निकाली जा सके। हमारा स्वप्न पूरा नहीं होता है न हमारे मंत्री जी का ही स्वप्न पूरा हो पाता है अगर समूचे सूबे में एक कानून न आये।

सब से पहली बात मैं सदन से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बात को पूरे तौर पर रिजेक्ट कर दे, सरकार जो कि मंत्री जी ने कहा कि अगर यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया गया तो फिर हमारा नकशा पूरा हो जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार आज इस बात से इन्कार कर जायगी कि अब उसको प्रगतिशीलता के बारे में कुछ नहीं कहना है। उसका कोई प्रगतिशील रौल नहीं है। सरकार यह नहीं कर सकती है अगर सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने अब इसका नकशा पूरा कर लिया तो फिर सरकार का आगे काम क्या है?

कुछ और बातों की तरफ भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने संकेत किया और उस पर विस्तार के साथ बातें कहीं। इस विधेयक की मोटी-मोटी बातों की तरफ हम सदन का ध्यान दिलाना चाहेंगे और काश्तकार अपील करेंगे माननीय राजस्व मंत्री से कि यह जो बात मुख से कहा करें वह ऐसी हो कि हम लोगों को अपील कर सकें। हम चाहते हैं कि उनकी बातों पर बहुत गौर करें और मानने के लिये तैयार भी रहते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात कह दें वह कि जिसको एक दम १६ आने रद्द कर देने की नौबत आ जाय तो बड़ा नाशुकरा काम हम लोगों का उसमें हो जाता है और वह काम हमें करना पड़ता है। वह काम इस वक्त आ गया है।

अब मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कुमायूं के सिलसिले में कि आपने १९४८ में एक प्रश्न किया था सरकार से, क्या सरकार को मालूम है कि कुमायूं में नये काश्तकारी कानून के कारण ही जमींदारान तथा काश्तकारान के बीच दिनों दिन मलोमालिन्य बढ़ता जा रहा है, जवाब माननीय राजस्व मंत्री जी से आया कि ठीक है, कोई ऐसा तरीका कुमायूं में जारी नहीं है, जिससे यह मालूम हो सके कि कितनी जमीन किस वर्ष किसकी जोत तथा कब्जे में है। अब मैं यह कहता हूं कि हमको यही जवाब मिलता है, जोकि सन् १९४८ का जवाब है। ६ वर्ष के जमाने के बीतने के बाद भी सरकार उस काम को पूरा नहीं कर पायी। मुझे डर लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री अपने जीवन में इस काम को पूरा कर पायेंगे या नहीं, इतना कम जीवन मैं उनका नहीं समझता हूं। "पार्थिव जीवन" से मेरा मतलब नहीं है। "राजनीतिक जीवन" से मतलब है, जोकि उनका कुरसी वाला जीवन है। कुमायूं बेचारा तरसता तो नहीं रहेगा

[श्री गेंदा सिंह]

इस कुरसी वाले जीवन से कि माननीय राजस्व मंत्री कुछ कर पायेंगे ? मैं तो चाहता हूं कि कुमायूं के लिये भी कुछ कर दें, कुमायूं भी कहे कि हमारे राजस्व मंत्री ऐसे थे कि १९४८ में जो वादा हुआ और उनकी जानकारी में जो चीज आयी उस पर उन्होंने कुछ कार्यवाही की।

इसी तरह से मैं बनारस की बात कह दूं। बनारस में जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो है वह आधे दिल से लागू हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से एक बात कह देना उचित समझता हूं कि उनकी कई बातें, मैं मानता हूं कि बड़े महत्व की हैं, परन्तु प्रक्रिया नियमावली के नियम १०६ के मुताबिक आज तो वाद विवाद बहुत संक्षिप्त होना चाहिये। इस पर अगर वह ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मई में तीन-चार विधेयक सरकार के थे, गरमी का मौसम था उस समय दोनों दलों में यह समझौता हुआ कि विधेयक तो सिलेक्ट कमेटी में चले जायेंगे, लेकिन उनके आने के बाद उन पर तीन-चार दिन जितना भी हो, अच्छी तरह वाद-विवाद होगा। इसलिये वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने यह कह दिया याद दिलाने के लिये कि हम लोग इसमें मुक्तहस्त हैं।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी विचार से अपने विचारों को रख रहा था और मैं समझता हूं कि आपकी इजाजत होगी। तब भी मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात कह देना चाहता हूं। बनारस के सिलसिले में मैं इतना कहना चाहता था कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू होने में मालूम नहीं कितनी देर हुई और उसकी वजह से न मालूम कितने लोगों को बेदखल होना पड़ा और इस समय जो लागू है, उनसे मैं यह हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि फिर भी उसमें ऐसे संशोधन आने वाले है या आ रहे है कि जिनकी वजह से हजारों काश्तकारों को बेदखल हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। कहां १३५६ फसली में लागू समय कहा गया था कि जैसे सारे सूबे में १३५६ फसली में आकूपेंट मौरूसी काश्तकार मान लिये जायेंगे वैसे बनारस में भी १३५६ में आकूपेंट मौरूसी काश्तकार माने जायेंगे। इस समय ऐसा संशोधन सरकार ला रही है जिससे कि बजाय १३५६ के अब १३५७ से वे आक्यूपेंट गिने जायेंगे। मैं यह खतरा बता देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का संशोधन किया गया तो उसका परिणाम यह होने वाला है कि हजारों काश्तकार, जिनकी तादाद १३५६ फसली में बनारस रियासत के तीन जिलों, भदोही, चकिया और बनारस में १, ४०,००० थी, बेदखल कर दिये जायेंगे। इसके साथ-साथ १३५६ में अपने को आक्यूपेंट मान करके उन काश्तकारों ने जिनको कि वहां के क्षेत्रपतियों ने बेदखल कर दिया था उनके विरुद्ध अदालतों में मुकदमा दायर कर रखा है अपनी जमीन की वापसी के लिये। उन मुकदमों में उन्होंने रुपया खर्च किया है और सारी परेशानी मोल ली और उसके बाद अब १३५७ हो जाने के बाद सब बेकार हो जाता है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह जरा इस बात को देखें कि १३५६ और १३५७ इन दोनों फसलियों को मानने से, एक वर्ष बाद को मानने से कितने किसानों को बेदखल हो जाना पड़ता है। इसीलिये मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि एक प्रकार का कानून अगर सारे प्रदेश में हो तो हम लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो। बड़ी मोटी पोथी है, एक सतर जब हम पढ़ते है तो आधे दर्जन किताबों की जरूरत पड़ती है। यह साधारण आदमियों के बस की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी हमको डाटेंगे जरूर कि तुम कानून बनाने के लिये आये हो तुम्हें तो जानना चाहिये। दिक्कत यह है कि मैं पढ़ना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो बता सकें, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग साधारण तौर के हैं, जो समझ नहीं पाते है। तो हमारी समझ के लिये कानून बनना चाहिये, जो किसान जमीन जोतता है उसकी समझ के लिये और जो अफसरान काम करते है उनकी समझ के लिये कानून बनना चाहिये ताकि सब समझ बूझ कर कानून का फायदा उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और छोटी-मोटी बातों की तरफ जो काफी महत्व की हैं माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं और माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा २१ में एक संशोधन किया जा रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसके संबंध में कहा और इस सरकार की उदारता का बयान किया कि हम एक गलती कर आये थे पहले उसको अब सुधार दिया है। लेकिन अगर वह नकशे की दूसरी तरफ देखें तो सरकार की इस उदारता का जो ऐसी स्त्रियां है जिन्हें अक्षम कहते है, बड़ा अनुचित लाभ उठाने जा रही हैं। जो मूल अधिनियम है उसमें धारा १० में ढाई सौ से कम मालगुजारी देने वालों के लिये यह बात लिखी हुई है कि जितने अक्षम लोग हैं उनमें गिनती ऐसी स्त्रियों की भी है कि जिनके पति भी जीवित हों .....

श्री चरण सिंह--अमेंन्डिग बिल में नहीं है। वही तो निकाला जा रहा है।

श्री गेंदा सिंह--लेकिन अब उसमें एक बात यह की जा रही है कि जो वर्तमान अधिनियम है उसमें यह था कि जो लोग स्वयं अक्षम थे वे अधिनियम लागू होने के एक दिन पहले अक्षम थे तब भी वे बेदखल कर सकते थे। अब की मरतबा यह संशोधन किया जा रहा है कि अप्रैल, ४६, में जो लोग अक्षम थे और जिस दिन उन्होंने जमीन दी उस दिन भी अक्षम थे उनको अब आज अधिकार दिया जा रहा है कि बेदखल कर लें। अप्रैल, ४६, के बाद और ५२ की जुलाई में यह कानून लागू होता है, छः वर्ष की मियाद के भीतर अक्षम लोगों ने जिन काश्तकारों को बेदखल नहीं किया, जो अब समझ गये कि जमीन उनकी है और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग भूमिधर भी बन गये हों और भूमिधर बनने के बाद उन्होंने मुमकिन है कि किसी को जमीन बेच दी हो, तो उनके लिये हम ऐसा अधिकार देने जा रहे हैं कि ऐसे अक्षम लोग जो अप्रैल, ४६ में अक्षम थे वह इस जमीन को बेदखल कर दें। तो कई बार जब और चीजों के लिये कहते है कि जरा पिछले जमाने से ऐसी बात करनी चाहिये जिसमें भूमिधरों के अधिकार कुछ कट जायं तो हमेशा यह बात कही जाती है कि यह तो डाइवेस्ट करना होगा। सरकार के कानूनी सलाहकार इस रास्ते में रुकावट डालते हैं। कहते हैं यह नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अक्षम लोगों के अधिवासियों ने अपनी जमीन भूमिधर बनने के बाद बेच डाली हो, तो उसके बाद डाइवेस्ट होता है या नहीं होता है। मैं समझता हूं कि सन् १९५२ के पहले उनको अख्तियार नहीं मिला हुआ था। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि जुलाई, १९५२ के बाद और आज सितम्बर, १९५४ है। दो वर्ष से ज्यादा का जमाना बीता जा रहा है और इस बीच में इस कानून ने अधिकार दे रखा है कि अक्षम लोगों की जमीन मौरूसी हो गयी और मौरूसी हो जाने के बाद वे भूमिधर बन सकते हैं; अगर वे भूमिधर बन सकते हैं तो फिर वे बेच भी सकते हैं। अगर बेच सकते हैं तो डाइवेस्ट करने का अख्तियार तो है नहीं। फिर उनका क्या होगा? अगर यह भी मान लिया जाय कि उन्होंने नहीं बेचा, मैं कहता हूं कि जो लोग आज तक अपने को उस जमीन का मालिक समझते थे, बाग तो उस में लगा सकते हैं। आज इस तरह के मुकदमों को उभार करके इसका परिणाम यह होने वाला है कि बेदखली के मुकदमें दायर हों। जिस विधेयक में सारा नकशा पूरा होने वाला हो उस विधेयक में इस तरह की बेदखली की गुंजाइश की जाय, यह अनुचित है।

इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं के बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसने बड़ी संकुचित मनोवृत्ति से काम लिया। सरकार की यह मनोवृत्ति कि हम उन्हीं शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा संस्थायें मानेंगे जिसके बारे में गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो। बड़ी आरजू के साथ बराबर हम लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि, अगर शिक्षा विभाग सरकार का ही एक अंग है, उस शिक्षा विभाग ने किसी शिक्षा संस्था को मान्य कर लिया, फिर उसका क्या अर्थ है कि सरकार दोबारा फिर गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करे और उसको यह सुविधा प्रदान करे कि चाहे धारा १९८ के मुताबिक जमीन हासिल करनी हो तब भी वह ऐसी शिक्षा संस्था को, अगर किसी सीरदार से दान के रूप में

[श्री गेंदा सिंह]

प्राप्त हो, तब भी सीरदार उसी संस्था को दान कर सकता है जिसको सरकार अपने बजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करे। मैं कहता हूं कि आखिर काशी विद्यापीठ जैसी संस्था हो तो क्या यह सरकार राजी नहीं है कि ऐसी संस्थाओं को भी जमीन मिल सके। क्या कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती, जो इस काम के लिए अपने को मान्य कराने में सरकार से संकोच करे? काशी विद्यापीठ ने कहा कि वह कोई आर्थिक सहायता ग्रहण नहीं करेगी, लेकिन उसने क्या कोई कम सेवा की है इस देश की? जो भी सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था न हो, सरकार से मान्यता प्राप्त न करने वाली संस्था हो वह भी इस कार्य के लिये अधिक सेवा प्रदान कर सकती है। हम क्यों रोकें उनको कि इस कार्य के लिये उनको जमीन न देंगे, या गांव समाज उनको दान नहीं दे सकता या कोई व्यक्ति दान देना चाहे तो दान नहीं दे सकता? यह संकुचित मनोवृत्ति का परिचायक है। अपने ही अंग से इतना अविश्वास न होना चाहिये। शिक्षा विभाग इस विधेयक का अंग है। अगर शिक्षा विभाग ने किसी संस्था को मान्य किया हो तो उसकी मान्यता पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिये और उसी मान्यता को पर्याप्त मान कर उसे दान लेने का अधिकार होना चाहिये।

भूमि प्रबन्धक समिति के सम्बन्ध में यह एक बड़ी भारी खामी थी। उसको अधिकार तो बहुत दिये गये थे, लेकिन अगर वह कोई दुरुपयोग करे तो सिवा इसके कि सारी की सारी समिति को मुअत्तल कर दिया जाय और कोई सजा देने की व्यवस्था विधेयक में नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इस विधेयक में इस बात की गुंजायश की गई कि कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा कार्य करता है जिससे सारी सम्पत्ति को ठेस लगती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि प्रबन्धक समिति या उसके पदाधिकारी के विरुद्ध अदालत में जाकर कार्यवाही करना चाहता है तो सरकार उसके ऊपर क्यों बंधन लगाना चाहती है कि नियुक्त अधिकारी की रजामन्दी के बगैर वह अदालत में नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि सदन को इस पर विचार करना चाहिये कि आज जो नियत अधिकारी हैं अगर वह अधिकारी अपनी पूरी-पूरी ड्यूटी का पालन करते तो ऐसी बातें सुनने में नहीं मिलतीं कि सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया या गांव समाज या गांव सभा ने उसको नष्ट-भ्रष्ट किया। उनको या तो फुर्सत नहीं है या वे अपना कर्तव्य नहीं समझते कि सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ऐसी हालत में इस विधेयक में जो यह गुंजायश की जा रही है उसका यह प्रतिबन्ध अदालत में जाने के पहले कोई व्यक्ति पहले नियत अधिकारी की मंजूरी ले, बेकार कर देता है।

ज्यादा बेहतर यह होगा कि उस नियत अधिकारी की बात को छोड़ दिया जाय। हर इंडिविजुअल उसके भीतर यह बात जानता है कि हमारी सम्पत्ति को नष्ट कर रहे हैं, वह अदालत में जायगा। फिर अदालत में जुडीशियल नेचर के लोग हैं और वे अदालतें न्याय के ढंग पर सारी चीजों को सुनने के बाद उस आदमी के विरुद्ध नालिश करेंगे, जिसके विरुद्ध नालिश होगी। असल में मालूम यह होता है कि नियत अधिकारियों के चंगुल में सरकार इस तरह से फंस गई है कि अब वह उनको नाराज नहीं करना चाहती। अब सरकार को उन्होंने इस तरह से जकड़ लिया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक यह सरकार फंसी हुई है और उसमें से निकल नहीं पा रही है। अब अगर यह बात होगी तो विधेयक में यह चीज रहेगी और अगर न होगी तो विधेयक में से यह हिस्सा निकाल दिया जायगा। १९८ के अन्दर जो भूमिहीन लोगों को भूमि देने की बात थी वह एक बड़ी आवश्यक बात है। हमारे देश में जो भूमिहीन लोगों की अवस्था है उसमें आवश्यकता इस बात की है कि परिवर्तन हो। हमारे राजस्व मंत्री जी इस बात को मानने

नहीं है कि यहां पर कोई भूमि की समस्या है और वह भूमि की बटवारे की समस्या को भी मानते नहीं हैं, लेकिन असल में भूमि की समस्या और भूमि के बटवारे की समस्या कहीं पर हिन्दुस्तान में है तो वह सब से अधिक हमारे प्रदेश में है। भूमि का बटवारा ऐसी चीज है कि जिसका हमारी इकानामी पर असर पड़ता है।

हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह हमारे देश के लिये ही नहीं बल्कि सारे संसार का आर्थिक ढांचा इस भूमि से बंधा हुआ है। इसके अलावा और उत्पादन का साधन नहीं है; माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह निवेदन करूंगा कि जरा वह इस पर गौर फरमायें कि अगर रूस में क्रान्ति हुई तो उस क्रान्ति के बाद जो वहां पर पहली डिगरी निकाली गयी वह लेनिन ने भूमि के सम्बन्ध में निकाली। जो जोतने वाले थे वे उसके मालिक हो गये। चीन में जो क्रान्ति हुई वह कृषि क्रान्ति के नाम से मशहूर है। किसी भी मुल्क में भूमि की कोई क्रान्ति कही जाय, कोई भी कृषि सुधार कहा जाय, उस मुल्क का काम भूमि से अलग होकर नहीं हो सकता। भूमि से अलग होकर कोई नहीं रह सकता। मैं तो भूमि से अलग होकर कहीं पर भी नहीं रहना चाहता। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से भी कहूंगा कि वह भी कहीं पर भूमि से अलग होकर न रहें। जहां पर भी रहें भूमि के साथ रहें, हमारे राजस्व मंत्री जी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे पड़ोसी बिहार ने यह नकशा पूरा कर दिया। बिहार की जो हमारी पड़ोसी सरकार है उसने तय किया है कि इतनी से अधिक भूमि को हम लेकर दूसरे लोगों को देंगे। यह विधेयक भूमि बटवारे के लिये नहीं है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं को जमीन देने के लिये प्राथमिकता दी जाय। लेकिन मैं उनसे यह जरूर दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों को एक ही आशा थी वह भूमि हीन लोग यह समझते थे कि अगर गांव में कुछ जमीन खाली हो गयी तो हमको भी कुछ टुकड़ा मिलेगा। गांव में इन शिक्षा संस्थाओं को आवश्यकता है तो इनको अवश्य मिलनी चाहिये तो एक तो निकट भविष्य में इन भूमिहीनों का सवाल उठता नहीं, क्योंकि उन शिक्षा संस्थाओं के नाम पर हम भी कहेंगे कि वे सब की चीज हैं और उनको मिलना चाहिये। लेकिन तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास इकानामिक होल्डिंग से ज्यादा जमीन है उनके लिये कुछ ऐसी चीज ले आयें, जिससे भूमिहीनों को जमीन मिल सके। मैं जानता हूं कि हमारे उस तरफ के बैठने वाले सदस्यों में कई महानुभाव ऐसे हैं जिनको हमारी इस बात से बड़ी हमदर्दी है। लेकिन जब यहां पर कोई बात आती है तो फिर हमको रेडिकुल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से भूमि का बटवारा हो सकता है। मैं आपके द्वारा सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उन भूमिहीनों की दशा को सुधारने के लिये जो इस सरकार के लिये एक खतरे की घंटी है, फिर से भूमि के बटवारे का जनमत संग्रह करें। आप बड़े खातों का मोह छोड़कर इसके लिये प्रयत्नशील हों। मैं जानता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस बात को चाहते हैं, लेकिन यहां पर तो हमको पछाड़ने की बात ही उधर के लोग सोच सकते हैं। लेकिन यह हम जानते हैं कि उनका विचार है कि यह बड़े खाते ठीक नहीं हैं। निजी तौर पर उनका यह विचार है, लेकिन मालूम नहीं केबीनेट में जाकर वे मना नहीं पाते हैं। बड़े खातेवालों का गिरोह बड़े खाते वालों की मदद करता है और बड़े खातों वालों की जीत हो जाती है और यही कारण है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ३-३ हजार एकड़ वाले खातों का समर्थन करने लगते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि आप इससे इन्कार करिये। इन बंधनों को तोड़कर आप भूमिहीनों को भी जमीन दीजिये और यह तभी हो सकता है जब कि आप कानून द्वारा आड़ में छिपे हुए बड़े-बड़े खातों को ठीक करना चाहेंगे।

सार्वजनिक भूमि की जैसी दुर्दशा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में हुई है वह केवल हमारी ही जानकारी में नहीं है, सबकी जानकारी में है, इसलिये मैं इस संबंध में हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अकेले-अकेले में जब लोग बातें करते हैं तो कहते हैं कि किसी ने

[श्री गेंदा सिंह]

खलिहान जोत लिया, ताल तलैयों को जोत लिया। लेकिन यह इसीलिये है कि जमीन की ऐक्यूट प्राब्लम है। चूंकि जमींन की ऐक्यूट प्राबलम है, इसीलिये ऐसा होता है और लोगों ने ताल तलैया, पोखरे यहां तक कि सड़कें भी नहीं छोड़ी हैं, जिसको करके वह यह समझता है कि इस प्रकार से वह मन आध मन अन्न तो पैदा कर लेता है। अगर बड़े खातों को कम करके हम उनको यह भरोसा दिला दें कि उनको कुछ मिलने वाला है तो वे ऐसा न करें। जिस बाढ़ से इतनी बरबादी होती है उस बाढ़ कमेटी ने भी यह कहा कि इन ताल तलैयों को जरूर रक्खो नहीं तो पानी सारा का सारा नदी में चला जायगा और जब वह नदी में चला जाता है तो बाढ़ का रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन इधर लोगों ने ताल तलैयों को भी जोत लिया। सरकार की जब बहुत आरजू मिन्नत की तब जाकर उसने सरसरी तौर पर मुकदमा दायर करके कलेक्टर को देखने के बारे में लिखा। सरकार ने यह काम बहुत अच्छा किया। इस विधेयक में २-१ काम सरकार ने अवश्य ऐसे किये हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है और तारीफ करनी भी चाहिये, लेकिन जब हम उसको आधे दिल से देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि यह आधे दिल की बात क्यों की जाती है। हम यह बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ऐसी जमीन जोतने वालों के खिलाफ सरकार को सख्ती के साथ कार्यवाही करनी चाहिये। सख्ती से मतलब जेलखाने भेजने से नहीं है, बल्कि उनसे वह जमीन ले ली जाय, केवल हम इतना ही चाहते हैं। ऐसी जमीनों के बारे में अभी जो अमेंडमेंट आया है उसको फिर से ऐसी शक्ल में लाया जा सकता है। कि मुकदमेबाजी ज्यादा न हो और बार-बार दीवानी के चक्कर न लगाने पड़ें। क्योंकि गांव सभाज के पास पैसा नहीं है, ईमानदार सभापति मारे जा रहे हैं। पुराने जमींदार अगर पेड़ भी काट लेते हैं, ताल तलैया भी जोत लेते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। इसके लिये सदन को और राजस्व मंत्री जी को ऐसा कानून बनाना चाहिये कि अदालतों में परेशान न होना पड़े। बटवारे की बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। हम नहीं कहते कि वह बात राजस्व मंत्री जी ने नहीं मानी। मान लिया हो तो मान लिया, लेकिन हमने पिछली बार भी कहा था कि जब तक दूसरे को कोई रोजी का जरिया न दिया जाय तब तक किसी की रोजी न छीनना चाहिये।

पहले साढ़े १२ एकड़ से कम का बटवारा नहीं हो सकता था और वह भी तब ही हो सकता था जब कि दो आदमी हों और हिस्सा सवा ६ एकड़ से कम होगा तो हो ही नहीं सकता, अगर डेसिमल २ भी कम है तब वह नहीं हो सकेगा, इसलिये बटवारे की गुंजायश साढ़े १२ एकड़ से कम के खातों में थी ही नहीं। अब की बार उन्होंने यह मेहरबानी की है और उनकी समझ में यह बात आई है कि ३ १/८ एकड़ के खाते का भी बटवारा हो सकता है, तो पहले से यह काफी फर्क है, अब ३ १/८ एकड़ के खाते में चाहे जितने छोटे से छोटे हिस्सेदार हों तब भी वह खाता बंट सकेगा। इस तरह से काफी परिवर्तन हुआ है और काफी समझदारी आई है, लेकिन मैं कहते-कहते थक गया और आज फिर कहता हूं कि बटवारे में कोई बन्धन न लगाना चाहिए। इसमें जो ३ १/८ एकड़ के खाते की बात रखी जा रही है, उससे यह होगा कि इसमें कितने ही अनगिनत हिस्सेदार होंगे तो उनका तो बटवारा हो सकेगा और डेसिमल २ तक का हिस्सा आ सकेगा, लेकिन अगर कोई खाता ३ १/९ एकड़ का भी होगा तो वह न बट सकेगा और अगर उसमें दो ही हिस्सेदार होंगे तो वह बटवारा नहीं हो सकेगा। होगा यह कि एक आदमी नीलाम खरीद करेगा और दूसरे से कहेगा कि इतना मुआवजा ले लो और जाओ कहीं जाकर खेती बाड़ी या कुछ और करो या कलकत्ते में जाकर नौकरी करो। हमारे प्रान्त में ढाई एकड़ से कम वाले ६७ प्रतिशत खाते हैं। तो ३ १/८ का मतलब यह हुआ कि ७५ प्रतिशत से ऊपर के खाते नहीं बट सकते। अकसर बटवारे का जो मामला खड़ा होता है

वह छोटे लोगों में ही खड़ा होता है, उनकी ही हांडी बंटती है। भाई की बात तो छोड़ दीजिये, लड़के की शादी होते ही पतोहू और लड़का अलग हो जाते हैं, भाई तो कोई भी साथ में रहना पसन्द नहीं करते, बटवारे होते हैं और खानगी तौर पर होते हैं। अगर सरकार अपने कागजात को ठीक रखना चाहती है तो उसे खातों के बटवारे के बन्धन को हटा देना चाहिये और सभी लोगों को यह हक देना चाहिये। अगर वह दूसरे सूबों को दिखलाना ही चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी नीयत न होगी और अगर वह अपनी प्रासपेरिटी को दिखलाना चाहते हैं तो वह महज काग़ज़ी बात होगी, असली बात नहीं होगी। इसलिये लेखपालों के कागजात को दुरुस्त रखने के लिये इस पर किसी प्रकार का बन्धन न होना चाहिये और माननीय सदन इस पर विचार करे कि ऐसा झगड़ा कानून में रखने से बेकार की मुकदमेबाजी बढ़ती है। हमेशा होता यह है कि जो कमजोर होता है वही बटवारे में जाता है और जो मजबूत होता है वह मार कर बैठ जाता है और कमजोर को ही अदालत में जाना पड़ता है। इस कानून की मन्शा यह है कि जो कमजोर है वह हटा दिया जाय और उसको जो कानूनी चारा मिल सकता था वह भी न मिले। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ३ १/८ एकड़ से थोड़ा और आगे चली जाय और जब तक सरकार दूसरे लोगों को रोजी दिलाने का बन्दोबस्त न करे जो निकाले जांयगे तब तक उनको बटवारे का पूरा-पूरा अधिकार दे दे। लगान के बारे में मैं एक बात दरख्वास्त कर दूं कि हम और सारा सूबा यह उम्मीद करता था कि लगान जो पुराने जमाने का है वह हमारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि जब कभी भी एक कांग्रेसमैन किसी भी किसान से बात करता था तो वह एक साधारण बात समझता था। कहना कि भाई लगान का बोझ तुम्हारे ऊपर बहुत है और वह कम किया जायगा। राजस्व मंत्री जी यह दलील कई बार दे चुके हैं कि भई गल्ले की कीमत काफी बढ़ चढ़ गई है और उसकी वजह से लगान को कम करने का सवाल नहीं उठता। यह कीमतें सन् १९१८ में भी तो, उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ी थीं। मुझे कुछ उस जमाने की याद पड़ती है, लेकिन कभी अंग्रेजी हुकूमत ने उन कीमतों के बहाने लगान बढ़ाने की बात नहीं की। उस अंग्रेजी हुकूमत से हम उम्मीद तो नहीं करते थे कि वह हमारे साथ इंसाफ करेगी, लेकिन उसने इंसाफ किया या बेइंसाफी की; १९१४ से लेकर १९१८ तक लड़ाई के जमाने में जब अनाज के भाव चढ़े, लेकिन उसके ऊपर उसमें तब कभी मालगुजारी को बढ़ाने की बात नहीं की। फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि ब्रिटिश शासन काल जब से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में तब से और जब तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई उससे कुछ दिनों पहले तक बराबर मालगुजारी की रकम घटती गई और लगान की रकम बढ़ती गई। किसानों के ऊपर लगान की रकम बढी और जो अनुपात मालगुजारी का था वह घटा। यह जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट और सारे कागजात इसके सबूत हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी मालगुजारी घटी और सन् १९३९ में वह आकर ४० फीसदी रह गई जो कभी ९० फीसदी थी, लेकिन किसानों के ऊपर बराबर लगान बढ़ता गया। तो जो हम उम्मीद करते थे कि जमींदारी जब अबालिश हो जायगी उस वक्त किसानों के ऊपर, जो लगान का बोझ लगा हुआ है उसमें माकूल छूट मिलेगी और उस माकूल छूट में मैं सरकिल रेट को रखता हूं और उसको भी बताना चाहता हूं कि सरकिल रेट क्या चीज है। कब बना था? उसके बने हुये बहुत दिन हो गये। जो जमीन उस जमाने में कछियाना थी वह आज फालो हो गई और हो सकता है कि जो फालों थी वह कछियाना हो गई। तो उस सरकिल रेट के आधार पर आज लगान को लगाना उचित नहीं मालूम होता और फिर यह कहा जाता है कि इसमें हम बहुत रियायत कर रहे हैं। रियायत की जो बात है वह यह है कि अगर दुगुना से ज्यादा सरकिल रेट हो गया हो तो हम दुगुना कर देंगे। हम कहते हैं सरकार से कि ऐसा क्यों सोचते हैं क्यों दुगुने की बात करते हैं, क्यों नहीं सरकिल रेट के बराबर की बात करते; उसके बराबर आओ। हम सरकार से ऐसी और ऐसे न्याय की आशा करते हैं और मांग करते हैं कि जो इस विधेयक में सरकार ने दुगुने की चर्चा की है उससे नीचे उतरे और असल में नीचे वह उतरना नहीं होगा, ऊपर चढ़ना होगा। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा कि लगान के

[श्री गेदा सिंह]

लिये फिर से सारे प्रदेश में सरकिल रेट बनाने की कोशिश की जाय और जमीनों की किस्मों की जांच करायी जाय और अगर सरकार फ्लैट रेट लगाना चाहती है तो फिर उसको बहुत विचार विनिमय करने के बाद आज जो दुगुने की चर्चा हो रही है उससे उसको इन्कार करना चाहिये और जो सरकिल रेट आज समूचे सूबे भर में है उससे ज्यादा बढ़ाने की बात तो कभी नहीं करनी चाहिये। रियायत की बात नहीं है, मैं तो समझता हूं कि उसमें ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश है। मालगुजारी में, मैं समझता हूं कि आज भी सरकार को इसमें घाटा नहीं है। मालगुजारी सरकार को जितनी उस वक्त मिलती थी उससे शायद चौगुनी मिलती है और नहीं तो तिगुनी से कम तो मिलती नहीं। ६ करोड़ ८० लाख रुपया सरकार को लैंड रेवेन्यू की शक्ल में पहले मिलते थे और कुछ शायद अबवाब और मिल जाता हो, यह राजस्व मंत्री जी इस बात को बतलायेंगे। लेकिन इस वक्त तो हम पहले के हिसाब से ऐसा समझते हैं कि २४ करोड़ के करीब मालगुजारी होनी चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि १८ करोड़ उनको मिलती है। अगर यह भी मान लें तो भी तिगुनी के करीब है। सरकार को थोड़ी उदारता से काम लेना चाहिये और कम से कम यह करना चाहिये कि आज जो जोतने वाले लोग हैं उनके ऊपर यह बोझ न बढ़ाया जाय। जोतने वाले लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने खाने भर के लिये नहीं अटता। तो कर लगाने का सिद्धांत जो है वह ऐसा नहीं है कि जमीन पर कर लगता है, जमीन जोतने वाले पर कर लगता है और अगर जमीन जोतने वाला इतनी आमदनी करता है कि अपने खाने-पीने और बाल-बच्चों के पढ़ाने लिखाने में उससे ज्यादा जो उनके पास बचता है, मैं समझता हूं कि सरकार हकदार है कि ले। जैसे कृषि आयकर सरकार ने लगाया, उसका विरोध हमने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों को मालगुजारी में छूट देने की बात है वहां पर सरकार दुगने की बात कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में भोजपुरी की एक कहावत है कि कोई सौतेली मां थी तो बच्चों ने बहुत तंग किया तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि बच्चों चलो रोटी में गड्ढा करो इसमें हम मट्ठा डालेंगे, बर्तन में मट्ठा नहीं देना चाहती थी। रोटी ऐसी चीज है कि गल जायगी और मट्ठा गिर जायगा। उस तरह से हमारी सरकार बड़ी उदारता के साथ अब चलेगी कि मालगुजारी करेगी, मालगुजारी मौरूसी दरों का दुगना तक कम कर देगी, यह नहीं कहती कि दुगना नहीं होगा। तो दुगना तक करके अपना कुछ मामला ठीक करेगी। यह कहते हैं कि दुगना तक कम कर देंगे अगर दुगने से ज्यादा होगा तो दुगना तक कम कर देंगे। मैं कहता हूं कि यह बात छोड़ कर सर्किल रेट जो आपका है उसके हिसाब से चलिये। हालांकि मैं यह कहता हूं कि सर्किल रेट बड़ा गलत है, वह बहुत पुराने जमाने का है। हम तो चाहते हैं कि मालगुजारी, उपाध्यक्ष महोदय, बढ़े और बढ़ने के साथ-साथ आमदनी जिनसे होती है उनके ऊपर उस मालगुजारी को खर्चा जाय, उनकी और आमदनी बढ़ायें ताकि वह मालगुजारी देने लायक हो सकें। जो सबसे बड़ा संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा मैं उसके संबंध में कुछ कहूं। बड़ा वक्त मैंने लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन यह जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है उस संशोधन में, मंत्री जी यहां से चले गये, उनकी तबियत खराब है, यदि वह होते तो ज्यादा लुत्फ रहता, कि उनके सामने ही वह बात कहता। लेकिन मौर्य जी हमसे तो बुजुर्ग ही हैं, उन्हीं के सामने यह रख रहा हूं और इस आलमाइटी गवर्नमेंट का एक ही प्रतिनिधि इस वक्त लैंड रिफार्म बिल पर जो सारे सूबे का नकशा करता है, वह सुनने के लिये मौजूद है, तो जरा सुन लें कि क्या कहा उन्होंने और उसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि बड़ा भारी काम हमने किया। अच्छा, बड़ा भारी काम तो किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी काम इस माने में है, हिसाब जरा हमको जोड़ना ठीक से नहीं आता है, २१ लाख १६ हजार जमीन पर अधिवासियों को मौरूसी कर देने का विचार है कि सीरदार वह हो जायेंगे या भूमिधर हो जायेंगे, इस संशोधन का एक अर्थ यह है। उसमें होगा क्या कि जब वह अपने सालाना लगान का ५ गुना या १५ गुना जमा करेगा—१५ गुना जमा करेगा तो भूमिधर होगा, ५ गुना जमा करेगा तो सीरदार होगा। तो यह अगर हम एक औसत मान लें कि एक तिहाई सीरदार हैं

और दो तिहाई भूमिधर होंगे, तो इस प्रकार ऐसा हो जायगा कि सबको मिलाकर के अगर हम ऐसा मान लें कि दस गुना देते हैं और दस गुना अगर हम जोड़ लें तो इस प्रदेश के शिकमी काश्तकारों का लगान जो है वह मौरूसी काश्तकारों से ज्यादा है। इसमें भी जो सुझाव दिया गया है इस विधेयक में उसमें पहले यह था कि एक तिहाई ज्यादा हो सकता था यानी सौ परसेंट से १०३ परसेंट लगान हो सकता था।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--१३३ परसेंट।

श्री गेंदा सिंह--जी हां, १३३ परसेंट लगान हो सकता था, असल काश्तकार के और शिकमी काश्तकार के बीच में यह तय हो सकता था। अब की बार यह किया गया है कि वह दुगुना तक हो सकता है। यह अधिवासियों का आंसू पोंछने के लिये, उनका बड़ा दुलार यह भी हुआ कि अच्छा दुगुना तक तुम्हारा भी लगान हो सकता है। तो अगर हम दुगुना न भी मानें, उपाध्यक्ष महोदय, तब भी अगर हम इस बात को मान लें कि यहां का औसत रेट जो है समूचे सूबे का, वह ५ रुपये और ६ रुपये के बीच में पड़ता है तो आठ रुपये के करीब पड़ जाता है अधिवासी का लगान, और २१ लाख १६ हजार एकड़ जमीन पर अधिवासी से भूमिधर या सीरदार बनेंगे। अब यह करीब पौने दो करोड़ लगान होता है अधिवासियों का और अगर यह दस गुना दें तो साढे सत्रह करोड़ रुपये इनको देने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के यह अधिवासी सेभूमिधर या सीरदार हो सकेंगे। इस माने में तो हम बड़ी बात समझते हैं कि यह साढ़े सत्रह करोड़ जो है वह उन लोगों से लेने की बात सरकार सोच रही है जो कि.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आपकी जानकारी के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं कि वह जो अधिवासी के लगान का १५ या ५ गुना आपने कहा, वह नहीं है, बल्कि क्षेत्रपति द्वारा देय लगान का है।

श्री गेंदा सिंह--कम हो जायगा, उपाध्यक्ष महोदय, और तब भी किसी भी हालत में १० करोड़ से नीचे नहीं आता। यह दस करोड़ उन लोगों को देना है जिनके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि १२ लाख फेमिली हैं। ४४ लाख ३२ हजार तो तादाद शिकमी वालों की है, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने हिसाब लगा करके बताया कि १२ से साढे १२ लाख फेमिली में यह जमीन बंटी हुई है। इन साढे बारह लाख परिवारों को दस करोड़ रुपया जमा करना होगा। तब यह भूमिधर या सीरदार बनाये जायेंगे। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इस जमाने में जब कि आजमगढ़ में ही ५ लाख के ऊपर है अधिवासी भाई लोग और हर साल बाढ या सूखा, बर्बादी और उसके बाद फिर यह बात सोची जाय कि अधिवासी जो है वह आ करके इतनी रकम जमा करेगा और भूमिधर या सीरदार बनेगा यह मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी अधिवासियों की हालत पर रहम खाने वाला आदमी, अधिवासियों की हालत को अच्छी तरह जानने वाला आदमी, इस तरह का विधेयक ला सकता है। वर्तमान अधिनियम में यह बात थी कि अगले पांच वर्ष अधिवासी के लिये सरकार जब घोषणा करेगी तो उसकी बेदखली हो ी, वह भी कुछ शर्तों के साथ जब कि अधिवासी का मालिक जो है, क्षेत्रपति जो है, वह आठ एकड़ से कम जमीन अपनी जोत में रखता होगा वैसी हालत में राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि छोटी सी तादाद, मुट्ठी भर, ऐसे लोग की तादाद है जिनकी जमीन अधिवासियों ने जोती है और उस पर हम उनको यह अधिकार देने जा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कहां यह साढ़े बारह लाख का परिवार और कहां यह मुट्ठी भर क्षेत्रपति जिनको करोड़ों रुपया अधिवासियों के घर से निकालकर, भविष्य में उनको जमीन न देकर दरिद्र करते जा रहे हैं! भूमि व्यवस्था अधिनियम में हम जमा न करते तो अधिवासी बने रहते लेकिन इस वर्तमान अधिनियम तो हमें मजबूर कर रहा है कि सरकार को छै महीने में जमा करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे यानी ४४,३२,००० अधिवासियों के सिर पर तलवार लटक रही है और तब जरा साफ कहने में सरकार जरा सकुचाती है और कहती है कि हम ट्रैसपासर घोषित नहीं करेंगे। ट्रैसपासर और असामी में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना रह जाता है कि ट्रैसपासर तो किसी भी महीने में बेदखल

[श्री गेंदा सिंह]

हो सकता है और असामी दो तीन महीने में होता है, यानी उजाले के दिनों में, मई जून और जुलाई में हो सकता है, बस इतना ही फर्क है। वह छै महीने के बाद असामी हो जायगा जो वर्षानुवर्ष से अधिवासी होता रहा है तो उसके सिर पर क्षेत्रपति की तलवार लटकेगी और वह बेदखल हो जायगा। कहीं ऐसे क्षेत्रपति हो सकते हैं कि जो यह कहें कि इस कानून के पास हो जाने के बाद भी हम तुमको बेदखल नहीं करते। हम तो समझते हैं कि जितनी जल्दी यह पास हो, इसके बाद ६ महीने की मियाद मिलेगी और आजमगढ़ के ५ लाख भाई जिनका रामसुन्दर जी झंडा बुलन्द किये फिरते हैं उनके सिर पर छै महीने के बाद क्षेत्रपति की तलवार लटकेगी अगली जुलाई में जरूर मुकदमें दायर हो जायेंगे यह तो ४४,३२,००० लोगों के ऊपर मुसीबत आई है।

पहले कानून के मुताबिक तो वह अधिवासी रह सकते थे जमीन जोत कर, नाज पैदा कर सकते थे। अब वह जमीन जोत नहीं सकते और वह निकाल बाहर किये जायेंगे। पिछले १५ वर्षों से इनकी रक्षा होती आई है। सन् १९३९ के विधेयक में इनकी रक्षा की गई और जब-जब कांग्रेस हुकूमत आई तब-तब ऐसे लोगों की हिफाजत की गई और जमींदारी विनाश अधिनियम में भी उनके लिये गुंजाइश की गई कि ५ वर्ष तक भूमिधर बनने के अधिकारी नहीं हैं और अगर वे नहीं बन सकते हैं तो उनकी मजबूरी नहीं थी कि वे बेदखल कर दिये जायेंगे। लेकिन अगर कहीं यह विधेयक पास हो गया, कानून बन गया तो यह पूरी तादाद ४४,३२,००० की बेदखल हो जायगी।

अच्छा हो सकता है, माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं और मैं भी इसको कबूल करता हूं कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपना जेवर बेच कर, बैल बछिया बेच कर जमा करें, क्योंकि उन्होंने दस गुने का नशा पीना है। इसलिये वह जमा कर आयेंगे लेकिन राजस्व मंत्री क्या करना चाहते हैं वे उनकी कमर तोड़ देना चाहते हैं। उनकी माली हालत बहुत खराब हो जायगी। उनके पास इतनी पूंजी नहीं रह सकती है कि बैल बेच कर दस गुना तो जमा कर देंगे फिर कैसे काम चलायेंगे। हमारे माननीय मित्र श्री ब्रजभूषण मिश्र जो इशारा कर रहे हैं, जमीन बेच देंगे यह कहा शायद उन्होंने। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिये। मैं सोचता जरूर हूं कि अगर ऐसे छोटे छोटे लोगों को जमीन बेचने के लिये बढ़ावा दे दें तो उनके बच्चे भूखों मर जायंगे। जो लोग साल में तीन चार महीने खाना पैदा कर लेते थे उनके लिये भी गुंजायश नहीं रह जाती। तो उनकी हालत तो हम बिगाड़ रहे हैं और अगर इनको घर से निकाल देंगे तो १२-१३ लाख अधिवासी परिवारों की हालत बिगड़ेगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—आपका आशीर्वाद चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—शुक्ल जी मेरे आशीर्वाद के भूखे हैं। हम तो चाहते हैं कि अधिवासी लोग फलें फूलें, लेकिन अगर आप १०-१२ लाख अधिवासियों को निकाल कर हमारा आशीर्वाद रखें तो उससे तो कोई काम चलता नहीं। शुक्ल जी वही बात कह रहे हैं जो सरकार कहती है कि "गरीबी भाग जाओ" का मंत्र जपना चाहिये। जब हम गरीबी भगाने के काम के लिये सही रास्ता बतलाते हैं तो उस समय सरकार पर्दा डाल लेती है और संकोच करने लगती है, वैसे गरीबी भगाने के मंत्र के जपने को कहती है। तो मंत्रों से काम नहीं चलेगा। उसके लिये तो काम करना पड़ेगा और यह नहीं करना पड़े। जो किया जा रहा है। मैं सख्त मुखालिफत करता हूं इस विधेयक के इस अंश की और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने जो संकेत किया है आज, तो उससे मालूम होता है कि यह विचार उन पर अब प्रिवेल कर रहा है और अधिवासियों की जो मुसीबत है वह उनको मालूम होने लगी है। बाढ़ क्षेत्र में वह गये नहीं अबकी मर्तबा। अगर गये होते तो इस विधेयक के सदन में आने के पहले तो तो मैं समझता हूं कि अधिवासियों का बड़ा भला हुआ होता, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दो दिन में

वह उसको वापस ले लेंगे और इसके स्थान पर कोई ऐसा प्रावीजन, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें अधिवासी लोग जो हैं उनकी बचत हो सके। फिर मैं अपील करूंगा कि माननीय सदन इस विधेयक में से इस अंश को स्वीकार न करें। मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने जमीन दे दी है वह ऐसा समझते हुए है पहले से ही कि अब यह जमीन गयी, लेकिन अगर न भी समझे हों तो भी मैं कहता हूं कि जो लोग जमीन पर खेती नहीं करते, सिर्फ जमीन में नाम लिखे होने से जमीन का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों का युग बीत गया। हम लोग भी उन्हीं में से हैं, लेकिन हम समझते हैं कि यह अनुचित है, अन्याय है। जो जमीन को जोते, उसकी सच्ची पूजा करे धरती उसी की माता है। अब धरती के मालिकों का युग बीत गया। धरती अब माता समझी जाय और उसकी असली सपूत, मैं समझता हूं, कि अधिवासी ही हैं। धरती माता रुपये की भूखी नहीं है, सेवा चाहती है। तो अधिवासी उसकी असली सेवा करता है हल बैल से। अगर उस अधिवासी के पास कुछ रुपया हो जाय तो तो वह खायेगा, पीयेगा, मजबूत होगा, अच्छा फावड़ा लायेगा, इंटेसिव खेती करेगा। और अगर जौनपुर का होगा तो ऐसी इंटेंसिव खेती करेगा उपाध्यक्ष महोदय, कि दो हाथ लम्बी मूली पैदा हो सकती है। मौर्य जी से मैं कहना चाहता हूं कि वह इस जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में ले आवें और अपनी अधिवासियों की वकालत की उस समय की बात को याद रखें कि उनसे पैसा लेने की बात छोड़ करके उनको अधिकार उदारतापूर्वक देने चाहिये। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़ा शोर था कि जमींदारी खत्म होगी तो खून का दरिया बह जायगा। कोई दरिया नहीं बहा। हमारा देश कानून को मानने वाला देश है। उस देश से बढ़ करके कानून की मर्यादा को रखने वाला, कानून की प्रतिष्ठा रखने वाला, कोई देश नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग भी जिस वक्त कभी कानून तोड़ने की बात आती है तो उसकी मर्यादा की बड़ी रक्षा करना चाहते हैं, कभी उसके इधर उधर नहीं जाना चाहते और उसका एक सेरीमोनियल स्थान रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि हर जगह कानून तोड़ने का पेशा हमने बना लिया है। सरकार को एक हजार दफा कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जब देखते हैं कि दुनिया में कोई रास्ता नहीं रह गया तो फिर आखिर में उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि क़ानून तोड़ने के बाद फिर उस कानून से झगड़ा करें। एक मामूली सा कांस्टेबिल जाता है और कहता है कि तुमने इस कानून को तोड़ा है तो अपने आप को हम उसके सुपुर्द कर देते हैं। यह भी तो कानून का मानना है। मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अधिवासियों के लिये अगर ऐसा कानून पास हो गया कि बगैर रुपये के उनको हक़ दे दिया जाता है तो क्षेत्रपति उदारता के साथ इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि चलो, जो हुआ सो हुआ, हमारी धरती यह नहीं रही, यह धरती सपूतों की है।

एक बात मैं और कह दूं कि सरकार ने बड़े खाते वालों की सहायता करने के लिये एक संशोधन इसमें और किया है। पहले बड़े खाते वालों को शिकमी वगैरह देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब सरकार बड़े खाते वालों के चंगुल में है। मैं तो कहता ही हूं कि बड़े खाते वालों ने एक दम डिग्री हासिल कर ली। पुराने कानून में लिखा हुआ है कि दो वर्ष तक अगर तुम परती रखोगे तो उसके बाद वह जमीन निकल जायगी और जमीन निकल जाने के बाद वह गांव समाज को मिल जायगी और गांव समाज १९८ के मुताबिक उसको बांट देगा। अब हमारी सरकार ने इस विधेयक में यह गुंजायश की है कि अगर साढ़े १२ एकड़ से ऊपर वाले की जमीन परती रह जाय तीन वर्ष—अब दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष कर दिया गया है, तो उसको नोटिस दी जाय और उसके बाद फिर यह कहा जाय कि अब आबाद कर लो। दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष हुआ और उसके बाद कलेक्टर भी उसको मौका देता चला जायगा कि तब नहीं तो अब करो। और उसके बाद कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह गांव समाज की परवाह न करे, बल्कि खुद जिनको चाहे उनको वह जमीन दे और उसमें भी जो मालगुजारी वह हजरत देते हैं सरकार को उससे कुछ फ़ी सदी अधिक मालगुजारी जो जोते उससे वसूल करता रहे। यह मैं समझता हूं कि

[श्री गेंदा सिंह]

जरूरत से ज्यादा सरकार बड़े खाते वालों की सहायता के लिये चली जा रही है। नहीं जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कांग्रेस का एक वर्कर था तो जब कोई कानून आता था तो अपने गांव में बैठ कर सोचा करता था कि यह बड़ा बढ़िया हो गया। जब बड़े खाते वालों के पास जमीन परती पड़ेगी, मजदूर तो उनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मजदूरी देने में वे कोताही करते हैं, तो फिर वह जमीन सरकार भूमिहीनों को देगी अब इस विधेयक से वह आशा की गयी। अब कलेक्टर साहब किसको देंगे यह पता नहीं। वह जिसको चाहेंगे उसको देंगे। गांव समाज को अगर यह अधिकार दिया जाता तो या तो वह जमीन या तो किसी शिक्षा संस्था को मिलती या सार्वजनिक तरीके पर अगर किसी की जमीन निकल गयी होती तो उसको मिलती नहीं तो भूमिहीन को मिलती है। अब तो कलेक्टर जिसको पसन्द करेगा उसको मिलेगा। जिसको कलेक्टर साहब पसन्द करेंगे यह ईश्वर ही जानें और नहीं तो हमारे दूसरे भाई लोग जानें, जिनका नाम मैं रखना नहीं चाहता हूं, बहुत नाराज हो जाते हैं जब मैं नाम रखता हूं। तो मैं आप से कहूं कि इस विधेयक में इस बात की बिलकुल गुंजायश नहीं होनी चाहिये कि बड़े खाते वाले लोग इस तरह से अनुचित लाभ उठायें। उसमें यह चीज रखने की आवश्यता है कि दो वर्ष तक अगर लगातार परती रखते हैं तो उनको कोई हक नहीं है कि उस पर खेती करें और उस जमीन को ले कर गांव समाज को दे दिया जाय ताकि गांव समाज उसका बन्दोबस्त करके भूमिहीनों को दे सके ताकि हमारी जो समस्या आगे आयी हुई है उसको भी हम हल कर सकें।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि इस बिल में कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को हम भी पसन्द करते हैं। लेकिन वह ढक गयी हैं, ऐसी बातों से जिनको हम पसन्द नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि जब वह कहते हैं कि हमारे जीवन का सपना पूरा हो गया इस विधेयक को पास करा लेने में, तो मैं कहता हूं कि एक मर्तबा इस विधेयक को वापस ले लें और हमारे जैसे नाकिस मित्र की भी सलाह मान लें। बदनाम हो जायंगे, सारे हिन्दुस्तान में तो बदनाम ही हो जायंगे, सारे किसानों की दुनियां में बदनाम हो जायंगे। जो कोई इस विधेयक को पढ़ेगा वही कहेगा कि क्या हो गयी बुद्धि उनकी, शायद उनकी तबियत खराब होगी उसी तबियत की खराबी में यह बात कर दी। मैं कहता हूं कि जरा इस बात पर रात में फिर सोचें और इस विधेयक को वापस कर लें। मैंने इसकी कुछ खामियों की तरफ—और मैं यह नहीं कहता कि सारी खामियों की तरफ निगाह डाली है, बल्कि मैंने कुछ अच्छाइयों की तरफ भी निगाह डाली है और जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं वह इस बिल की खामियों की तरफ निगाह डालेंगे। आज व कल जो दो दिन जनरल डिसकशन हो रहा है। लेकिन मुख्य खामी जो है, जो नक्शा पूरा होने जा रहा है, उस पर मैं कह रहा हूं कि जब एक हजार, तीन हजार और पांच हजार एकड़ वाले खाते इसमें बने ही रहेंगे और शिवनारायण जी के वह हमारे भाई जो गोबरी खाने वाले हैं बने ही रह जायंगे, तो वह विधेयक सपना पूरा नहीं करता। इस लिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को वापस लें। अब शिवनारायण जी का डर मैंने छोड़ दिया। उनका नाम मैंने ले लिया वह चाहे जितनी गालियां मुझको देंगे मैं बरदाश्त कर लूंगा, क्योंकि शिवनारायण जी की गाली बड़ी मीठी होती है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं काफी सभ्य हूं। और इस हाउस का मेम्बर हूं। मैं गाली नहीं बकता हूं।

श्री गेंदा सिंह—अन्त में मैं अपील करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें और जब तक ३० एकड़ से ऊपर या जो कुछ भी सीलिंग मुकर्रर करना चाहें वह मुकर्रर कर सकते हैं और अपने प्लानिंग कमीशन, अपनी वर्किंग कमेटी और अपने चुनाव-घोषणा पत्र की प्रतिष्ठा करें और उस पूज्य जो हमारे देश का सर्वमान्य महात्मा है उसकी प्रतिष्ठा करें और उसकी प्रतिष्ठा करके अपनी प्रतिष्ठा करें और हमारे जैसे नाकिस मित्र की इज्जत कर के भूमि

के बटवारे की बात छोड़ दें। फिर जब वह आ कर कहेंगे कि हमारा नक्शा पूरा हो गया तो हम भी उठ कर उनको बधाई देंगे।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को पुनः प्रवर समिति में विचारार्थ भेज दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो जब यह विधेयक हमारे सामने आया तो बहुत कुछ कोशिश की कि मैं इसे पढ़ूं और समझूं कि माननीय मंत्री जी ने जो इतना प्रयत्न किया है, जिसका उनका ही नहीं अपितु उनकी सरकार को बड़ा गर्व है मैं भी उसकी कुछ ताईद कर सकूं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे इसमें कुछ ऐसा सूनापन दिखाई पड़ा कि मैं इसकी कुछ तारीफ कर सकूं या जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट जो पास हुआ है, और जिस लक्ष्य को लेकर वह बनाया गया है उसकी कहीं पूर्ति होती हो। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ४७ में तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र बाबू ने श्री कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी स्थापित की थी और मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर पंचवर्षीय योजना के अन्दर.....

श्री चरण सिंह--मैं जरा सी बात जानना चाहता था। यह तकरीर किस बात पर हो रही है। संशोधन पर हो रही है या मेरिट्स पर हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसी पर भाषण करें तो अच्छा है।

श्री जोरावर वर्मा--मैं कह रहा था कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उन खामियों की यह पूर्ति नहीं करता और मैं समझता हूं कि बिना इसको प्रवर समिति को दुबारा सुपुर्द किये हुये वे खामियां दूर नहीं हो सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को भेजने के पहले इस बिल पर कायदे से जनरल बहस हो जानी चाहिये थी और सदन के विचार मालूम हो जाते कि क्या-क्या सुधार और होने चाहियें, तब अगर रिपोर्ट सबमिट की जाती तो अधिक अच्छा था क्योंकि अधिकांश सदस्य गलतफहमी में हैं। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में इस बात को कमिट किया है कि उन्हें इस बात का रंज है कि इस पर पहले बहस न हो सकी और कई बातें जो इस समय माननीय मंत्री प्रकाश में लायेंगे उनको वह इसमें सम्मिलित न कर सकें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पंचायत राज ऐक्ट और रेंट कंट्रोल ऐक्ट जैसे संशोधक विधेयक आये उनमें सबसे अच्छी बात यह रही है कि रिपोर्ट के साथ साथ प्रिवियस ऐक्ट और अमेंडमेंट्स की प्रतियां दी गयीं जिनसे इस सदन के हर एक सदस्य को बड़ा लाभ हुआ और वे अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकें, लेकिन इस विधेयक में पहले जितने अमेंडमेंट्स आये उनको इस संशोधक विधेयक के साथ नहीं दिया गया जिसकी वजह से प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने के लिये पूर्ण सामग्री नहीं मिल पाती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक बना और जिस खामी को दूर करने के लिये प्रवर समिति को सौंपा गया और जो यह रिपोर्ट सबमिट हुई उस उद्देश्य को यह पूर्ति नहीं करता, दूर चला जाता है। जिस कमेटी का मैंने रिफरेंस दिया उसकी सिफारिश को हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मान लिया है और अगर मैं यह कहूं कि हमारी प्रदेश की सरकार जो माननीय नेहरू गवर्नमेंट की स्कीम है उसके विपरीत चल रही है तो अनुचित न होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरण सिंह--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जो प्रस्ताव है कि सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने से वे नुक्स कैसे दूर हो जायंगे इसी पर माननीय मित्र बोले, लेकिन अगर नुक्सों पर बहस करते हैं तो बहुत सी तकरीरें उन पर हो सकती हैं। सिलेक्ट कमेटी को क्यों सुपुर्द किया जाय इसी पर केवल तकरीर होनी चाहिये, वह भी बहुत संक्षेप में, न कि नुक्सों पर।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य ने एक संशोधन पेश किया है और उसी की पुष्टि के लिये वे अपना भाषण दें तो उचित होगा। पहले वक्त को ज्यादा समय दे दिया गया था। अब माननीय सदस्य की ओर से जो संशोधन है उसी पर उनका भाषण सीमित रहना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, जो सिद्धांत इसमें निहित हैं मैं उनको मानता हूं लेकिन मैं यह कह रहा था कि वास्तव में जो फंडामेंटल हैं उनमें और इस विधेयक में बहुत फर्क है, यह डिफर करता है.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह पुनः प्रवर समिति को भेजा जाय। तो इस वक्त और बातों पर विचार नहीं हो सकता है। आप अपने संशोधन के विषय पर ही अपना भाषण सीमित रखें।

श्री जोरावर वर्मा--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट में जो फंडामेंटल इशुज दिये हुये हैं, और जो यह जमीन का ऐक्ट बना है इसमें अन्तर है। मैं उसी को आप की सेवा में पढ़ देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--परन्तु सवाल यह है कि जिस प्रकार का आप का संशोधन है कि इसको पुनः प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये उसके सम्बन्ध में जो आप हवाला दे रहे हैं वह इसमें कैसे आ सकता है।

श्री चरण सिंह--मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप को कहना हो इसके समर्थन में या खिलाफ वह आप अपने संशोधन पर ही सीमित रखें। आप का संशोधन यह है कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय तो इसके उपर आप की जनरल तकरीर हो जाय और उसमें आप इसके नुक्स भी बयान करें लेकिन इस बात पर आप प्रकाश डालें कि यह सेलेक्ट कमेटी को क्यों भेजा जाय। इसकी कांस्टीट्यूशन एस्पैक्ट तक ही आप अपने को सीमित रखें।

श्री जोरावर वर्मा--वास्तव में जो यह पंचवर्षीय योजना है और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो भूमि की लिमिट रखी गयी है कि एक आदमी अधिक से अधिक इतनी भूमि रख सकता है.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो फिर यह प्रवर समिति में जायगा वहां प्रवर समिति के सामने आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं किन्तु इस समय तो अपने उस संशोधन पर ही आप अपने भाषण को सीमित रखें कि आप क्यों इसको पुनः प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--इस ऐक्ट के अन्दर जो खामियां हैं, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिक से अधिक कितनी भूमि एक आदमी के पास रहनी चाहिये, इसके लिये कोई लिमिट कायम नहीं की गयी है। यह तो तय कर दिया गया है कि किसी के पास जमीन अगर जायगी तो वह ३० एकड़ से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है, लेकिन जिसके पास पहले से ही ३० एकड़ से ज्यादा भूमि है उसके बारे में सरकार ने इस विधेयक में कोई प्राविजन नहीं किया है और माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई प्रकाश नहीं

डाला है। इस वजह से इस प्रकार का इन्तजाम न होने के कारण हमारे प्रान्त के अधिकांश लोग भूमि रहित हो जायेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि वे बेकार ही पड़े रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जब पास हुआ था तो उसमें यह था कि ८ अगस्त सन् १९४६ ई० के बाद कोई पट्टे नहीं होंगे, लेकिन सरकार को कोई पता नहीं है कि क्यों गांव के जमींदारों ने जब से यह ऐक्ट लागू हुआ जुलाई, सन् १९५२ ई० से जबरदस्ती क़ब्जे कर लिये। उनके पट्टे दूसरों को कर दिये हैं या खुद जबरदस्ती उन पर क़ब्जा कर लिया है। इस विधेयक में, जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, कहीं पर भी इस बात का संकेत नहीं दिया गया है और सरकार को इसमें क्या करना चाहिये। इसी वजह से मैं यह उचित समझता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के सामने जाय। इसमें जो जमींदारों को और फैसिलिटी देने की बात कही गयी है जिस पर ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि यह सलेक्ट कमेटी में जाय और वहां इस पर विचार होने के बाद फिर इस सदन में लाया जाय।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री जोरावर वर्मा—दूसरी बात लगान के सम्बन्ध में है। जिन लोगों का लगान १० गुना, २० गुना, या ४ गुना है उन लोगों का लगान सर्किल रेट से दुगुना कर दिया जायगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का लगान सर्किल रेट से कम है उनके बारे में सरकार क्या करने जा रहा है, यह नहीं मालूम पड़ता। ऐसी ही और बहुत सी बातें हैं, जिनके पास हो जाने के कारण हमारी भूमि-व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी पैदा होगी। अतः मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये।

*श्री केशवानराय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो विधेयक इस समय हमारे सामने प्रस्तुत है तथा जो मूल अधिनियम है, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो संशोधन के प्रतिकूल जाती हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय। संविधान में एक धारा है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के लिये धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई विभेद पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन इस विधेयक में अथवा मूल अधिनियम में जहां पर उत्तराधिकार का प्रश्न आता है वहां पुत्र पौत्रादिक पुजातीय को ही अधिकार दिया गया है और पुत्रियों के लिये विभेद बरता गया है, जब कि पुत्र और पुत्री में लिंग के अलावा और कोई भेद नहीं है। मैंने इस पर अच्छी तरह से विचार किया तो मुझे मालूम हुआ कि संविधान की इस धारा के अन्तर्गत कोई भी कानून जो इस प्रकार का विभेद पैदा करता है वह अमान्य हो जायगा। इसके अतिरिक्त जब यह विचार किया गया कि संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकार में कितनी चीजें आती हैं तो मेरे विचार की उससे पुष्टि होती है। राज्य सरकार के अन्तर्गत स्थानीय अधिकार, तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अन्य अधिकार जो भारत संघ के अन्तर्गत हों आ जाते हैं। मेरा यह ख्याल है कि यह जो उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम है, वह प्रान्तीय अधिकारों के अन्तर्गत आता है, लेकिन उत्तराधिकार का प्रश्न प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों के अन्तर्गत आता है। इसलिये हमें यह देखना होगा कि हमारे राज्य में जो कानून बनाये जाते हैं वे किसी मूलभूत सिद्धांत को तोड़ते तो नहीं हैं। विचार करने पर मालूम हुआ कि यह पुत्र पौत्र दिक का जो क्रम है वह हमें परम्परा से ही प्राप्त है। हिन्दू ला के अनुसार पुत्र को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब इस नियम के अनुसार हिन्दू ला भी लागू नहीं होगा। यह नियम चाहे वह हिन्दू हो, या ईसाई हो, चाहे साधारण नागरिक हो सबके लिये लागू होगा। अब साधारण नागरिक लड़का और लड़की दोनों हैं, इनमें से लड़के को भाग मिलेगा, लेकिन लड़की को अधि-

* ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभानराय]

कार नहीं होगा । इस प्रकार से मेरा ख्याल है कि यह लड़कियों के खिलाफ एक कानून बनाया जाता है जो कि संविधान के धारा के भी खिलाफ जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को वापिस करके अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जाय और यह देख लिया जाय कि इससे संविधान की मूल धारा तो भंग नहीं होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक को बिना जान का कोई खिलौना कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसलिये कि यह जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम सदन के सामने माननीय राजस्व मन्त्री जी के करकमलों द्वारा पेश किया गया है उसको अगर गौर से देखा जाय तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि मूल अधिनियम जो जमींदारी उन्मूलन एक था वह अधिवासियों की रक्षा करता था। गत १५ साल से और जब से माननीय राजस्व मंत्री की सरकार कार्य करती चली आ रही है क्षेत्रपति ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह खेत उसे वापस होने वाले हैं, वह क्षेत्रपति जो डूब रहा था उसके लिये यह अधिनियम तो डूबने को तिनके का सहारा हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में सुपुर्द करने के पहिले जब यह सदन के सामने उपस्थित हुआ और यही नहीं इसके पहले जब सरकार जमींदारी का खात्मा करने के लिये दसगुना की वसूली कर रही थी उस वक्त भी हमारी ओर से कहा गया था कि किसान के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वह १० गुना दे सके। किन्तु यह सरकार तो झोंपड़ी का ख्याल नहीं करती, महलों की ओर सरकार का ध्यान है और उन्हीं के इशारों पर चला करती है। माननीय राजस्व मंत्री जी को वह सपना तो अब खत्म कर देना चाहिये था और समझ लेना चाहिये था कि किसान ने दसगुना की वसूली में उनकी अपील को नहीं सुना। इसलिये नहीं सुना कि वह भूमिधर बनना नहीं चाहता था बल्कि असल में बात यह रही कि किसानों के पास पैसा नहीं था और पैसे के अभाव में अपने कितने खेतों को उसने बंधक रखा, पशुओं को बेंचा, गहन गुरिया बेचा, अपने सामने की अन्न की थाली को बेंचा और इसके बाद यही नहीं कि चौकीदार से ले कर माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तक, पूरी शक्ति यहां से ले कर केन्द्र दिल्ली तक की लगी फिर भी केवल ३३, ३४ करोड़ रुपया वसूल हुआ। यही सबूत है कि किसानों के पास हमारे प्रदेश में पैसा नहीं था और जब कि किसान की कमाई चार साल पहले तेज बिकती थी और आज सस्ती हो गई है और उसके साथ ही साथ किसान जो सामान इस्तेमाल करता है वह मंहगा होता चला जा रहा है, ऐसी दशा में किसान से, खेतिहर मजदूर से, जो दिन भर ढेंकुर चलाते हैं, निराई करते हैं तो केवल एक आना और एक लोटा शीरे का रस पाते हैं उससे माननीय राजस्व मंत्री जी भरोसा करते हैं कि वह पन्द्रहगुना या पांचगुना मुआबिजा देकर सीरदार या भूमिधर बन जायगा। हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी के जो पश्चिमी जिले हैं वहां के किसानों के पास पैसा हो। एक बार जब मैंने बहुत पहले सदन में कहा था कि पूर्वी जिलों का हरिजन चैत के महीने में भी गोबरहा का अन्न खाता है तो माननीय महीलाल जी को बहुत ताज्जुब हुआ था और उन्होंने कहा था। कि तुम कैसी बातें करते हो। हो सकता है कि माननीय महीलाल जी की जो बात थी वही माननीय राजस्व मंत्री जी की हो माननीय महीलाल जी और ज्यादा से ज्यादा जो उधर के लोग हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन झोपड़ी में रहने वाले हरिजनों और गरीब लोगों की जो अधिक तादाद में ९९ फीसदी ऐसे हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती है उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते हैं और ऐसे लोगों से ५ गुना, १५ गुना वसूल करने के माने हो जाते हैं कि उनके सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो सरकार को ५ गुना, १५ गुना देकर सीरदार और भूमिधर बन जायं या अपने खेतों को छोड़ कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि महीलाल जी कहते हैं किसान ५ गुना व १५ गुना दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी जिलों में १०

फीसदी भी किसान ५ गुना, १५ गुना नहीं दे सकते और मेरा अनुभव है और उस अनुभव क आधार पर कहना चाहता हूं कि जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और एक साल ही नहीं, ४,५ साल लगातार बाढ़ आयी हो, जहां के किसान के बच्चे आज दाने दाने के लिये मोहताज हों, रहने के लिये मकान न हो, पहनने के लिये कपड़ा न हो, पढ़ने लिखने के साधन न हों, वहां के लोगों से सरकार यह कोशिश करे कि ५ गुना, १५ गुना, दें तो क्या नतीजा होगा। अध्यक्ष महोदय, १० गुने के सिलसिले में सरकार की ओर से आदेश था कि जिसकी इच्छा हो दे जिसकी इच्छा न हो न दे। लेकिन मैं आपके द्वारा और माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आपके कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा अपना नाम और वाहवाही कमाने के लिये किसानों पर ज्यादतियां नहीं की।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विषयान्तर हो रहा है। पहिले सदस्यगण ज्यादतियों के बारे में कह चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ५ गुना और १५ गुना वसूल करने में किसानों के साथ ज्यादतियां हो सकती हैं। और निजात का एक ही तरीका होता है कि अब तक के कानून जो सरकार के हाथ में रहे हैं और जिससे किसानों को लाभ होता रहा है वही किसान के लिये काफी थे। इस तरह से बिना मुआवजा दिये उसको अधिकार देना मेरी समझ से ठीक था। और जब कि अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी और उनकी सरकार, जो बहुत प्रगतिशील मानी जाती है, अपने को हम लोगों से कम नहीं समझते हैं। एक बार नहीं बीसों बार सदन में घोषणा कर चुके हैं कि आप लोगों से हम लोग अपने को कम नहीं समझते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह कहना ग़लत न होगा और माननीय राजस्व मंत्री जी और उनकी पार्टी के जो वहां बैठे हुये हैं इनमें दो तरह के लोग काम करते हैं। एक तो माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते थे कि जो खेतिहर मजदूर किसान है, जो अधिवासी है उसको काफी हक़ मिलें और सस्ते हक़ मिलें, ढंग से मिलें। लेकिन आप जानते हैं कि उनके जो नेता हैं एवं उनको जो रास्ता बताने वाले हैं उनको उनका हक़ तक देना नहीं चाहते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है कि जब इस कानून को माननीय राजस्व-मंत्री जी ने उपस्थित किया था तो कांग्रेस के प्रांतपति ने इसकी तीव्र आलोचना और टीका टिप्पणी की थी और यही नहीं सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था कि उसके बाद इस कानून में कुछ परिवर्तन भी हुये हैं। इससे तो यही अच्छा रहा होता अगर वही रहता तो जो कि प्रवर समिति में जाने से पहले सदन में प्रस्तुत किया गया था। उसकी कई धाराएं अच्छी थी लेकिन बाद में उसमें कई परिवर्तन ऐसे हो गये जिससे किसानों की रक्षा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि अपने संविधान के अनुसार हम किसी की सम्पत्ति बिना मुआवजा के लेना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ देहली में बैठी हुई सरकार जिसके नेता माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं, उन्होंने एक बार नहीं बीसियों बार कहा है कि खेती के सम्बन्ध में एक फैसला होना चाहिये कि बेदखली ख़त्म हो जाय और कांग्रेस कार्यसमिति ने तो इसके लिये एक समिति अलग से बना दी है जिसने निर्णय कर दिया है कि मुआवजें के सवाल को ख़त्म करना चाहिये और माननीय नन्दा जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि इस तरह के मुआवजे की बात को ख़त्म हो जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि जब कांग्रेस कार्यसमिति और हमारे प्रधान मंत्री जी की ऐसी घोषणा है और उसके बाद सदन में मुआवजे की बात आये और उन लोगों के सम्बन्ध में आये, जो बिना घरबार के हैं तो यह बात ठीक नहीं है।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि मुआवजें की जो शर्त है उस पर सरकार को और इस माननीय सदन को बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद वापस लेना चाहिये और ४४ लाख अधिवासियों का आशीर्वाद लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

विधेयक में अक्षम लोगों को बेदखल करने का अधिकार दिया जा रहा है ये अक्षम लोग कौन हैं ? यह तो बहुत विवादास्पद विषय है। मेरठ जिले में शायद ऐसी बात न हो लेकिन पूर्वी जिलों में तो बहुत ज्यादा तादाद में बड़े-बड़े जमींदार थे जो २५० रुपये या उससे ज्यादा के मालगुजार थे, उन्होंने अपनी औरतों के नाम, अपनी भावज के नाम तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम से अपने खातों का बटवारा कर दिया और अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिले में और सब से ज्यादा बनारस जिले में इन्होंने इतना किसानों के ऊपर उत्पात किया है कि वहां के किसान रो रहे हैं। ऐसे लोगों को बेदखल करने का अधिकार देना मैं समझता हूं कि खुली छुट्टी देनी है लूट की, कि ऐसे लोग जो अब तक एक रुपये के बदले १० रुपये मालगुजारी वसूल कर रहे थे, जो अब किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार करते रहे हैं।

एक तरफ तो राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि हमारा स्वप्न पूरा हो रहा है दूसरी तरफ जहां लाखों आदमियों की रोटी का सवाल था उनको बेदखल करने की बात सोच रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसी स्त्रियां जिनके पति जिन्दा हैं और अपने खेत दूसरों को यानी शिकमियों को दिये हुए हैं ऐसे लोग जिनके पिता जिन्दा हैं और नाबालिग लड़के के नाम उन्होंने अपने खेत को उठा रक्खा है तो ऐसे लोगों को बेदखल कर दिया जाय। अगर सही माने में सरकार या राजस्व मंत्री चाहते हैं कि अधिवासियों को हक मिले तो उसकी एक ही कसौटी है कि यह जो धारा है उसको निकाल दिया जाय।

माननीय राजस्व मंत्री खातों के बटवारों की बात पर बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि बहुत से खातेदारों के बटवारा न होने के कारण बहुत परेशानी होती रहती है, कलह और मुक़दमेंबाजी होती रहती है, जब यह धारा १७८ से लेकर १८१ तक, जो प्रवर समिति में जाने से पहले संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया था, उसमें उनके निकाले जाने का संशोधन था। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि शायद ही कोई सम्मानित सदस्य रहा होगा सदन का जिसको प्रसन्नता न हुई होगी और माननीय गेंदा सिंह और हम सब लोग जब नैनीताल में मौजूद थे तो माननीय गेंदा सिंह के जिले से लगभग ५० वकीलों और मुख्तारों ने धन्यवाद का पत्र माननीय राजस्व मंत्री के लिये लिखा था कि साहब यह जो संशोधन विधेयक है इतना अच्छा है कि इससे गांव का कलह और मुकदमें बाजी दूर हो जायगी और लोगों के कमाने खाने के लिये रोजी मिल जायगी फिर लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि माननीय राजस्व मंत्री कुछ चाहते जरूर थे, लेकिन जो अंकुश है वह अंकुश चलने नहीं देता है और उसी का नतीजा है कि उस धारा में परिवर्तन हुआ, संशोधन लाया गया और ३ १/८ एकड़ तक का ही बटवारा करने का फैसला किया गया। मैं आपके द्वारा पुनः सदन और माननीय राजस्व मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये धारायें बिलकुल निकाल दी जायं और खाते के बटवारे का रास्ता हर एक आदमी के लिये पूरा खोल दिया जाय। मैं समझता हूं इससे भी सदन का बहुत ज्यादा लाभ होगा और मैं यह भी समझता हूं कि जैसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि इस विधेयक में भी और मूल अधिनियम में भी बहुत सी खामियां और कमियां हैं जिनका संशोधन जल्दी किया जायगा तो मैं नहीं समझता हूं कि जल्दी-जल्दी एक साल में संशोधन लाया जाय, पैसा खर्च किया जाय और करोड़ों आदमियों को परेशान किया जाय। इसलिये अच्छा यह होता कि इसी संशोधन विधेयक में इस तरह का संशोधन कर दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि किसान या क्षेत्रपति जो भी है स्वीकृत शिक्षा संस्थाओं को अपनी सम्पत्ति या भूमि दान दे सकता है। प्रवर समिति में इसका बहुत विरोध किया गया था और मैं नहीं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी बैठे हुये हैं यहां पर सदन में, वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के भी चेयरमैन हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद् इसी सदन की, गवर्नमेंट की कमेटी है और बहुत से शिक्षा विशारद लोग उस कमेटी के सदस्य हैं। बड़ी बड़ी शर्तें उसकी हैं, १५ हजार रुपये का कोष हो, ट्रेंड टीचर्स हों, इमारत

हो, सारा सरो सामान हो, तब कहीं जा कर शिक्षा संस्थाओं को माननीय परिपूर्णानन्द जी बड़ी कठिनाई के साथ तो मान्यता प्रदान करते हैं और वह कमेटी अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड होती है सरकार के नियमानुसार ही, तो जिन शिक्षा संस्थाओं का संचालन रजिस्टर्ड कमेटियों द्वारा होता हो और जिसके पास पैसा हो पर्याप्त, तब परिषद् द्वारा मान्यता मिलती है, उसको भी कहते हैं माननीय राजस्व मंत्री कि जब तक हम उसको स्वीकृत नहीं देंगे तब तक ऐसे कालेजों और शिक्षा संस्थाओं को भी दान देने का अधिकार हम नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के लोग ही अपने अधिकारों में छीना झपटी कर रहे हैं। कहीं शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि मेरा अधिकार रहे और कहीं राजस्व मंत्री चाहते हैं कि मेरा अधिकार रहे। मैं इसको कहना चाहता हूं कि आप के जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी से कि शिक्षा परिषद् द्वारा रजिस्टर्ड कमेटी द्वारा जो शिक्षा संस्थाएं चलती हैं वही काफी हैं कि शिक्षा संस्थाएं मान ली जायं। उसमें अपनी शर्त लगाना, दरबार कराना अनुचित है। आप के द्वारा पुरजोर शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को संशोधन विधेयक में से निकाल देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त गांव समाज की सम्पत्ति को इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार ले लेगी और यदि उस गांव समाज ने उस सम्पत्ति पर कोई विकास किया है तो केवल विकास का मुआविजा सरकार देगी। इस प्रदेश में बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं कि सरकार व्यक्तिगत कामों के लिये भी गांव समाज की संपत्ति को ले लेती है और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह क्या बात है कि सरकार गांव समाज की संम्पति को बिना प्रतिकर दिये लेना चाहती है ? यदि आप लेना चाहें तो मुआविजा देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय उस जमीन, सम्पत्ति का भी मुआविजा और विकास का भी मुआविजा आप को देना होगा और हमको भी देना होगा, लेकिन सरकार चाहती है कि हम केवल विकास का ही मुआविजा दें। यह दोनों प्रकार की नीति ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार उस गांव समाज को, जिसने पैसा खर्च करके, या जिसको सरकार द्वारा यह अधिकार मिला कि उस सम्पत्ति का मालिक समझा जाय, उस सम्पत्ति का मुआविजा मिलता, तो मेरी समझ में गांव समाज के लोग उत्साहित होते और उत्साहित होने के माने यह थे कि जो भी संपत्ति उनके हाथों में आती, उसमें वह विकास करते। अगर गांव समाज के हाथों में जो संपत्ति है, उसका प्रतिकर भी न मिले, केवल विकास का ही प्रतिकर मिले और वह भी मनमाने ढंग से मिले – क्योंकि कोई भी तरीका इस विधेयक में नहीं बताया गया है– तो गांव समाज के लोग अनुत्साहित होंगे और अपनी सम्पत्ति के ऊपर विकास करने की योजना बनाने की उनकी इच्छा नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट में यह बात जुड़ जानी चाहिये कि संपत्ति का भी मुआविजा और विकास का भी मुआविजा इन इन शर्तों पर, इन इन सीमाओं पर दिया जायगा। इस तरह का संशोधन इस विधेयक में होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि गांव समाज की संपत्ति को गांव पंचायत का कोई व्यक्ति ग़लत तरीके से कब्जा कर ले तो गांव समाज को अधिकार होगा, किसी व्यक्ति को अधिकार होगा कि कलेक्टर के द्वारा वह गांव समाज उस संपत्ति को वापस दिलाये। अध्यक्ष महोदय, इसका तो बहुत कटु अनुभव हमको है। गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन एक गांव में एक जंगल और एक पोखरी है उस गांव के जमींदार ने अपने नाम से लिखा ली। प्रधान ने दरख्वास्त दी, प्रस्ताव पास किया। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे गांव पर, प्रधान पर, मुकदमा चला, झूठा मुकदमा चला और सजा भोगनी पड़े। एक मर्तबा माननीय माल मंत्री के सभासचिव मौर्य जी जो सदन में बैठे हुये हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि "क्या कहते हो, यह तो मेरे गांव में भी हुआ है। मेरे घर के पास गढ़ी है, उस पर भी ऐसा इन्दराज हो गया"। तो अध्यक्ष महोदय, गांव समाज की संपत्ति का भूतपूर्व क्षेत्रपतियों ने या और जो बड़े बड़े सीरदार थे, उन्होंने अपहरण किया है, सरकार द्वारा उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जब जब यह मसला आता है कलेक्टर से कह दिया जाता है और इस सदन में अध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ होती है हमको। सरकार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

ही कायदे कानून बनाती है, लेकिन उसके बाद ही सरकार अपने द्वारा बनाये हुये कानूनों को उल्लंघन करती है, हत्या करती है और जब विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार द्वारा बनाये हुये इस कानून को अमली रुख नहीं दिया जा रहा है तो सरकार उन्हीं लोगों पर विश्वास करती है जो उसके अधिकार और कर्मचारी हैं, जो आजतक गरीबों का खून चूसते रहे हैं और अंग्रेजी राज्य के इशारे पर चलते रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५२ के संशोधन विधेयक को इसी सदन ने स्वीकार किया था। बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन संशोधन के जरिये लाखों किसानों को हमारे प्रदेश में अधिकार मिलेगा जो खेतों को जोतते हैं, लेकिन उनके नाम पटवारियों के कागज में दर्ज नहीं है। बहुत बड़ा आन्दोलन देश में चला और हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं। हमारी सूबा पार्टी के अध्यक्ष श्री गोपाल नारायण सक्सेना, गिरफ्तार किये गये। सैकड़ों आदमी जेलखाने में ठूंसे गये, लाठिया चलीं और क्या क्या अत्याचार हुये। इसी सदन में, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कई बार काम रोको प्रस्ताव लाये गये लेकिन सरकार के लोग कहा करते थे कि रामसुन्दर पांडेय और इस पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, कहीं ग़लत इन्दराज नहीं है, हमारे अधिकारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन साल भर के बाद वही बात हुई जो हम एक साल पहले कहते थे। लेकिन फिर आज अधिवासियों को हक़ देने का अधिकार उन्हीं को दिया जा रहा है एक बार नहीं बीस बार मैं सरकार से कह चुका हूं कि जिन लोगों को उस कानून के मुताबिक़ अधिकार भी मिले हैं, मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले हैं लेकिन माननीय राजस्व मंत्री के दुलारे क्षेत्रपति लोग उन खेतों पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं। सरकार के पास थानों में रिपोर्ट आती है और मैं आप के द्वारा माननीय मौर्य जी से कहना चाहता हूं, यदि मैं ग़लत कहूं तो वह इसी वक्त उसका विरोध करें, उनको और राजस्व मंत्री जी को मैंने लिस्ट दी है कि इतने किसानों के नाम पटवारी के काग़ज़ में दर्ज है, मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले हैं और आपके दुलारे क्षेत्रपति क़ब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मौर्य जी और उनकी सरकार ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पाती है। इसमें कहा गया है कि परगना हाकिम १९८ के अनुसार अपनी मर्जी से फैसला करेगा। अपनी मर्जी से फैसला करने वाले परगना हाकिम को मैं छूट नहीं देना चाहता। फ़ैसले कैसे होते हैं यह सदन जानता है और हम सब लोग जानते हैं। मैं इस तरह की पाबन्दी चाहता हूं। "इच्छा" जो शब्द है वह बिलकुल हट जाना चाहिये। यही नहीं, अपील करने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। एक तरफ जहां इस विधेयक में कहा गया है कि अधिवासी जब वह साबित हो जायगा तो भूमिधरी और सीरदारी के लिये पहले दीवानी की अदालत में जायगा फिर माल में आयेगा और उसके बाद फिर दीवानी में जायगा तब फ़ैसला होगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार सस्ता न्याय देना चाहती है और हम सब लोगों की बड़ी इच्छा थी कि सस्ता न्याय मिले। आप देखे होंगे कि सेलेक्ट कमेटी में आने के पहले जब यह संशोधन विधेयक पेश किया गया था तब इस तरह की पाबन्दी नहीं थी। लेकिन यह पाबन्दी लगा देने के माने यह हो जाते हैं, हम साफ़ कहना चाहते हैं कि अधिवासियों को सरकार जो हक़ देना चाहती है वह हक़ वे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारे गांव के पास में एक गांव है। मैजिस्ट्रेट ने मौक़े पर जा कर किसानों के हक़ में फ़ैसला दिया। क्षेत्रपति ने उस फ़ैसले के खिलाफ दीवानी अदालत में मुक़दमा दायर कर दिया। उसमें से क़रीब ८० फीसदी किसान दीवानी के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सके और घर बैठ गये, समझौता हो गया, आधे आधे खेतों को क्षेत्रपति को दे दिया गया। हमसे एस० डी० एम०, घोसी ने कहा कि यदि मैं यह काम न करता तो फिर किसान वह भी खेत प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैं पूंछना चाहता हूं मौर्य जी से कि आप जो ईशू कायम करने का अधिकार दीवानी में देते हैं, फ़ैसला करने का अधिकार दीवानी में देते हैं तो क्या यह दो तरफ़ा खर्चा किसान बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिये वह अपना हक़ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ईशू क़ायम करने का और फैसला करने का अधिकार दीवानी से खत्म हो जाना चाहिये।

माल में ही दरख्वास्त पड़े और वहीं फैसला हो और वह फैसला आखिरी मान लिया जाय और सरकार चाहती है कि सही मानी में ४४ लाख अधिवासियों को अधिकार मिले। हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, एक खाने के और दूसरे दिखाने के। एक तरफ माननीय मौर्य जी कहते हैं कि हम अधिवासियों को हक़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय इतना मंहगा कर रहे हैं कि वह उसे प्राप्त न कर सके। तब तो किसानों की बहबूदी की बात नहीं हो सकती है उनकी बरबादी की बात हो सकती है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीवानी और माल में जो किसानों को ले जाया जा रहा है यह बहुत खराब बात है और इस संशोधन कि विधेयक से उसको निकाल देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में यह सवाल आया .....

श्री अध्यक्ष--मैं प्रवर समिति के अन्दर की बात कहने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में मुआविजा देने का जो तरीका बनाया गया है, परिपाटी जो कायम की गयी है, मेरा ख्याल है कि जब आप अपने जिलों में जाते होंगे और किसानों से बात करते होंगे और जो छोटे-छोटे जमींदार जिनको १०, २० रुपया मुआविजा प्राप्त करना था तो आपको मालूम हुआ होगा कि भूतपूर्व जमींदार को वह मुआविजा लेने में कितने देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। जब राजस्व मंत्री जी से यह बात कही गयी कि बहुत से देवताओं की पूजा करनी पड़ती है तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया कि मेरठ में जब मैं गया था तो वहां मेरे एक मित्र को भी तीन जगह घूस देनी पड़ी। तो फिर जब पुराने जमींदारों को जिनको बड़े-बड़े मुआविजे प्राप्त करने हैं सरकार और माननीय राजस्व मंत्री जानते हैं, नायब तहसीलदार और क्लर्क घूस लेते हैं, उसके बाद ही उनको मुआविजा मिलता है और बहुतों का इतना कम मुआविजा होता है कि आने-जाने का किराया, खाने-पीने का खर्च करके खाली हाथ वापस आना पड़ता है। वही तरीका कि तहसील में जा कर दरख्वास्त दें, फिर दरख्वास्त देने के बाद मुआविजा प्राप्त हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनको आप मुआविजा देना चाहते हैं, जिनकी चिन्ता में आप ४४ लाख अधिवासियों के हक़ों को छीनना चाहते हैं उनका हित भी पूरा नहीं होता है। उनको घूस देनी होगा, इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन होना चाहिये कि उसको मनीआर्डर द्वारा मुआविजा दे दिया जाय। या अभी हम अपने जिले से आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में तकावी देने का एक तरीका है कि परगना हाकिम उस देहात में जाता है और डुगडुगी पिट जाती है। किसान आता है और तकावी ले कर चला जाता है, यह भी सहूलियत बरती जा सकती है। जहां मुआविजा देना हो वहां परगना हाकिम या तहसीलदार जायं, उन लोगों को अपने सामने मुआविजा दें। तो मैं समझता हूं कि उनको कुछ सहूलियत हो सकती है। इसमें यह संशोधन अवश्य होना चाहिये। लेकिन कानूनी दांव पेंच की बात करने वाले दांव पेंच की बात करते हैं, लेकिन दांवपेंच करते ही मुआविजा पाने वाले मारे जाते हैं। उसकी दवा माननीय राजस्व मंत्री खोज नहीं पाते हैं जब कि खुद जानते हैं कि यह रोग है। मैं आपके द्वारा, माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस तरह का संशोधन इस धारा में होना चाहिये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि मालगुजारी की वसूली की जो पद्धति है उससे किसानों को कहां तक राहत मिली है। माननीय राजस्व मंत्री ने बीसियों बार कहा है कि जमींदारी का खात्मा हमने करके किसानों को राहत दी है। जो किसान भूतपूर्व जमींदारों द्वारा लूटे और सताये जाते थे उनसे उनकी रक्षा हो गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कटु अनुभव यह है कि जमींदारों से बढ़ कर अत्याचार और जुल्म सरकारी कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी आज ही सदन में एक सवाल के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने यह स्वीकार किया कि नायब तहसीलदार ने मालगुजारी की वसूली में साथ-साथ किसानों को घंटों तक खम्भों में बंधवाये रक्खा और सरकार ने उसको कड़ी चेतावनी दे कर छोड़ दिया। जमींदारों की मैं तारीफ नहीं करता लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि साल दो साल और तीन साल

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तक का लगान बकाया रहता था लेकिन खम्भे में बांधने की बात मौर्य्य जी के राज्य में हो रही है। जमाबन्दी तो बिलकुल लेखपालों ने ग़लत बना दिया है। जहाँ पर किसान भूतपूर्व जमींदारों को ४ रुपये लगान के देते थे आज मौर्य जी की जमाबन्दी में वह ८ रुपये हो गया है। श्रीमन्, मेरे पास शिकायतें हैं और सबूत हैं कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनसे मालगुजारी वसूल कर ली गई है लेकिन मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई। अंग्रेजी राज्य में भूतपूर्व जमींदारों के समय तो बाढ़ के समय छूट के पर्चे बनते थे और छूट का पर्चा बिना बाटे किसान से मालगुजारी वसूल नहीं की जाती थी लेकिन आज छूट देने के पर्चे की बात कौन कहे, बिना छूट दिये ही किसान पर वारेंट, कुर्की हो जाती है, उसको पेड़ से बांध दिया जाता है और कोरी चेतावनी दे कर छोड़ दिया जाता है। यह जो मालगुजारी में आज इतनी बढ़ोत्तरी की जा रही है इससे किसान मर जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सूबे की बात को नहीं जानता लेकिन अपने यहां की बात जानता हूं कि हमारे यहां के जमींदार किसान से तीन रुपये, ढाई रुपये एकड़ मालगुजारी लेता था लेकिन आज उसी किसान से ६ रुपये, पौने सात, पौने आठ और आठ रुपये मालगुजारी वसूल की जा रही है और उनकी मालगुजारी मौर्य जी की जमाबन्दी में हो गई। लगान में भी कमी नहीं की गई जो कि सर्किल रेट के मुताबिक होनी चाहिये थी। कहा गया था कि जमींदारी के खात्मे के बाद किसान की लगान आधी हो जायगी लेकिन देखा यह गया कि दस गुने लगान की वसूली का जनाजा निकल गया और अब ५ गुना और १५ गुना की बात की जा रही है, इसका भी खात्मा हो जायगा। सरकार को इस पर गम्भीरता से, शान्तिपूर्वक और ईमानदारी से विचार करना चाहिये और ऐक्ट में किसान के ऊपर उतनी ही मालगुजारी वसूल करने की पाबन्दी लगानी चाहिए जिसे किसान में देने की क्षमता हो और आस-पास के गांवों में जो वसूल की जाती हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारी तरफ शहर मुअइयन काश्तकार होते हैं। जहां इस तरह का बन्दोबस्त है वहां मालगुजारी ८ आने, १ रु० बीघा होती है लेकिन जहां पर इस तरह का बन्दोबस्त नहीं है वहां पर ७ रुपये बीघा तक है। तो मैं मौर्य जी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पहले सरकार को भूतपूर्व जमींदारों से पौने आठ करोड़ रुपये मालगुजारी वसूल करके संतोष हो जाया करता था और सारा काम-काज चलता था लेकिन आज १८ करोड़, २४ करोड़ और ३० करोड़ रुपये तक वसूल किया जाता है और आधी मालगुजारी कर दी जाय तब भी भूतपूर्व जमींदार जितने मालगुजारी देते थे उससे कहीं ज्यादा आमदनी सरकार को होगी। इसलिये इस विधेयक में और इस धारा में इस बात का जरूर संशोधन होना चाहिये कि मालगुजारी भूमि को देख कर एक सिरे से निश्चित की जाय जिससे कि किसान अपनी आमदनी के मुताबिक उसको दे सकें। यह संशोधन इस विधेयक में करना आवश्यक है।

सबसे बड़ी बात जो इस संशोधन विधेयक में कही गयी है वह यह है कि सरकार की जानकारी में कुछ सीरदार हैं जिनको सरकार चाहती है कि उनको मालगुजारी में कुछ छूट दी जाय। वे सीरदार कौन लोग हैं मैं जानता नहीं किन्तु मेरा ख्याल है कि शायद ९९ फीसदी वे सीरदार तो नहीं हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया है। जमीन पर क़ब्ज़ा करके गांव समाज की सम्पत्ति को हड़प लिया है। हजारों एकड़ खेत पर काबिज़ हैं, लेखपाल के कागज में और हरसाल परताल होती है उनमें गेहूं या चने की पैदावार भी होती है लेकिन सही बात यह है कि खेत में पैदावार नहीं होती है और कमाई भी नहीं होती है। तो माननीय राजस्व मंत्री उनकी रक्षा करना चाहते हैं परन्तु कैसे करें? वह रक्षा करने की बात इस विधेयक में लायी जा रही है। ऐसे वे ही सीरदार हैं जो मध्यवर्ती हैं और जिन्होंने जमीन पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है कि उस जमीन में गल्ला पैदा कर सकें। ऐसे लोगों को मालगुजारी में छूट देने का हक जिला मजिस्ट्रेट को दिया है। अध्यक्ष महोदय, जिला मैजिस्ट्रेट आजकल के क्या हैं और वह सरकार के हक़ में क्या काम करते हैं यह सारा सदन जानता है। एक

तरफ तो ४४ लाख अधिवासियों से १५ गुना वसूल किया जाय और उनके घर को बन्ध रख दिया जाय और दूसरी तरफ बड़े-बड़े सीरदारों को मालगुजारी में छूट दी जाय तो इसके लिये क्या कहा जाय। इसके लिये मैं यह कहूं कि सरकार बड़े-बड़े भूमिधर और सीरदार की तरफ बैठने वाली है और उसकी रक्षा की बात सोचती है तो गुनाह नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे सीरदार जो हजारों और सैकड़ों खेतों की तादाद में नाजायज तरीक़े से काबिज हैं, जो अपने खेतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जो पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं ऐसे लोगों से जमीन छीन लेनी चाहिये और उनसे छीनकर गांव समाज के हाथ में सिपुर्द कर देनी चाहिये। उस गांव समाज के अन्दर जो भूमिहीन किसान बसते हैं ऐसे भूमिहीन लोगों को वह जमीन मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि जिन भूमिहीन लोगों के पास एक धूर भी जमीन नहीं है, हमारे प्रान्त में ४४ लाख अधिवासी हैं जो खेत जोतते हैं अगर सब का हिसाब लगाया जाय तो औसत ३, ४ बिस्वा प्रत्येक अधिवासी पर पड़ता है, तो मेरा ख्याल यह है कि जो सीरदार हजारों और सैकड़ों एकड़ खेत पर काबिज हैं और हल भी नहीं जोतते हैं फावड़ा भी नहीं चला सकते हैं तो ऐसे लोगों के हाथ से जमीन छीन कर अगर भूमिहीन लोगों के सिपुर्द कर दी जाय तो मेरा विश्वास है कि जमीन का उत्पादन अवश्य बढ़ेगा, उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़े नेता आचार्य नरेन्द्र देव जी को सरकार ने चीन भेजा था। जब वह चीन से लौट कर आये थे तो उन्होंने विधान सभा के सदस्यों के सामने एक ही बयान दिया था कि किसानों को चीन में किस प्रकार से खेत मिले। उन्होंने बताया कि चीन की सरकार ने ऐसे लोगों के हाथ से बड़ी बेरहमी के साथ जमीन को छीन लिया जो कि जमीन पर खेती-बाड़ी नहीं कर सकते थे और उसको छीन कर ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जिनके पास खेत नहीं थे। इसका नतीजा यह हुआ कि साल-छै महीने के अन्दर ही चीन जैसा बड़ा देश भी स्वावलम्बी हो गया लेकिन आज ७ वर्ष के बाद भी हमारे देश के लोगों को विदेशों से भीख मांगनी पड़ रही है, इसका एक ही कारण है कि सरकार सीरदार और भूमिधरों को पालती है। हमारी सरकार को हिम्मत ही नहीं होती है ऐसे लोगों से जमीन ले सके जो उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। इस ऐक्ट में भी आप देखेंगे कि सरकार उनकी खुले तौर पर रक्षा कर रही है। एक तरफ तो यह है कि यदि सीरदार दो साल तक खेती न करे तो उसकी जमीन छीन ली जायगी, लेकिन अगर भूमिधर तीन साल तक भी खेती न करे तो उसका कुछ हिस्सा ही लिया जायगा और कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह आसामी को दे दे। यह क्या बात है, मैं पूछता हूं कि यह पक्षपात कैसा ? सौतेली मां का सा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? इस तरह का तरीका देश के लिये घातक है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी पार्टी के हाथ में होती तो वह निर्दयतापूर्वक उन लोगों से छीन लेती जो उस पर खेती-बारी नहीं करते और जमीन को अपने हाथ में रखे हुये हैं और वह जमीन ऐसे लोगों को सुपुर्द कर दी जाती जो जमीन के भूखे हैं। लेकिन सरकार का यह इन्तजाम है कि एक तरफ तो लोग जमीन के भूखे रहें और दूसरे तरफ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में बहुत सी जमीन रहे जो उसकी परती डाल रक्खें और परती रखने वालों की मालगुजारी में छूट भी दी जाती है, यह नीति देश के लिये घातक नीति है। इसी नीति के कारण हमारे प्रदेश और देश की ग़रीबी बढ़ती जा रही है और उसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। हमारे प्रांत की सरकार अपने को बहुत ही प्रगतिशील सरकार मानती है मंत्री जी ने कहा कि हमारे बनाये हुये कानूनों और अधिनियमों को इंगलैन्ड से मांग आ रही है, वे उनको देखना चाहते हैं। एक मर्तबा उन्होंने हमसे यह भी कहा कि वे काश्मीर भी गये थे और उन्होंने वहां देखा कि किस प्रकार से भूमि की व्यवस्था की गयी है। (श्री रामनरेश शुक्ल के बोलने पर) हमारे रामनरेश जी के राज्य में कुछ होने का नहीं है। उनके राज्य में तो सीरदार और भूमिधरों की ही रक्षा होगी।

श्री अध्यक्ष—आपने तो जरा किसी की आवाज सुनी कि जवाब देना शुरू कर दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो जमींदारों और भूमिधरों को जड़ दे रही है।

श्री रामनरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या किसी माननीय सदस्य के लिये यह उचित होगा कि वह किसी व्यक्ति का नाम ले या उससे प्राइवेट में कोई बातचीत हो तो उसका उल्लेख इस सदन में किया जाय।

श्री अध्यक्ष---आमतौर पर प्राइवेट बात का उल्लेख नहीं होता लेकिन अगर उसका उल्लेख किसी सार्वजनिक हित को दृष्टि में रख कर किया जाये, तो हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू जी ने कहा था जमीन की सीमा निर्धारित होनी चाहिये लेकिन अगर इस विधेयक में जमीन की सीमा निर्धारित कर दी जाती और ऐसे भूमिधरों से जिनके पास हजारों एकड़ भूमि है उनके लिये यह सीमा निर्धारित कर दी जाती कि ३० एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन मौजूद है वह छीन कर भूमिहीनों को दे दी जायगी? तब भी मैं समझता कि देश और प्रदेश के अन्न उत्पादन के लिये कुछ काम किया गया है। लेकिन एक तरफ तो इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीसों बार यह घोषणा की कि मैं विनोबा भावे के रास्ते पर चलने वाला हूं और गरीब लोगों का उद्धार चाहता हूं और दूसरी तरफ जो भूमिधर हैं उनकी जमीनों की रक्षा की जावे। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में यह बात आनी चाहिये कि जो लोग भूमिधर हैं और तीस एकड़ से ऊपर जिनके पास खेत हैं उनसे तीस एकड़ से ज्यादा जितनी जमीन उनके पास है उनसे छीन कर गांव-समाज को सुपुर्द कर देना चाहिये और गांव-समाज उस जमीन को भूमिहीनों को बांटे, तभी सही मानों में माननीय राजस्व मंत्री जी का सपना पूरा होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हो सकता है कि उनका सपना यहीं तक हो। एक व्यक्ति एक सपना देखता है और उसी काम के लिये दूसरा आदमी दूसरा सपना देखता है। माननीय राजस्व मंत्री जी का सपना यही हो सकता है कि लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि भूमिधरों की रक्षा सरकार को नहीं करना चाहिये, सीरदारों को छूट नहीं मिलनी चाहिये। भूमिधरों की रक्षा कलेक्टरों के हाथ में नहीं गांव-समाज के हाथ में ही सुपुर्द करनी चाहिये और सही मानों में इस प्रदेश को प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं कि अभी इस विधेयक में सरकार को इस तरह की बात सोचनी चाहिये कि अधिवासियों को बिना मुआविजा दिये हुए जमीन पाने का अधिकार मिले। मैं पुरजोर शब्दों में माननीय राजस्व मंत्री जी से अपील करता हूं और यह बात पूरी नहीं होगी कि बिना मुआविजा दिये हुये उनको सीरदारी के अधिकार मिलें तो हमारे यहां लाखों हमारे जिले के बेदखल हो जायेंगे जिसको माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जरा अच्छी तरह से, जिस तरह से हमारे पार्टी के नेता गेंदासिंह जी ने सुझाव रखे हैं उनको देख कर और और जो संशोधन अच्छे आये हैं उन पर पुनः विचार करें जिससे हमारे प्रदेश में जमीन के सब झगड़े समाप्त हों और शांति की व्यवस्था हो। हमारे प्रदेश और सारे देश का कल्याण हो।

(श्री सीताराम शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सीताराम जी शुक्ल कल अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज सबेरे माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक संकल्प मेरे पास भेजा था और मैंने यह कहा था कि कल यह पेश हो सकेगा। मैं उसको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, यह इस प्रकार है :---

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ दि प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की

बैठक शनिवार को नहीं होती है तथापि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १८ सितम्बर, १९५४ को भी जो शनिवार है होगी और उक्त विधेयक को दिनांक, १८ सितम्बर, १९५४ तक पारित कर दिया जाय तथा उसे पारित करने के हेतु उक्त विधेयक पर सामान्य विवाद १४ सितम्बर, १९५४, १ बजकर १५ मिनट तक ही हो और संशोधनों के प्रस्तावक तथा मंत्री को प्रथम भाषण के लिये १०-१० मिनट तथा अन्य भाषणों के लिये ५-५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।"

यह संकल्प प्रश्नोत्तर के बाद कल लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, पिछली मर्तबा की सी यह घटना है। नियमों के अनुसार इस प्रकार के संकल्पों की सूचना आठ दिन पहले होनी चाहिये। मैंने केवल यह इसलिये कह दिया कि कहीं कल जब यह उपस्थित हो और आपत्ति की जावे तो आपको यह एतराज हो कि कल जब पढ़ कर सुनाया था तब किसी ने इस प्रकार का एतराज नहीं उठाया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास सूचना दूसरे किस्म की आयी है कि इसमें आप भी सम्मिलित हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ सितम्बर, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर।)

सूची—क

क्रम-संख्या	जिला	रकम जिसकी एवज में भूमिधरी सनदें नहीं दी गई
१	२	३
१	देहरादून	३९,८३२
२	सहारनपुर	३,५४,९२८
३	मुजफ्फरनगर	२,७८,३७४
४	मेरठ	३,६१,९४४
५	बुलन्दशहर	२,३१,५९२
६	अलीगढ़	१,९२,८४०
७	मथुरा	१,२०,४६६
८	आगरा	२,६२,४९८
९	मैनपुरी	१,७३,४३९
१०	एटा	३,१३,७७२
११	बरेली	१,०५,७५१
१२	बिजनौर	३,६२,३९५
१३	बदायूं	१,३५,८७१
१४	मुरादाबाद	४,०५,९४३
१५	शाहजहांपुर	१,६२,८९१
१६	पीलीभीत	२,७९,६०८
१७	रामपुर	१७,०५१
१८	फर्रुखाबाद	३,३८,१२३
१९	इटावा	८६,७८०
२०	कानपुर	२,६८,३८०
२१	फतेहपुर	१२,३०७
२२	इलाहाबाद	२,७३,२४७
२३	झांसी	१,५८,००८
२४	जालौन	२९,८५०
२५	हमीरपुर	९५,६४७
२६	बांदा	५५,५४६
२७	बनारस	१,५०,८८३
२८	मिर्जापुर	१,४२,६५५
२९	जौनपुर	३,०५,७७७
३०	गाजीपुर	५,१८२
३१	बलिया	२,५५६
३२	गोरखपुर	९,१५,०७१
३३	बस्ती	२५,५५,८१९
३४	आजमगढ़	५,०९,५२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला			रकम जिसका एवज में भूमिधरी सनदें नहीं दी गई
१	२			३
३५	देवरिया	..	..	११,७१,३७४
३६	नैनीताल	..	..	१९,३३०
३७	अल्मोड़ा	..	..	—
३८	पौरी गढ़वाल	..	..	—
३९	टेहरी गढ़वाल	..	..	—
४०	लखनऊ	..	..	३,२०,८१४
४१	उन्नाव	..	..	९४,४७१
४२	रायबरेली	..	..	१,०१,५४८
४३	सीतापुर	..	..	२,०७,०९३
४४	हरदोई	..	..	२,८६,१२९
४५	खीरी	..	..	१,९७,९०८
४६	फैजाबाद	..	..	४,८२,४३९
४७	गोंडा	..	..	१३,६४,७५७
४८	बहराइच.	..	..	१४,९९,१०५
४९	सुल्तानपुर	..	..	३,२८,०१९
५०	प्रतापगढ़	..	..	४०,२१८
५१	बाराबंकी	..	..	८५,२४२
		..	योग	१,५९,१२,९९८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर।)

क्रम-संख्या	जिला	रकम जिसकी वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये	तकावी जो वितरण की गई
१	२	३	४
१	देहरादून	..	..
२	सहारनपुर	..	..
३	मुजफ्फरनगर	४८८	..
४	मेरठ	..	..
५	बुलन्दशहर	१०,९३५	..
६	अलीगढ़	..	..
७	मथुरा	..	..
८	आगरा	६,६६२	१३,४७५
९	मैनपुरी	..	..
१०	एटा	१८,३९३	..
११	बरेली	६४२	..
१२	बिजनौर	४,७६३	..
१३	बदायूं	..	..
१४	मुरादाबाद	१,८७२	..
१५	शाहजहांपुर	..	..
१६	पीलीभीत	..	..
१७	रामपुर	..	..
१८	फर्रुखाबाद	..	..
१९	इटावा	१५,५८१	..
२०	कानपुर	..	..
२१	फतेहपुर	..	..
२२	इलाहाबाद	..	..
२३	झांसी	..	५,०८०
२४	जालौन	..	..
२५	हम्मीरपुर	६,४१५	..
२६	बांदा	..	..
२७	बनारस	३८०	७७५
२८	मिर्जापुर	४४,६३१	२९,०९०
२९	जौनपुर	..	..
३०	गाजीपुर	२,३७५	५५
३१	बलिया	१,६०८	१,३२,९३०
३२	गोरखपुर	७,६४०	१२०
३३	बस्ती	१,२४,४७८	९,८१५
३४	आजमगढ़	५,३७४	२,०५०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	जिला	रकम जिसकी वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये	तक़ावी जो वितरण की गई
३५	देवरिया ..	६२,२१४	५३,३१६
३६	नैनीताल	..	..
३७	अल्मोड़ा	..	..
३८	पौरी गढ़वाल	..	..
३९	टेहरी गढ़वाल	..	..
४०	लखनऊ	..	..
४१	उन्नाव ..	..	..
४२	रायबरेली	..	..
४३	सीतापुर ..	..	..
४४	हरदोई ..	..	..
४५	खीरी ..	..	..
४६	फैजाबाद	४७,३५५	२२,८००
४७	गोंडा ..	२,४९९	४३,६४५
४८	बहराइच	..	..
४९	सुल्तानपुर	६,२९५	३५५
५०	प्रतापगढ़	४८७	..
५१	बाराबंकी	..	..
	योग ..	३,५९,०८७	३,१३,५०६

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

जिला झांसी

सूची उन गांवों तथा कस्बों की जिनमें मकानों के गिरने से अधिक क्षति हुई ।

१--रानीपुर
२--सिंहपुरा
३--भोंरारो
४--लुहर गांव रानीपुरा
५--भकोरो
६--पचोरो
७--पठगवां
८--भंडरा
९--बसरिया
१०--खिलारा
११--धामपुरा
१२--खरका माफ
१३--घाट कोटरा
१४--ढकरवारा
१५--मथुपुरा
१६--पठा
१७--टकटौली
१८--मऊ
१९--भटपुरा
२०--रजपुरा
२१--उल्दन
२२--हनलिया
२३--लठेसरा
२४--बिजना
२५--नौटा
२६--ककवारा
२७--कटेरा
२८--बगरौली
२९--सकरार
३०--सिलगुवां

तहसील मऊ

३१--स्यावरी
३२--रेवन
३३--खिसनी खुर्द
३४--बचेरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील गरौठा

१—टोडी फतहपुर
२—अतनया
३—बंगरा
४—पसौरा
५—महेवा
६—बगरौनी
७—रानापुरा
८—गढ़ी करगांय
९—पसराई
१०—रनभारा
११—घुरैया

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर)

सरकारी-गो सदनों के निरीक्षकों तथा अधीक्षकों के नाम की सूची—

निरीक्षक—

(१) श्री एच० सी० जोशी, गोशाला विकास अफसर, पशु-पालन विभाग।

(२) श्री नूरुल हक, चर्म विकास अफसर, पशु-पालन विभाग।

अधीक्षक—

(१) श्री एम० पी० सिंह, गो-सदन, मलगवां, जिला इटावा।

(२) श्री डी० आर० अरोरा, गो-सदन, गरजिया सोत, जिला नैनीताल।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर।)

देवरिया जिले के पशुओं की विस्तृत सूची

मवेशी	६,८४,५५५
भैंस व भैंसे	७,९९,७६२
भेंड़	३१,०८१
बकरी	२,५६,२९६
घोड़े और खच्चर	१,५४७
गधे	७,००४
दूसरे जानवर	२१,५७७
योग ..	१८,०१,७२२

विधान सभा प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ १८१ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५। कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ का संशोधन करने का

विधेयक

यू०पी० ऐक्ट ५, १९३५। यहां पर आगे चल कर प्राप्त होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन।

२—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में रख दिया जाय :—

"Provided further that the tax payable on vehicles used for the carriage of goods in connection with trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward in respect of the period—

(*a*) prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1954, be determined in accordance with the appropriate rates then specified in the first schedule ; and

(*b*) after the commencement of the said Act, shall be determined in accordance with the rates specified in article IX of the first schedule as amended by the said Act."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में

(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'the' और 'proviso' के बीच में शब्द 'first' बढ़ा दिया जाय,

(२) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"Provided also that difference between the enhanced tax payable under clause (*b*) of the second proviso to sub-section (1) of section 4 and the tax paid for the said period in accordance with the rates specified in the first Schedule as it stood prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1954 shall be paid within three months from the date of commencement of the said Act."

मूल अधिनियम की धारा २० का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (२) के खंड (dd) में—

(१) शब्द "proviso" के स्थान पर शब्द "provisos" रख दिया जाय; और

(२) शब्द "the second proviso" के स्थान पर शब्द "the second and third provisos" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची (Schedule) में वर्तमान अनुच्छेद ९ (Article IX) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"IX. Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward :—

(A) If fitted entirely with pneumatic tyres, and (*a*) if intended for use on an A class route—

	R.	A.	P.
(i) for the first 15 cwt. of authorised load	210	0	0
(*ii*) for every additional hundred wieght of load ..	7	4	0
(*b*) if intended for use on a B class route—			
(i) for the first 15 cwt. of authorised load ..	189	0	0
(ii) for every additional cwt. of authorised load..	5	4	0
(*c*) if intended for use on a C class route—			
(i) for the first 15 cwt. of authorised load ..	169	5	0
(ii) for every additional cwt. of authorised load..	4	0	0

(B) If fitted with resilient tyres—

the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with penumatic tyres, together with an addition of 331!2 per cent thereon ; and

(C) if fitted with non-resilient tyres—

the tax payable under this articles for a vehicle of the same authorised load capacity , if fitted with penumatic tyres, togetherwith an addition of 66 2/3 per cent. thereon;

उद्देश्य और कारण

प्राइवेट कैरियर मोटर गाड़ियों पर कर (टैक्स) उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय को देखते हुए, कम है तथा वह सड़क का प्रयोग पब्लिक कैरियर मोटर गाड़ियों से कम नहीं करते। यह आवश्यक है कि इन दो प्रकार की गाड़ियों में टैक्स का अन्तर कम किया जाय। अतएव सारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कैरियर मोटर गाड़ियों पर इतना टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है कि वह उसी प्रकार की पब्लिक कैरियर गाड़ियों के टैक्स से केवल २५ प्रतिशत कम रहे।

विचित्र नारायण शर्मा,
मन्त्री, वाहन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी३ १४६ एल० ए० १९५४—८५०।